राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या २०

शुक्रवार दिनांक ४ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, गृह, कृषि, सहकारी, विकास, सार्वजनिक निर्माण, विधि, सामान्य प्रशासन तथा सिंचाई-विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६०१।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०२।

श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०३।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०४।

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०५।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०६।

श्री भोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०७

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतेसिंह।

Page No 2

राजकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, ब्यावर

६०८. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Education Minister be pleased to state :

1. Is the Government aware that when granting Transfer Certificate, the Head Mistress of the Government Girls Multipurpose Higher Secondary School, Beawar, had charged Rs. 6/- extra in addition to the normal fee of Re. 1/-for the Transfer Certificate and refused to grant such certificate to students who did not make such extra payment ?

2. Is the Government further aware that results of the local examination were withheld by the Head Mistress this year until the students paid the extra amount of Rs. 6/- over and above their normal fees ? If so, are these recoveries being made under Government orders, and if yes, how is the Government justified in charging this amount with retrospective effect and from all students irrespective of their subjects and classes ?

उपमन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां, ये रिकवरी सरकारी ऑर्डर के तहत ही की गई है यह आर्डर ता० १-७-५७ से फोर्स में आया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या शिक्षा संस्थाएं जो इन्कमटैक्स पे नहीं करतीं, उनसे भी फीस लेती है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह ट्यूशन फीस का सवाल नहीं है यह दूसरी फीस बोयेज फंड की है।

डॉ० बहादुरसिंह : आप उनसे भी फीस लेते हैं जो इन्कमटैक्स पे नहीं करते या लेते नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप विशेष परिस्थिति बतावें तो उसका उत्तर दिया जा सकता है।

मेजर श्री फतेहसिंह : Is it the last order quoted by the Hon'ble Minister on the basis of which fee is being collected in the Colleges of Rajasthan.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : This order was modified later on but was not modified in this particular respect to which the Hon'ble Member refers.

मेजर श्री फतेहसिंह : Is the Hon'ble Minister aware that this order regarding fees in the year 1957 lead to the agitation of the students and later on a new order was promulgated by the State Government ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I have submitted the same thing but that order was not modified in respect of the activity fee. That is what I have submitted.

मेजर श्री फतेहसिंह : I draw the attention of the Hon'ble Minister to the order dated 27th August, 1957 which says that the fees at enhanced

Page No 3

(मेजर फतेहसिंह)

rates will be charged from the wards of those persons who pay income tax and that wards of those who do not pay income tax be required to pay fees only at the rates charged before July 1957, in all Government colleges and schools, And I draw the attention of Hon'ble Minister that before July, 57 there was no such thing for which this Rs. 6/- was realised by the Head Mistress. Beawar.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : This is payable to the Govenment but it is not charged by the Government. It is paid in the Students' Fund and it is utilised for the hand work.

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि आपकी संख्या इडी नं. १४३०।१५।५८ बीकानेर के पत्र के अनुसार कक्षा ८ और ६ से फीस पुरानी दर पर नहीं लेकर नई दर पर ले रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, यह ग्रेयेज फन्ड की फीस है, यह ली जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने आपको अभी नम्बर बताये उसके अनुसार पुराने दर से फीस ली जानी चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Hon'ble Member may......

मेजर श्री फतेहसिंह : Sir I want to ask the Hon'ble Minister...

श्री उपाध्यक्ष : Major Fateh Singh. let this question be replied.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Hon'ble Member may refer the date so that I may find out the relevant order.

डॉ० बहादुर सिंह : Dated 17. 2.58.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : This says regarding the activity fee which is a question here.

"Activity fee which is charged on yearly basis as shown in the schedules of rates may be collected once only in the beginning of the Session, while these fees which are being charged on monthly basis may be realised with the tution fee monthly or quarterly."

This is only here.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : यह फीस जो कलेक्ट की वह साल के शुरू से आपके ऑर्डर के अनुसार थी या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से थी या टी० सी० लिए जब से थी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : It was applied with retrospective effect.

श्री श्रीमानसिंह : Why was the fee not collected in April, 1958 ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : There was a slight misunderstanding because in Education code there is a different fees prescribed. There after other Rates were prescribed and the Head mistress was in difficulty regarding the interpretation of these two orders. Then the matter was referred to the Asstt. Director. She said that the fee

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

should be charged according to the Education Code. During the inspection it was found by the additional Director of Education, Rajasthan and he objected. He said it was not proper and therefore the matter was clarified and set at rest by a fresh order of the Additional Director of Education but this order was passed in February and so the fees were realised retrospectively.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Why the charging of fees according to the Code was not proper ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : As it was published before July, 1957 and fees were revised later on, and there were different fees in it.

श्री जनार्दनराय नागर : After the inspection of the Additional Director, charging of fes according to the Code was not proper. I want to know the reason ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I have submitted that the order containing the fees prescribed in the Education code was not latest. It was published before July, 1957 whereas the new orders were passed after July, 1957.

मेजर श्री फतेहसिंह : I draw the attention of the Hon'ble Minister to the letter dated 17. 2. 58 issued by the Director of Education vide No. ES/CB/1213 dated...May, 58 and sent to the Head Ministress of the Institution. It says in para 2 that the activity fee is to be charged on old rates upto Class 8th I draw the attention of the Hon ble Minister to the fact that in old rates there was no place for the handwork fees. Therefore I submit that realisation of the fees is entirely irregular.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Hon'ble Member has not read it properly. No tuition fee is to be charged upto 8th Class. Activity fees is to be charged on rates. Heads of institutions were empowered to determine the rates of Activity fees with the concurrence of the students and Unions and Unions and the Head of Institution can use their own discretion in the case of classes IX to XI only.

मेजर श्री फतेहसिंह : Activity fee is to be charged on old rates. So far as 8th class is concerned, activity fee is to be charged on old rates. There was no such hand work fee in old rates. So it was entirely irregular to charge such fees. The discretion is from 9th to 11th. So there is no question of any discretion so far as students upto 8th class are concerned.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The idea behind is not what the Hon'ble Member has mentioned. Rate of fee is to be decided with the concurrence of the Student's Union whereas in case of 9th to 11th, it is to be levied in the discretion of the Head of the Institution and the Head of the Insti-

Page No 5

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

tution can use their discretion in case of 9th to 11th only.

मेजर श्री फतेहसिंह : This is perfectly alright. Discretion is given to the Head of the institution so far as 9th to 11th classes are concerned. What about class 8th ? No discretion is given to the Head of the Institution. Activity fee is to be charged on old rates and in the old rates there was no hand Rork fee which is not proper. I wanted the Hon'ble Minister...

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Dy. Minister has rightly understood the point.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : He is trying to avoid.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : A question has been put. You will please not disturb.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The first one concerns a Multi Purpose Higher Secondary School. There is a dispute regarding the daughter of Major Fateh Singh who is reading......

(व्यवधान)

श्री श्रीमानसिंह : I think the answer is very unnecessary.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I don't blame or caste any doubt on the bonafides of the Hon'ble Member.

श्री अर्जुनदास : The mischief has already been done.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I am not raising any doubt.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : He is explaining the bonafides..,...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Hon'ble Members are not hearing me. I am giving reply.

The Hon'ble Member was perfectly justified in seeking a clarification from the Government. He has written to the authorities, protested against and a reply thereto has been given It refers to the Beawar Multipurpose Higher Secondary School and it has been clearly mentioned that the levying of fees in 9th to 11th shall be within the discretion of the Head of the Institution and regarding the fees upto 8th Class...

(व्यवधान)

मेजर श्री फतेहसिंह : This is perfectly clear. I can read it.

श्री अर्जुनदास : Yes.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : No fee is to be charged upto 8th...

(व्यवधान)

Page No 6

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order. I will request the Hon'ble Minister to read the whole sentence.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I am reading the whole paragraph. No tuition fee is to be charged upto Class VIII. Activity fees is to be charged...

(व्यवधान)

मेजर श्री फतेहसिंह : On old rates.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I am reading. The Hon'ble Members can come and see it.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order, please.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Order, Sir. The Hon'ble Member has produced a particular letter which contains....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : On a Point of Order...

श्री उपाध्यक्ष : There is already a Point of order raised by Shri P. K. Chaudhary. I cannot give preference, to yours.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member has got a particular Government order and he has read certain contents in it, whereas the letter being read by the Hon'ble Dy. Minister,... there is some legitimate difference. So the House would like to know which is the actual letter. The signed letter should be submitted to the House.

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Member on this side has read the particular order and that is...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order. I am ascertaining the genuineness of the document.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I am reading it Sir. Your Honour may peruse the letter and set the dispute at rest. I mean if there is any ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order Order. I would like to have the documents.

मेजर श्री फतेहसिंह : I would need to clarify...

श्री उपाध्यक्ष : I would like to have that documentalso.

मंत्री गृह विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : फीस गलत ली गई है या क्या इसकी जो इन्फोर्मेशन दी है वह ठीक है या गलत इसका फैसला तो यहां होने वाला नहीं है ।

श्री अर्जुनदास : You are trying to misguide ...

श्री उपाध्यक्ष : Order Order. I am trying ...

श्री पी० के० चौधरी : It is the worst matter, Sir. The Hon'ble Minister should have given correct information to the House.

मेजर श्री फतेहसिंह : This has been omitted from the letter. That is an irregularity in matters of realisation of the fees.

श्री श्रीभानसिंह : आप यह बतलाइये कि एक्टीविटी फीस आपने चार्ज की है वह किस हिसाब से की है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका हिसाब पास नहीं है ?

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि ७ वीं क्लास व ८ वीं क्लास से क्या एक्टीविटी फीस चार्ज की गई ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप इसके लिए अलग से प्रश्न छिपूये। इनका प्रश्न मल्टीपर्पज स्कूल्स के बारे में था उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Minister is misguiding, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order Order, please. Is there any more question ? This is a question to be ascertained. I have not been able to satisfy myself.

श्री अर्जुनदास : The Code has been placed on the table of the House.

श्री पी० के० चौधरी : We would like to know whether the letter has been signed by the proper authority ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I am not denying.

श्री उपाध्यक्ष : Order Order, please. I would enlighten the House as to the correctness of the genuine documents.

श्री पी० के० चौधरी : We would like to know it.

श्री उपाध्यक्ष : Not at this stage. I am taking another question.

मेजर श्री फतेहसिंह : When was the......

श्री उपाध्यक्ष : Major Fateh singh, I don't want to dispose of this question. I keep it pending.

श्री श्रीभानसिंह : We may keep this question pending, Sir.

मेजर श्री फतेहसिंह : Activity fees are being realised from the girl students of Beawar, over and above.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, let this question be pending.

श्री उपाध्यक्ष : I assure the House that I will be taking this question on next working day.

मेजर श्री फतेहसिंह : I submit Sir that my daughter has already left the school but being a representative of the people it is my duty to bring this case to the notice of the Minister and all concerned.

श्री अर्जुनदास: With your honour's permission, I would submit

Page No 8

(श्री अर्जुनदास)

that on many occasions we feel that the replies given by the Government are not correct, probably their staff does not give them correct answers. And this is one of the cases where we have been able to catch them.

श्री उपाध्यक्ष : Order, order, please I would like to satisfy myself on this.

नेक्स्ट । प्रश्न संख्या ६०६

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

ग्राम बेरी, तहसील जहाजपुर में अभ्रक निकालना

६१०. **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि तारीख १४-११-५८ को श्री पराक्रमसिंह डांगी, तहसील शाहपुरा (भीलवाड़ा) ने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि श्री ज्ञानमल कोठारी जिनके पास माइका निकालने का कोई लाइसेन्स नहीं है वे जबरन उनकी खेती की जमीन ग्राम बेरी तहसील जहाजपुर में से अभ्रक निकाल रहे हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां, दिनांक २४-११-५८ को डी वाई० एस० पी० भीलवाड़ा को ऐसा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, खनिज विभाग से पूछताछ की गई और यह निश्चय किया गया था कि उसका कार्य अनधिकृत नहीं था इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो महानुभाव इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके पास लाइसेन्स है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : माइनिंग डिपार्टमेंट से दरयाफ्त किया गया, उनका कहना है, वे कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का लाइसेन्स उनके पास था क्या और डी० वाई० एस० पी० ने उनका लाइसेन्स देखा क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी पूरी ऑथोरिटी तो माइनिंग डिपार्टमेंट को है । जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स उनके पास था और उन्होंने उसके एक्सटेन्शन के लिए गवर्नमेंट को आवेदन कर रखा था ।

श्री मुरलीधर व्यास : गवर्नमेंट द्वारा बिना एक्सटेन्शन दिये ही क्या कोई कार्य कर सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक आदमी जब वर्क कर रहा है तो गवर्नमेंट ने उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप खाली यह कह दें कि उसके पास लाइन्स था या नहीं । उसने एप्लाई कर दिया । एप्लाई करने का मतलब तो यह होता है, लाइसेन्स मिलने से पूर्व ही वे कार्यवाही करते रहे ?

Page No 9

श्री रामकिशोर व्यास : आपको ऐसा ही सवाल करना था तो आपको माइनिंग डिपार्टमैन्ट से पूछना चाहिये। पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, यह अनधिकृत कार्य नहीं था। And the matter was under consideration of the Government.

श्री उपाध्यक्ष : So far as the question of malafides and bonafides is Concerned he has replied.

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस का यह भी काम था कि वह लाइसेन्स देखती ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस वजह से कि वे खान पर काम करने वाले हैं, वे मुख्य मंत्री के संबन्धी हैं इसलिए वे चाहे जैसा करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : I take another question. You will please not drag in any unnecessary discussion...

श्री मुरलीधर व्यास : जब कोई लाइसेन्स नहीं फिर भी वे कार्य कर रहे हैं जैसे उनका घर का कार्य हो वे करते जा रहे हैं, किसी प्रकार की उनको रोक-टोक नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not like that any reply be given to it.

प्रश्न संख्या ६११

श्री उपाध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

संचालक, पशु चिकित्सा तथा कृषि द्वारा साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स का क्रय

६१२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) श्री शतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) :

क्या मंत्री कृषि विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्ड्री व डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर द्वारा साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स की खरीद के लिए टेन्डर्स आमन्त्रित किये गये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि इन टेन्डर्स में इन्स्ट्रुमेन्ट्स की कीमत सेल्स टैक्स सहित मांगी गई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि लोकल डीलर्स को स्टेट को ६ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है जब कि आउट-साइडर्स को केवल १ पार्सेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस कारण आउट साइड डीलर्स की इन्क्लुडिंग सेल्स टैक्स कीमतें राजस्थान के डीलर्स के मुकाबले कम होती हैं जिससे विभाग को कोई विशेष लाभ न होकर सरकार को ६ परसेन्ट सेल्स टैक्स का घाटा उठाना पड़ता है ?

उप-मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां। केवल संचालक, पशु पालन द्वारा ही इन्स्ट्रूमेन्ट्स (पशु पालन संबन्धी) के टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे।

(श्री दौलतराम सारण)

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। बाहर के रजिस्टर्ड व्यापारी यदि वैज्ञानिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स सप्लाई करेंगे तो उनसे वहां की सरकार सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के मातहत एक प्रतिशत कर वसूल करेगी और यदि राजस्थान का व्यापारी वैज्ञानिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स राजस्थान में बेचेगा तो उसको राजस्थान राज्य का बिक्री कर देना पड़ेगा।

(घ) जी हां। अक्सर होती है। जी हां, विभाग को कुछ फायदा जरूर होता है परन्तु सरकार को कुछ नुकसान नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sales tax legitimately comes to the Government. Is it not a fact that it was charged at a higher rate and the reduction was made in the sales tax...

श्री दौलतराम सारण : वैसे तो यह प्रश्न सेल्स टैक्स विभाग से पूछना चाहिये था, उनका इससे संबन्ध है। इस विभाग से जो जानकारी दी जा सकती थी, वह दे दी गई है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स की कोस्ट प्राइज क्या थी ?

मंत्री, कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): अभी कुछ खरीद नहीं किया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ रोज पहले पार्लियामेंट के स्पीकर महोदय द्वारा रुलिंग हो चुकी है वह यह है कि कोई भी मिनिस्टर जवाब दे वह कॉम्प्रीहेन्सिव जवाब दे। यह कह कर किसी प्रश्न को टाला नहीं जा सकता कि यह तो उस विभाग से पूछना चाहिए था। जब कि माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं तो उनको चाहिए था कि वे सेल्स टैक्स विभाग से भी सूचना प्राप्त करते। वे यह कहकर टाल नहीं सकते कि चूंकि यह प्रश्न सेल्स टैक्स विभाग से संबन्धित है इसलिए अवेलेबल नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : It is a very recent Ruling of the Hon'ble Speaker in the Parliament.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य को कुछ संयम से काम लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य को कुछ संयम से काम लेना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें असंयम क्या है ? पार्लियामेंट की रूलिंग को कोट करने में ही असंयम हो गया क्या ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट की रूलिंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है तो क्या यह असंयम हो गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : Any more question ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तो जानते ही नहीं हैं जैसे।

Page No 11

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग तो इस बारे में होनी ही चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : We will like to have the Chair's Ruling on it.

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरा जवाब दे दिया।

श्री श्रीभानसिंह : फिर तो जो माननीय मन्त्री महोदय ने एटीट्यूड ली है तो हमारा भी यह है कि हम आपका रूलिंग चाहेंगे इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : I reserve my ruling on this issue.

श्री श्रीभानसिंह : इस पर्टीकुलर केस में इन्वाइट किए गए थे क्या ? बाहर वालों ने और यहां वालों ने क्या रेट कोट की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी सब टेन्डर विचाराधीन हैं।

श्री श्रीभानसिंह : टेन्डर तो आपने खोले हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खोले गए हैं और विचाराधीन हैं।

श्री पी० के० चौधरी : बाहर वालों ने इन इन्स्ट्रूमेंट्स पर एक्सक्लूडिंग सेल्स टेक्स रेट कोट की और राजस्थान वालों ने इन्क्लूडिंग सेल्स टैक्स की, क्या कीं, उनके क्या कोटेशन्स हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न हमारे सामने है, न हमारे पास आए हैं। विभाग के पास आए हैं। खोले हैं और अभी विचाराधीन हैं। इस वक्त सूचना देना मुनासिब नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो टेन्डर इन्वाइट किए गये हैं उनमें सेल्स टैक्स इन्क्लूड या एक्सक्लूड करने के सम्बन्ध में विभाग की ओर से कोई रूल्स बने हुए हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह डिपार्टमेंट के ही रूल्स हैं। कुछ फाइनेन्शियल रूल्स बने हुए हैं, उनसे गाइड होते हैं। सब कुछ मिला कर यह डिपार्टमेंट का स्वयं का काम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सेल्स टैक्स एक्सक्लूड किया जावे या न किया जावे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या...

श्री उपाध्यक्ष : श्री 'काला बादल'।

श्री पी० के० चौधरी : Point of information, Sir,

श्री उपाध्यक्ष : What is that ?

श्री पी० के० चौधरी : This question has not been brought up before the House as the Hon'ble Member has tabled. A part of the question has been dropped. It has not been brought up here.

श्री उपाध्यक्ष : I have passed on. Question No. 613, please.

श्री श्रीमानसिंह : Can the Hon'ble Members be disturbed like this...

यह पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन ड्राप किया गया है। असेम्बली सेक्रेटेरियट से यह अब ड्राप हुआ है या सम्बन्धित विभाग से ड्राप हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : I think if the part of the question has been dropped, this must have been dropped by the Assambly and that too by the consent of the Hon'ble Speaker.

श्री श्रीमानसिंह : If I table a question, I should be taken into confidence before some part of it is dropped...

श्री उपाध्यक्ष : Which is the question ?

श्री पी० के० चौधरी : Question No. 613.

श्री उपाध्यक्ष : According to the procedure, if it has been dropped up,...

श्री पी० के० चौधरी : It is very material.

श्री उपाध्यक्ष : It is a question of admissibility and we are not to open the question of admissibility decided by the Chair.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member should have been taken into confidence.

श्री उपाध्यक्ष : If it is the question, it should be clarified in my Chamber. This should not be agitated on this issue.

कनवास में हाई स्कूल की स्थापना

६१३. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरपंच कनवास द्वारा १७,०००) रुपये से ऊपर रकम स्कूल बनाने में लगा दी गई जिसकी तस्दीक सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा द्वारा हो चुकी है ?

(२) क्या यह सही है कि कनवास सदर मुकाम पर हाई स्कूल खोले जाने के लिए विकास कमेटी ने शिक्षा सचिव के पास सिफारिश भेजी थी जिसमें जिला कोटा के केवल कनवास के लिए ही सिफारिश की गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि एडिशनल डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग ने लोकल अधिकारियान, शिक्षा विभाग, कोटा से सम्मति लिए बिना ही ग्राम आवां, तहसील कनवास में हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने के लिए कनवास के केस को कतई नजरअन्दाज करते हुए आदेश दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(२) जी हां।

Page No 13

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या आपके डिप्टी डाइरेक्टर ने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। हमारे यहां नहीं लिखा था।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही नहीं है कि जिला डेवलपमेन्ट कमेटी ने इस जगह के लिए सिफारिश की थी

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरी जानकारी में नहीं है। पर उत्तर दे दिया गया कि डवेलपमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी और हमने नहीं माना।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि लेटर नम्बर ई dated 24-1-59 and Additional Director of Education letter dated 1-4-59 in reply to that, in his letter no. IS/GAD/ dated 1-4-59, I.S. Kotah recommended that the school should be given first prize.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब ये सब सिफारिशें आ गई थी तो इसके बाद में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और डिप्टी डाइरेक्टर से इन दोनों क्लेमों की चांज करवाई गई और तब इस नतीजे पर पहुँचे कि आहुवा को प्रायोरिटी दी जाय। कनवास में मकान की कमी पाई गई। वहां चार कमरे और बनाने पडेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : आपने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की कब सलाह ली ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह खुला इसके पहले सलाह लेकर काम किया गया था।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने अपनी रिपोर्ट में कनवास की बिल्डिंग को सर्टीफाई किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि कनवास में यह शर्त रक्खी गई थी कि स्कूल की बिल्डिंग बन जावेगी तो स्कूल खोल दी जावेगी, और इस पर गांव वालों ने उस बिल्डिंग के लिए १७ हजार रुपया इनवेस्ट किया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो पहली शर्त है हमारी हर जगह के लिए। इसके बिना हायर सेकन्डरी स्कूल खोली नहीं जाती। इसके बाद में दो बातें और देखते हैं कि कहाँ खोलना ज्यादा उपयुक्त और सुविधाजनक है ? जांच के बाद यह पाया गया कि आहुवा के अन्दर ज्यादा सुविधा है। यहां कनवास में अब भी चार कमरों की कमी पड़ती थी।

श्री श्रीभानसिंह : दूसरा क्लेमेंट किस स्टेज पर आया था और उसका केस किस ने रिकमन्ड किया था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : क्लेमेंट की स्टेज का प्रश्न नहीं है। कोई व्यक्ति कोशिश करता रहे या न रहे इसका मतलब नहीं। जब तक सरकार से मन्जूरी न ले ली जावे तब तक इसमें कुछ नही किया जाता। मिडिल स्कूल के लिये जिला समिति की सिफारिश मांगी जाती है और हायर सेकन्डरी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। बाकी तो इस

Page No 14

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मामले में हमने जाँच की है और इसके बाद में ठीक समझ कर क़दम उठाया गया।

श्री पी० के० चौधरी : जिला विकास कमेटी की सलाह की आवश्यकता नहीं है तो फिर पूछते क्यों हैं जिला विकास समिति को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हायर सेकेन्डरी के लिए नहीं पूछते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह सिफारिश और जांच का परिणाम आने से पहले ही यह शर्त लगाई गई थी कि मकान बना लिया जावेगा तो स्कूल तुम्हारे यहाँ खुल जावेगी। अगर यह शर्त लगा दी गई थी तो बाद में इन्कार करने से क्या लाभ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह तो स्टेन्डिंग शर्त है। वह भवन तो उपलब्ध होना आवश्यक है। पर अब अगर दस जगह हैं और उनके लिये भवन वाले बीस जगह से आ जावें तो बीस जगह तो खोलना सम्भव नहीं है हमारे लिये। खोलेंगे तो दस ही जगह।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि कनवास में ३०० लड़के पढ़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास। ६१४।

श्री दलीपसिंह (बारां) : साहब इसका जवाब मुकम्मिल नहीं आया है।

श्री गोविन्दनारायण माथुर, भूतपूर्व विकास अधिकारी सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा मलाररिए तहसील फलोदी में नमक बनाने के फर्जी आवेदन-पत्र दिया जाना

६१४. **श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) :** क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क्या यह सत्य है कि श्री गोविन्दनारायण माथुर, भूतपूर्व तहसीलदार, फलोदी ने ३१-१२-५२ को केवल ८ अलॉटमेन्ट मलाररिए, तहसील फलोदी में किये थे ? यदि हां, तो किन किन को ?

क्या यह सत्य है कि श्री गोविन्दनारायण माथुर ने फलोदी से तबादला होने के बाद सन् ५७—५८ में जब बी० डी० ओ० सुमेरपुर, जिला पाली में तैनात थे, करीब ७५ फर्जी अलॉटमेंट लैटर पर मलाररिए में नमक बनाने के तारीख ३१-१२-५२ में लगा तथा तहसीलदार, फलोदी की मोहर लगा कर दस्तखत किये ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इसका केस एन्टीकरप्शन में रजिस्टर्ड हुआ था ? यदि हां तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। श्री गोविन्दनारायण माथुर भूतपूर्व तहसीलदार फलौदी द्वारा तारीख ३१—१२—५२ को निम्नांकित ८ व्यक्तियों को अलॉटमेंट लेटर दिये गये थे :—

Page No 15

(श्री रामकिशोर व्यास)

१. श्री रतनलाल, २. श्री छगनलाल, ३. श्रीमती सोनीबाई, ४. श्रीमती राधाबाई, ५. श्री तेजकरण, ६. श्री मादास वैद्य, ७ श्री मूलसिंह और ८. श्रीमती लक्ष्मीदेवी ।

(ख) ऐसी रिपोर्ट हुई है कि कुछ जाली व पिछली तारीख के वितरण-पत्र (allotment letters) श्री गोविन्दनारायण माथुर, भूतपूर्व तहसीलदार, फलोदी के दस्तखत शुदा प्रजा को दिये गये थे ।

(ग) जी हां, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वारा अभियोग पंजीबद्ध कर लिया गया है तथा अनुसन्धान जारी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह अनुसन्धान कब से जारी है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास : डेट तो मेरे पास नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : १।। साल हो गया है कि इस प्रकार से तहसीलदार ने वहां जाकर जाली हस्ताक्षर करके जो अलॉटमेंट किये और जब यह प्रमाणित हो गया तो उसके बाद में अब जांच किस बात की जारी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रमाणित होगया है या नहीं यह तो केस इस समय इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर है। लेकिन ऐसा मालूम होता है और मैंने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट की गई है ।

मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की रिपोर्ट की गई है और मैंने सदन के अन्दर इस प्रकार का प्रमाण भी स्वयं ने पेश कर दिया ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसीलिए तो मैंने कहा कि इन्वेस्टीगेशन हो रहा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आज १।। साल हो गया और जब प्रमाणित हो गया तो फिर इन्क्वायरी किस बात की कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Don't you feel that the investigation is not necessary if it is a case of forgery.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Primafacie case has been established.

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर यह कहना मुनासिब नहीं होगा लेकिन जो बात दिखाई देती है उससे ऐसा लगता है कि शायद लेटर्स फर्जी हैं ,

श्री मुरलीधर व्यास : एन्टीकरप्शन में ऐसे मामलों को ६ महीने के अन्दर समाप्त कर देना चाहिए और आज १।। साल होगया आपने कोई कार्यवाही भी नहीं की । उनको आफिसर बनाकर रख रहे हैं तो क्या कारण है कि मामले जल्दी से नहीं पूरे किये जाते ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि इस समय केस करीब करीब कम्पलीशन की स्टेज पर है । कुछ ही एविडेन्सेज बाकी हैं । इसकी डिटेल्स में जाना ठीक नहीं है । एलॉटीज को लेटर्स इश्यू हुए हैं, उनको बुलाने और सिगनेचर टेली करने में समय लग सकता है ।

Page No 16

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आप इस समय यह बता सकते हैं कि २ महिने, ६ महीने लग जायेंगे। आखिर ६ महिने का तो आपने वैसे ही समय रखा है और अब १॥ साल हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : समय की बात तो मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़

६१५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में जो विषय इंटरमीडिएट कक्षाओं में पढाये जाते हैं क्या वही विषय डिग्री कक्षाओं में भी पढाये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि जो विषय इंटरमीडिएट में पढ़ाये जावें वो के वो ही विषय डिग्री में भी पढ़ाये जावें।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि सुविधा की दृष्टि से और डिग्री कॉलेज भी अच्छी तरह से चल सकें, वही विषय डिग्री कक्षाओं में पढ़ाने चाहिए जो कि इन्टर क्लासेज में पढ़ाये जाते हैं?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या झालावाड़ के अन्दर, इन्टर के अन्दर, इस प्रकार के विषय पढ़ाये जाते हैं और डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ाये जाते तो क्या सरकार को मालूम है कि इससे डिग्री कॉलेज समाप्त हो जायेगा?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहीं, क्या आप इसको आवश्यक नहीं समझते कि जो विषय इन्टर में पढ़ाये जाते हैं वही बी० ए० में भी पढ़ाये जायें ताकि विद्यार्थियों को सुविधा रहे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमने डिग्री कॉलेज बन्द नहीं किया है, पिछली साल ही खोला है। यह आवश्यक नहीं है कि इन्टर में जो विषय पढ़ाये जावें वही बी० ए० में भी पढ़ाये जायें।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो इन्टर में सब्जेक्ट्स पढाये जाते हैं वो ही बी० ए० में नहीं पढ़ाये जाते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो इन्टर में पढ़ाये जाते हैं वही डिग्री में पढ़ाये जाते हैं हां, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो नहीं पढ़ाये जाते।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि जो सब्जेक्ट्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाये जाते हैं उन्ही को आप इन्टर में पढ़ायें? क्या इसे

Page No 17

(श्री पी० के० चौधरी)

आप आवश्यक नहीं समझते। इससे विद्यार्थियों को ज्यादा सुविधा होती है इसको तो मानते हैं कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह ऐसा प्रश्न है कि घर बैठे हुए सारा सुविधा हो जाये तो अच्छा है लेकिन उसको हमें देखना पड़ता है कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, हमारे पास कितने लड़के है और क्या साधन हैं। यह सब देखकर फैसला किया जाता है। यह पॉसिबल नहीं है कि एक कॉलेज में सब सब्जेक्टस खोल दिए जाय।

श्री पी० के० चौधरी : It is not a question of opening a degree College. Some subjects are being tought in the Graduate classes and the same very subjects are not taught in the Intermediate Classes.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि हर कॉलेज के लिए आवश्यक नहीं है कि वही कॉलेज बी०ए० के अन्दर सब्जेक्टस पढ़ाये जो कि इन्टर में हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में भी वही पढ़ाये जायें। बड़े बड़े शहरों में भी कई सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अब देखिए जोधपुर के अन्दर आनर्स नहीं है और दूसरी जगह पर है तो यह तो एडजस्टमेंट बैठाया जाता है। जो साइन्स पढ़ना चाहते हैं वह कोटा चले जायें।

श्री दयाकृष्ण विजय : डिग्री कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाये जा रहे हैं और इन्टर में कौन कौन से विषय पढ़ाये जा रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बी० ए० के अन्दर जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लिट्रेचर ऐच्छिक हिन्दी, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति और राजनीति विज्ञान। इन्टर के अन्दर इतिहास, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित, फिजिक्स और केमेस्ट्री।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक भी ऐसा विषय नहीं मिला जो कि इन्टर में पढ़ा रहे हैं और डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। जो इन्टर में सब्जेक्टस हैं They are quite different. Then you have related to degree College....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए थोड़ा समझने की जरूरत है, जो सब्जेक्ट्स इन्टर में वही बी० ए० में परिणित हो जाते हैं, शायद इसी के कारण आपको कुछ डिफिकल्टी मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

सहकारी विभाग में दूसरे विभागों से स्थानान्तरित निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक

६१६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में किन किन कर्मचारियों का सहकारिता विभाग में इन्सपेक्टर्स और असिस्टेंट इन्सपेक्टर्स के पदों पर दूसरे विभागों से स्थानान्तरण हुआ ?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) जिनका स्थानान्तरण हुआ उनमें कौन कौन इस विभाग के लिए ट्रेण्ड हैं ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी लिया गया है जो दूसरे कामों में सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिये हुए थे ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रकार के स्थानान्तरण से विभागीय इन्सपेक्टर्स तथा असिस्टेंट इन्सपेक्टर्स को प्रमोशन के मामले में काफी नुकसान हुआ है और वे इससे काफी असन्तुष्ट हैं ?

उप मंत्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) इन्सपेक्टर्स के पदों पर जिनका स्थानान्तरण हुआ है उसकी सूची परिशिष्ट (क) में संलग्न है। असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स के पदों पर कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

(२) पहिले से कोई नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब दूसरे डिपार्टमेंन्ट्स में ट्रेन्ड थे तो इनको इस डिपार्टमेन्ट से ट्रान्सफर क्यों कियागया ?

श्री दौलतराम सारण : यह ग्रामसेवक थे और ग्रामसेवकों को विकास विभाग की प्रमोशन कमेटी की सिफारिश पर राज्य सरकार के आदेश से ऐसा किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्रम-दान द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्मित भवन-जिला कोटा

६१७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में ऐसे कितने भवन अभी बिना उपयोग के पड़े हैं जिन्हें सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग के लिए जनता ने श्रम-दान से निर्मित किये हैं ?

(२) उक्त भवनों के अभी तक खाली रखे जाने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार शीघ्र ही इन भवनों को उपयोग में लायेगी ?

मंत्री, कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा-विकास मंत्री की ओर से) : (१) एक भी नहीं।

(२) इन भवनों का निर्माण कार्य अभी चालू है।

(३) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद के अन्दर एक मेटरनिटी होम बनाया गया था वह आज चार साल से खड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पूरा बना हुआ नहीं होगा।

Page No 19

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, इसके विषय में मैं पहले भी प्रश्न कर चुका हूं। वह बन चुका है और उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी जो मेरे पास सूचना है वह यह है कि कोई भी मकान जो पूरे बने हुए हैं उनमें अभी तक एक भी ऐसा नहीं हैं कि जिसका उपयोग नहीं किया गया हो। हां, कुछ अधूरे पड़े हैं किसी में कुछ करना है और किसी में कुछ करना है और अगर उनको इसी हालत में आकुपाई कर लेते हैं तो फिर लोग उनको पूरा नहीं कराते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका व्हाइट वाश नहीं हुआ होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं कि इसके संबन्ध में क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन पूछने से तो कोई काम पूरा नहीं हो जाता।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यह पूरा हो चुका है और इसके लिए मैं हाउस में दो बार क्वेश्चन भी कर चुका हूं। यहां पर कोई भी इम्पलीमेन्ट्स वगैरह नहीं भेजे जाते हैं और यह गलत इन्फोर्मेशन देते हैं कि भवन ही खड़ा नहीं हुआ है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि कुछ न कुछ कमी रहती है तो इस केस में क्या कमी रही है? We want to know it.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप किसी स्पेसिफिक भवन के लिए पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ इस तरह का माननीय मंत्रीजी की तरफ से जवाब मिलना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है कि कुछ कमी है?

श्री मदनसिंह : इस कमी की रिपोर्ट कब आई इनके पास। अगर इस तरह से मिनिस्टर साहब जवाब देंगे तो कोई काम नहीं होगा। I can assure the House that... ऐसा मालूम होता है कि इनके पास सही इन्फोर्मेशन नहीं है।

प्रश्न संख्या ६१८

श्री उपाध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शीप फार्मिंग के लिए स्वीकृति धनराशि

६२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर—श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) :

Page No 20

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल*)

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में शीप फार्मिंग के लिए लोन दिए जाने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की हुई है ?

(ख) किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया लोन देने के लिए अलॉट किया हुआ था और उसमें से कितना कितना व्यय हुआ ?

(ग) निर्धारित योजना के अनुसार कर्ज देने में यदि कोई कमी रही है तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि शीप फार्मिंग के लिए लोन देने के लिए नियम १९५९ में ही बने हैं ? यदि हां, तो इतनी देरी से क्यों तथा इन नियमों से पूर्व जो लोन दिया गया वह किन नियमों के आधार पर ?

उप मन्त्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) ८ लाख रुपये की धनराशि ।

(ख) प्रत्येक वर्ष में अलॉट किये हुए और व्यय किये हुए रुपयों के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have not got any list. I have got only one list on behalf of Shri Bhairon-Singh.

श्री उपाध्यक्ष : I have confirmed, it is in the Notice Office.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I must get it.

श्री उपाध्यक्ष : It is there in the Notice Office.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : How can I get it ?

श्री उपाध्यक्ष : If you move, you can get it. How can I help it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So far as I am concerned, there is no list.

श्री उपाध्यक्ष : So Did you make an enquiry about it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I put my signatures there, there is no list.

श्री दौलतराम सारण : (ग) कर्ज देने में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) शीप फार्मिंग उद्योग सर्वेक्षण और विभिन्न आवश्यकताओं की अधिकृत जानकारी सन् १९५७-५८ तक पूरी नहीं हो पाई थी अतः न तो ऋण विधेयक, नियम बनाना ही सम्भव था और न उनके अभाव में ऋण ही वितरित किया जा सकता था । ज्यों ही ऋण देने के नियम सन् १९५८-५९ में सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये कर्ज देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई ।

(घ) ज्योंही सर्वेक्षण व विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त हुई तुरन्त ही कर्ज देने के नियम प्रस्तावित किये गये जिनकी स्वीकृति सरकार द्वारा सन् १९५८-५९ में ही हुई । देरी होने के कारण नं० (ग) के अन्तर्गत दिये गये हैं । नियमों के निर्माण से पूर्व कोई रकम पशु पालन विभाग को कर्ज के रूप में नहीं दी गई ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(श्री दौलतराम सारण)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो रूल्स बनाये हैं तो रूल्स बनाने में काफी समय बीत चुका है।

श्री दौलतराम सारण : देर होने के कारण (ग) में दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियम बनाने के कारण बतलाये गये हैं। किन्तु नियम बनाने से पूर्व कोई रकम पशुपालन विभाग ने कर्ज के रूप में दी गई या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ६२१

श्री उपाध्यक्ष : करणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

विकास खण्ड अधिकारियों के पदों पर पेन्शन प्राप्त सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति

६२२. श्री भैंरोंसिंह (श्रीमाधोपुर—श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा पूछा गया) : क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर एक्स मिलिटरी पर्सन को नियुक्त करने की योजना बनाई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब कब तथा इस पद के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई थी ?

(ग) यह सलेक्शन किसके द्वारा किया जाने वाला था और उनका कब सलेक्शन हुआ ?

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किस किस योग्यता के किन किन मिलिटरी पर्सन्स को इस पद पर किस तारीख से नियुक्त किया गया ?

(ङ) क्या यह सही है कि योग्यता अधिक रखने के कारण ज्यादा व्यक्तियों का सलेक्शन नहीं हो सका ?

मन्त्री, यातायात विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा, विकास मन्त्री की ओर से) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। आवेदन-पत्र क्रमशः दिनांक १० अप्रेल व २७ अगस्त, सन् १६५८ को आमन्त्रित किये गये थे। इस पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई थीं, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) चुनाव एक कमेटी द्वारा किया गया था जो क्रमशः ६ मई व १८ नवम्बर, १६५८ को हुआ था।

(घ) श्री सवाईसिंह व श्री गुमानसिंह की नियुक्ति के आदेश दिनांक १२ दिसम्बर, सन् १६५८ को जारी किये गए थे। इनकी योग्यताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई

Page No 22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। श्री सवाईसिंह ने इस पद पर आना स्वीकार नहीं किया।

(ड) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : सूची इस बात की दी थी, क्या उसमें that I don't want to join...ऐसी श्री गुमानसिंह ने इस बात की लिखित सूचना दी थी?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : What about Shri Guman Singh?

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister please. He is not serious about putting a question which need not reply.

प्रश्न संख्या ६२३।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर तथा लूणकरणसर में पीने के पानी की व्यवस्था

६२४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष गर्मी में बीकानेर तथा लूणकरणसर में कहां कहां पीने के पानी की कमी का संकट आया?

(ख) इस संकट के निवारणार्थ सरकार ने क्या स्थायी योजनाएं बनाई हैं?

मंत्री, यातायात विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : अभी इसका जवाब आया हुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

नेक्स्ट। श्री ज्ञानचन्द मोदी।

अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में दिया जाने वाला भत्ता

६२५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ट्रेनिंग में भेजे गये अध्यापकों को सरकार इस समय कितना भत्ता देती है?

(२) क्या इनको पहले ट्रेनिंग समय में पूरी तनख्वाह दी जाती थी?

(३) सरकार २५) रु० माहवार एक अध्यापक के खर्च के लिए किस दृष्टिकोण से उचित समझती है?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) विविध प्रकार की ट्रेनिंग के लिए जो अध्यापक भेजे जाते हैं उन्हें स्टाइपैन्ड मिलता है।

१. बी. एड. ट्रेनिंग ४०) रु० प्रति माह १० माह तक।

२. एस. टी. सी. २५ रु०

३. फिजीकल एजूकेशन ट्रेनिंग

अ. डिप्लोमा कोर्स ३० रु० प्रति माह।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ब. सर्टिफिकेट कोर्स २० रु० प्रति माह ।

(२) जो सरकारी कर्मचारी १-७-५४ से पहले के हैं और जिनकी नियुक्ति पक्की हो चुकी है उन्हें सीनियोरिटी के आधार पर कुल सीटें जो ट्रेनिंग के लिए दी जाती हैं उसका २५ प्रतिशत एस० टी० सी० और बी० एड० (फुल कोर्स) के लिए पूरे वेतन पर भेजे जाते हैं बाकी ७५ प्रतिशत सीटों में दूसरे कर्मचारियों को सीनियोरिटी के आधार पर स्टाइपेन्ड पर भेजा जाता है ।

(३) स्टाइपेन्ड सहायता के तौर पर दिया जाता है न कि पूरा खर्च चलाने के लिए । यह सहायता प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने के लिए दी जाती है ताकि विभाग को प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त हो सकें ।

विकास समिति, पदमपुर विकास खण्ड के सदस्यों की नियुक्ति

६२६. श्रीमती सतवंतकौर (श्री करणपुर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पदमपुर ब्लोक में इस समय सरपंचों के अतिरिक्त कौन कौन से गैर सरकारी व्यक्ति विकास समिति के सदस्य किस आधार पर नियुक्त किए गए हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि श्री मनफूल सिंह, एक्स एम. एल. ए. इस क्षेत्र के न रहने वाले ही हैं और न ही इस क्षेत्र से पहले एम. एल. ए. चुने गए थे ? यदि हां, तो फिर इनको किस आधार पर विकास समिति का सदस्य बनाया गया है ?

मन्त्री, यातायात विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) श्री मनफूलसिंह, संयोजक, भारत सेवक समाज व सामाजिक कार्यकर्ता होने के आधार पर खण्ड विकास समिति के सदस्य बनाए गए ।

(ख) जी हां । इन्हें भारत सेवक समाज के प्रतिनिधि के रूप में समिति का सदस्य बनाया गया है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): समाजिक कार्यकर्ता की क्या परिभाषा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो समाज की सेवा करे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द जैन ।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या समाज सेवा का ठेका गंगानगर में इन दोनों ने ही लिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी समझ में न तो क्वेश्चन आता है और न जवाब ही आता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मन्त्री महोदय का स्वयं का दिमाग खराब है कि बात समझ में नहीं आती है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order Order.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मन्त्री महोदय को जरा संयम से काम लेना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : संयम तो उधर से ज्यादा दिखा रहे हैं।

प्रश्न संख्या ६२७

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

जनसेवा आयोग द्वारा आर. जे. एस. के पदाधिकारियों का चयन

६२८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर—: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या विधि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हाल में राज्य जन सेवा आयोग द्वारा आर. जे. एस. का सलेक्शन किया गया था।

(२) यदि हां, तो सरकार ने आर. जे. एस. के कितने स्थान के लिए सलेक्शन करने को पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा था और पी. एस. सी. द्वारा कितने व्यक्तियों का सलेक्शन किया गया ?

(३) यदि सलेक्शन के लिए निर्धारित संख्या तथा नियुक्त किए जाने वालों की संख्या में अन्तर है, तो क्यों ?

(४) यह सलेक्शन किन किन का तथा किस ऑर्डर ऑफ मेरिट में हुआ था ? कृपया उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

मंत्री, विधि विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) :(१) आर. जे. एस. का पिछला सलेक्शन राज्य जनसेवा आयोग द्वारा मार्च सन् १९५९ ई०. में हुआ।

(२) शुरू में ८ व्यक्तियों के लिए लिखा गया। परन्तु बाद में चार व्यक्तियों के लिए और लिखा गया। परन्तु इस प्रकार १२ व्यक्तियों के लिए लिखा गया था। राज्य जन सेवा आयोग ने १४ सफल प्रत्याशियों की सूची भेजी जिनको कि आयोग ने उपयुक्त समझा था।

(३) कोई अन्तर नहीं।

(४) वांछित तालिका इस प्रकार से है:-

(१) मिस. मोहनी सक्सेना

(२) श्री निदेशचन्द्र हजेला

(३) श्री मिलापचन्द जैन

(४) श्री रविन्द्रनाथ

(५) श्री रनजीतचन्द भन्साली

(६) श्री जगदीशकुमार माथुर

(७) श्री आनन्दीलाल वर्मा
(अनुसूचित जाति)

(८) श्री ओमप्रकाश जैन

(९) श्री हरस्वरूप दरबारी

(१०) श्री स्वरूप राज भनसाली

(११) श्री राजेन्द्र प्रसाद

(१२) श्री श्रीभगवान श्रीवास्तव

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जिन चार व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार ने लिखा है जन आयोग के लिए वह किस तरीके से लिखा है ?

Page No 25

श्री रामकिशोर व्यास : चार के लिए जरूरत थी इसलिए चार के लिए लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार के लिए लिखा है तो क्या यह सही है कि सिलेक्शन के बाद लिखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १४ व्यक्तियों को सिलेक्ट किया है पी० एस० सी० ने और १२ व्यक्तियों को आपने किया है या १४ ही व्यक्तियों को ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपने प्रश्न में पूछा नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप बता सकते हैं कि १४ व्यक्तियों के सिलेक्शन के लिए लिखा है या आपने १२ पोस्ट्स के लिए लिखा है। आपने १४ व्यक्तियों का एपाइन्टमेंट किया है या १२ का।

श्री रामकिशोर व्यास : पी० एस० सी० वाले २,३ को ज्यादा सिलेक्ट करके भेजते हैं, क्योंकि कभी कोई जो इन नहीं करता है या कोई मेडीकली अनफिट हो जाता है। इसलिए एक दो नाम ज्यादा भेजते हैं, और उसी ऑर्डर से लिए जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

पुलिस वेलफेयर फण्ड, झुंझुनूं

६२६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) :** क्या मन्त्री, गृह विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनूं जिले में पुलिस वेलफेयर फण्ड में कितना रुपया है ?

(२) उन रुपयों को वितरण करने का क्या तरीका है ?

(३) इस फण्ड में से किस-किस व्यक्ति को कितना कितना रुपया किस किस आधार पर मिला है ? क्या यह सही है कि किसी जनता के व्यक्ति को भी सहायता दी गई है ?

मंत्री, गृह विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जयपुर बैंक की झुंझुनूं ब्रांच में १८७१ रु० २३ नये पैसे हैं।

(२) राजस्थान पुलिस वेलफेयर व केन्टीन फण्ड के नियम हैं जिनके अनुसार कार्य किया जाता है।

(३) दो कान्स्टेबल श्री हनुमाना नं० ३४७ व श्री कल्याणसिंह नं० ४५ एवं विशालाराम पुलिस कारपेन्टर को। ५०) रुपये प्रत्येक कान्स्टेबल एवं १००) रुपये पुलिस कारपेन्टर को दिये।

उन्हें सहायता देने में केवल उनको ही व उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी को दृष्टि में रखा गया था। इस फण्ड में से जनता के आदमी को कोई सहायता नहीं दी गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके लिए कोई कमेटी बनी हुई है या एस० पी० महोदय ही स्वयं सेन्क्शन करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स बने हुए हैं।

Page No 26

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कमेटी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कमेटी का मुझे पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह।

भूतपूर्व अजमेर राज्य के वरिष्ट मुख्यध्यापकों की पदोन्नतियां

६३०. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Education Minister be pleased to answer the following:—

1. After the merger of Ajmer with Rajasthan, how many senior Head Masters of the former State of Ajmer have been promoted as Inspectors of Schools and during the same period, how many senior Head Masters of the erstwhile state of Rajasthan have been promoted as Inspectors of Schools ? Please give details regarding length of service in the Department, educational qualifications and experience in respect of each individual.

2. Has the inter-laced seniority been fixed up in respect of the Head Masters of former State of Ajmer and Rajasthan? If so, will the Government put the list on the table of the House ?

3. Is it a fact that some of the Head Masters appointed to officiate as Inspectors of Schools in the leave vacancy, have been kept on indefinitely ? If so, will the Government put the list of all such cases on the table of the House, giving dates of such appointments ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण होने के पश्चात् ६ प्रधानाध्यापक अजमेर से शिक्षा निरीक्षक की जगह पर लगाये गये हैं। इनकी योग्यता वगैरह की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। एक प्रोविजनल इन्टर-सी सीनियॉरिटी की लिस्ट बन चुकी है। इस लिस्ट की कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

मेजर श्री फतेहसिंह : Has this seniority been determined on the basis of first appointment to service or on the basis of appointment as Head Masters ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The Inter-laced seniority has been prepared from the date of appointment as Head Masters.

मेजर श्री फतेहसिंह : Does not the Government realise that in the former State of Ajmer there were not many

(मेजर श्री फतेहसिंह)

High Schools so many of the teachers even though they had come in service earlier then many of the Head masters of the former State of Rajsthan and so appointment is given on the basis of appointment as Head Master then An injustice has been done to them...

श्री पूनमचंद विश्नोई : All these facts have been taken into consideration while making the Rules. It was thought best that the seniorty list should be prepared on the basis of appointment as Head Master.

मेजर श्री फतेहसिंह : I draw the attention of the Hon'ble Minister to page 2, item 6 of the list. One individual even though he had come in service on 16.7.39 and simply because he became Head Master earlier so he was made Inspector of Schools in 56 whereas another individual Mr. J. Nath at item no. 13 of page 3 though he was appointed on 11.?.37, because he was Head Master in 1952, only therefore he could not be appointed as I O S.

श्री पूनमचंद विश्नोई : This list is provisional and objections have been invited. If any body is agrieved, he can put his claims and grievances and thereafter the list will be finalised.

मेजर श्री फतेहसिंह : Will the Government consider the appointment of I.O.S. on the basis of first appointment in service rather than on the basis of first appointment as Head Master ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : No Sir. To that we cannot agree, because those persons who were appointed earlier, they might have been appointed in the Middle grade and might have been only Middle passed, but thereafter they might have risen up taking further higher examinations. So this is a very complicated and difficult matter. We have therefore laid down the criteria that we thought best in the circumstances. Objections have been invited and if any gentleman is aggrieved, it is for him to put up the case before the Department.

मेजर श्री फतेहसिंह : If there is a particular individual who was a trained Graduate, when he entered into service, will the Government consider his case ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : I will submit, Sir, that there are thousands of teachers who are in Graduate's gade and I am not able to give reply on a particular case off-hand. The Hon'ble mmeber knows of one case, but there may be hundred other cases which may not be known to him

मेजर श्री फतेहसिंह : What is the policy of the Government ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : The policy of the Government is published in the rules and regulations and if any-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

body is not satisfied with the rules, they can point it out. But in the Assembly I cannt say any thing about the propriety of the rules which have been decided after due consideration. If a particular case is pointed out, we can do something.

श्री महेन्द्रसिह पंवार (अजमेर पूर्व) : That is what he is asking.

मेजर श्री फतेहसिंह : I have just given an example of the case of Shri J. Nath, Head Master of Multi-purpose School, Beawar. He entered service on 11-2-1937 and was appointed as Head Master in 1952. Even though he came in to service many years earlier than other Head Masters of Rajasthan, he has not been promoted os Dy. I. O. S. or I O. S. because as Head Master he has less service than those other Head Masters who have been promoted as I. O. S. and Dy. I. O. S.

श्री पूनमचंद विश्नोई : There might be persons who may have been appointed as Head Masters even earlier than Shri J. Nath and who also had entered service earlier than his entering the service, and still they may be continuing as Head Masters, because selection for I. O. S. is made on the seniority-cum-merit basis. Posts are few and Head Masters are many and there can be grievances with some of them. I quite realise it.

श्री उपाध्यक्ष : Next.

(प्रश्न संख्या ६३१)

श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या ६३२)

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद ।

सर्किट हाउसेज

६३३. श्री चंदनमल वैद (सरदार शहर-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया) : Will the Chief Minister be pleased to state :

1. What is the number of rooms in Jaipur, Jodhpur, Kotah, Bikaner, Udaipur and Ajmer Circuit Houses and Government Hostel, Jaipur ?

2. What is the total accommodation in each of the above mentioned Circuit Houses and Government Hostel, Jaipur ?

3. What is the average occupancy from January, 1959 to June, 1959 in each of the above mentioned Circuit Houses and the Government Hostel, Jaipur ?

4. What is the strength of Clerks, Farrashes, Jamadars, Cycle Sawars,

Page No 29

(डॉ बहादुरसिंह)

peons and Bhisties in each of these Circuit Houses and Government Hostel, Jaipur ?

5. What are the emoluments of the respective Superintendents of the above mentioned Circuit Houses and the Supervisor, Government Hostel, Jaipur ?

6. How many conferences and functions were held in each of these Circuit Houses and Government Hostel, Jaipur, from January, 1959 to June, 1959 ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. The number of rooms is given below :—

Rajasthan State Hotel, Jaipur.

28 rooms (10 single and 18 doubles).

circuit House, Jodhpur.
9 rooms.

Circuit House, Kotah.
9 rooms (1 single, 8 double).

Circuit House, Bikaner.
14 rooms.

Circuit House, Udaipur.
13 rooms.

Circuit House, Ajmer.
8 rooms.

Government Hostel, Jaipur.
94 rooms, including 2 Dining rooms and 3 meeting rooms.

2. The information is given below:—

1. Rajasthan State Hotel, Jaipur.
46 persons.

2. Circuit House, Jodhpur.
9 persons.

3. Circuit House, Kotah.
17 persons.

4. Circuit House, Bikaner,
16 persons.

5. Circuit House, Udaipur.
26 persons.

6. Circuit House. Ajmer.
13 persons.

7. Govornment. Hostal, Jaipur.
127 persons.

3. The information is given below:—

1. Rajasthan State Hotel, Jaipur.
19 persons per day.

2. Citcuit House, Jodhpur.
44 persons per month.

3. Circuit House, Kotah.
67 persons per month.

4. Circuit House, Bikner.
6 persons per day.

5. Circuit House, Ajmer.
142 persons per month.

6. Circuit House, Udaipur.
8 persons per day.

7. Government Hostel, Jaipur.
65 persons per day.

Page No 30

(श्री नाथूराम मिर्धा)

4. The information is given in the statement at A.

5. The information is given below: –

1. Superintendent, Rajasthan State Hotel, Jaipur.

Rs. 700/- p.m.

2. Manager, Circuit House, Jodhpur.. 280/-p.m.

3. Manager, Circuit House, Kotah. 215/-p.m.

4. Manager, Circuit House, Bikaner. 210/-p m.

5. Manager, Circuit House, Udaipur. 325/-p m.

6. Manager, Circuit House, Ajmer. 230/-p.m.

7. Supervisor, Government Hostal, Jaipur.

134/-p.m.

6. The information is given below:-

Name of Deaptt.	No. of Conferences.	No. of Functions.
Rajasthan State Hotel. Jaipur.	—	—
Circuit House, Jodhpur.	2	23
Circuit House, Kotah.	1	-
Circuit House, Bikaner	—	-
Circuit House, Udaipur	-	-
Circuit House, Ajmer.	-	-
Government Hostel, Jaipur	34	-

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह : जब गवर्नमेंट होस्टल में इतनी अधिक कांफ्रेन्सेज होती हैं तो उनको देखते हुए क्या वहां पर स्टाफ पर्याप्त है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो अभी है वह ठीक है । टाइम टू टाइम बात होती है, हाउस कमेटी इस मामले को देखती है ।

डॉ० बहादुरसिंह : सुपरवाइजर की पे वगैरह क्या गवर्नमेंट होस्टल के स्टेन्डर्ड और दूसरे सर्किट हाउसेज के स्टेन्डर्ड को देखते हुए पर्याप्त है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पे जरूर कम है लेकिन पे की कमी की वजह से गड़बड़ हो रही हो ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Are you satisfied with the question of salary ?

प्रश्न संख्या ६३४

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल यादव ।

हाई स्कूल, सियाणा, जिला जालोर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन

६३५. श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(श्री अमृतलाल यादव)

(१) क्या सियाणा, जिला जालोर की जनता एक लम्बे अर्से से वहां के हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिणित करने की मांग कर रही है ?

(२) यदि हां, तो क्या कारण है कि वहां की जनता द्वारा हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिए आवश्यक भवन निर्माण कर देने और छात्रों की पर्याप्त संख्या होने पर भी अभी तक वहां हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं खोला गया है ?

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) सियाणा में कोई हाई स्कूल नहीं है ।

(२) इस वर्ष जिला जालोर में केवल एक हायर सेकेन्डरी स्कूल गुढ़ाबालोता में खोला गया है । यहां छात्र संख्या तथा भवन की सुविधा के साथ यह कारण भी था कि तहसील आहोर में कोई हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं थी जब कि जालोर जिले की बाकी तीन तहसीलों में हाई या हायर सेकिन्डरी स्कूल है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

राजस्थान नहर

६३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) राजस्थान नहर के पानी से लिफ्ट सिस्टम से किन किन गांवों की कितनी कितनी भूमि को सिंचित किया जा सकेगा ?

(ख) क्या लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम बनाई जा चुकी है ? अगर हां, तो इस स्कीम की कार्यान्विति में कुल कितना खर्चा होगा तथा कितने वर्षों में लिफ्ट एरिया को पानी मिल सकेगा ?

उप-मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : (क) राजस्थान केनाल क्षेत्र के आपरीक्षण का कार्य अभी प्रगति पर है । लिफ्ट सिस्टम से कितनी भूमि सिंचित होगी इसका चुनाव क्षेत्र के आपरीक्षण के पूर्व निश्चय करना सम्भव नहीं है ।

(ख) लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम अभी तक नहीं बनी ।

श्री भीमसेन : जब लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम बनी नहीं है तब सर्वे किस बात की हो रही है, किस एरिया की हो रही है ?

श्री भीखाभाई : रेक्टेंगुलर सर्वे हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्योलोजीकल डिपार्टमेंट कर रहा है, जो दिसम्बर तक खत्म हो जायगा ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम के बने बिना राजस्थान सरकार ने अधिकांश गांवों को लिफ्ट इर्रिगेशन में डिक्लेअर कर दिया है ।

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है । यह अन्दाज किया होगा कि कितनी इर्रिगेशन लिफ्ट इर्रिगेशन से होगी । उसके आंकड़ों पर बता सकते है कि कितना अन्दाज है ।

Page No 32

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि १४ मई, १९५९ को एक गजट नोटीफिकेशन निकला है और उसमें तीन गांवों को इनक्लूड किया है ?

श्री भीखाभाई : यह सही है। मैंने अर्ज किया कि सर्वे बाजाप्ता होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई है।

श्री भीमसेन : अगर स्कीम नहीं बनी है तो गांवों को किन आधार पर डिक्लेअर किया है ?

मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : मैं निवेदन करूं कि दो तरह की सर्वे होती है, एक प्रिलिमिनरी और एक डिटेल्ड। प्रिलिमिनेरी सर्वे हो गई है, उसकी सूचना दी है।

श्री भीमसेन : आप फर्मा रहे हैं कि स्कीम नहीं बनी है, फिर सर्वे किस का हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह कब कहा।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

ग्राम खटका तथा कलोनी, तहसील शाहबाद, जिला कोटा के सिंचाई योग्य तालाब

६३८. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम खटका व कलोनी, तहसील शाहबाद, जिला कोटा के तालाबों की सिंचाई विभाग की ओर से कितनी बार सर्वे हो चुका है।

(२) क्या सरकार इन तालाबों को शीघ्र सिंचाई योग्य बनाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्रीभीखाभाई) : (१) उक्त तालाबों की सर्वे दो बार हो चुकी है।

(२) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने कहा कि सर्वे हो चुकी है, कब कब हो चुकी है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि दो बार सर्वे की गई है, एक बार की रिजेक्ट हो गई है, दुबारा प्रिलिमिनरी सर्वे की गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं पूछ रहा हूं कि कब कब हुई है, तारीख बतायें ?

श्री भीखाभाई : यह तारीख मेरे पास नहीं है। आपका मतलब घी खाने से है, गाय किधर से आई, इससे मतलब नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं आपको बताऊं कि शाहबाद में सिंचाई के पानी का तो अभाव है ही, पीने के पानी का भी अभाव है। अगर तालाब बन जायगा तो पीने के पानी का संकट दूर हो जायगा और उत्पादन बढ़ेगा। जब सर्वे हो चुकी है तो तालाब क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि तखमीना तैयार हो रहे हैं, उसके बाद स्वीकृति हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

मॉन्टेसरी स्कूल-भरतपुर

६३६. **डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भरतपुर में मॉन्टेसरी स्कूल है ? यदि हां, तो क्या उसमें परिगणित जाति के छात्रों से शिक्षा-शुल्क लिया जाता है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनम चंद विश्नोई) : जी हां। मान्टेसरी स्कूलों में सभी जाति के छात्रों से शिक्षा शुल्क लिया जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या उनमें परिगणित जाति के छात्रों से शिक्षा शुल्क लिया जाता है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मौन्टेसरी स्कूल में शिक्षा शुल्क नहीं ली जानी चाहिए जब कि आठवीं क्लास तक फीस न लेने का प्रावधान है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह जो प्रणाली है, इसमें खर्चा अधिक होता है। जो महानुभाव उसमें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वे फीस दें।

डॉ० चंद्रकला : क्या सरकार ने मोन्टेसरी स्कूलों के लिए फीस निर्धारित कर रखी है।

श्री पूनमचंद विश्नोई : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाय। ३१ नम्बर के क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आ रहा है। सिलसिला चालू है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६०३।

श्री उपाध्यक्ष : No, you will repeat the question. The question has to be placed before the House.

अल्पकाल सूचना प्रश्न

सर्किट हाउस तथा एरोड्रम का निर्माण-नागोर

६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : Will the Minister for Public Works Department be pleased to state:-

(श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल)

1. Whether a landing ground is being constructed or repaired at Nagaur? If so, how much amount is going to be spent thereon?

2. Is it also a fact that a new circuit house is going to be constructed there or is under construction or huge repairs to the old one? If so, what amount is going to be spent thereon?

3. Please state the total amount proposed or expected to be spent for the purpose.

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : 1. Improvement to existing landing ground is being taken up at an estimated cost of Rs. 87,100.

2. No. There is a proposal for additions and alterations to the existing Dak Bungalow, Nagaur at an estimated cost of Rs. 76,700.

3. From the Public Works Department side a sum of Rs. 2,25,000 is expected to be spent.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो एरोड्रम बनाया जा रहा है, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़े हवाई जहाज उतारने के लिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जोधपुर और बीकानेर में बड़े हवाई जहाज नहीं उतारे जा सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर में, जयपुर में उतारे जा सकते है और दिल्ली से कार में भी आ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो ८७ हजार रुपया लगाया जा रहा है, ऐसी हालत में यह रुपया बीकानेर या जोधपुर में दूसरी योजनाओं में नहीं लगाया जा सकता था? एरोड्रम पर रुपया लगाना कहां तक ठीक समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल ठीक समझा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : क्या यह सही है कि इस एरोड्रम पर पंडित जी उतरेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। यह मैदान वहीं रहेगा और कई हवाई जहाज वहां उतरेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि ठीक समझा है। यह कोई उत्तर नहीं है। आप कारण बताइये कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिए इतना रुपया खर्च किया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : नागोर हैड क्वार्टर में एरोड्रम बना रहे हैं, यह बात नहीं है, हमने तय किया है कि जितने डिस्ट्रिक्टस हैं, उनमें एरोड्रम बनाये जायं। केवल एक नागोर है, ऐसा नहीं है, राजस्थान में जितने

Page No 35

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हैं, वहां एअरस्ट्रिप मौजूद हैं, इसके अलावा अच्छे एअर स्ट्रिप को मेन्टेन करके रखना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह योजना है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह योजना है सरकार की...

श्री मदनसिंह : जब सरकार की ऐसी योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट...

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह योजना है सरकार की...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह : यह पालिसी है सरकार की कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐरोड्रम होना चाहिए, तो मैं समझता हूं एक जो एरोड्रम सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, उसे क्यों नहीं सुधारते। आप साफ क्यों नहीं कहते कि पंडित जी का पधारना हो रहा है इसलिए बना रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सीकर वाले की भी हालत सुधरेगी, आप चिंता न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा आप कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एअर स्ट्रिप बनाये जायं, यह किस आधार पर कह रहे हैं, कौन सी प्लानिंग में है, कौन सी पॉलिसी है जिसको आपने तय कर रखा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी विचार किया है। अब थर्ड प्लान बनेगा, तब इस पॉलिसी के इम्प्लीमेन्टेशन करने का प्रयास किया जा सकता है, वह करेंगे। सब जगह एक साथ कर दें यह नामुमकिन है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सेकिंड फाइव ईअर में योजना है जिसके अनुसार यह काम कर रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेकिंड फाइव ईअर प्लान तो खत्म होने आया। अब थर्ड प्लान की बात कर रहा हूं, थर्ड प्लान बनायें, उसमें सोचेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : थर्ड प्लान बनाने के पहले ही नागोर में बना रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : नागोर में बना नहीं रहे हैं, ठीक कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जोधपुर से नागोर तक का रास्ता कार से दो घंटे का है, रोड मोटरेबल है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसी कार हो, वैसा समय लगेगा। अच्छी कार हो तो दो घंटे लग सकते हैं, पुरानी कार हो तो तीन घंटे लग जायेंगे।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू की कार की बात कर रहा हूँ। उनकी कार वहाँ दो घंटे में पहुँच सकती है?

Page No 36

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, ८४ माइल्स है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ८४ माइल्स । अच्छी गाड़ी दो घंटे में पहुंच सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि जोधपुर में उतार कर कार से वहां दो घंटे में ले जाय बजाय ढाई लाख रुपये बरबाद किये जायं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ढाई लाख रुपया नहीं, मैंने बताया कि ८७ हजार रुपया लगेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पंडितजी को तार दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पंडित जी को तार दिया गया है और पंडित जी ने आपको लिखा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष ; Order, Order please, I Hope...

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न इस सम्बन्ध में है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बारे में ऐतराज होता है, इस बात की सूचना क्या आपको है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One question I would like to...

श्री उपाध्यक्ष : I regret Mr. Chaudhary, when there are so many Hon'ble Members standing, I can not...

श्री मदनसिंह : आपको सूचना इस सम्बन्ध में नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नेहरू जी को यह आश्वासन दे दिया गया है कि नागौर में लेडिंग ग्राउन्ड है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक टेलीग्राम पंडित जवाहर लाल नेहरू को दिया था कि इस प्रकार धन का दुरुपयोग होता है। क्या इस सम्बन्ध में आपके पास सूचना आई है कि जो धन का दुरुपयोग होता है, इसलिए ऐसा न किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मदनसिंह : अगर आ जाय तो ?

श्री मुरलीधर व्यास : टेलीग्राम आपको मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं मिला !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने पंडित जवाहर लाल नेहरू को सूचना दी थी कि नागोर में लेडिंग ग्राउन्ड है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नागोर में लेडिंग ग्राउन्ड है, यह सूचना न तो पूछी गई, न दी। वैसे नागोर में एरोड्रम है, मैं कौन्सा मना कर रहा हूं कि नहीं। लेकिन उसमें छोटा प्लेन उतर सकता है डेकोटा उतारने के लिये उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

स्थागित प्रश्न

मिडिल स्कूल भवन ग्राम जसरासर, तहसी नोखा, बीकानेर के निर्माण हेतु द्रव्य

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तारीख ३-१३-५६को ग्राम पंचायत जसरासर के सरपंच को २,०००) रु० वास्ते मिडिल स्कूल भवन के मिले ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम कलेक्टर, बीकानेर ने बिना जिला विकास समिति की राय के दी ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रकम कलेक्टर, बीकानेर ने कोलायत से भाप तक की सड़क के लिए मंजूरशुदा रकम में से दी ? अगर हां, तो इसका क्या कारण था ?

(घ) ग्राम जसरासर के मिडिल स्कूल भवन का शिलान्यास किस तारीख व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया ? इतने दिनों तक उक्त भवन के लिए सरकार ने सहायता स्वरूप धनराशि क्यों नहीं दी ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, उक्त रकम कोलायत से मड तक सड़क बनाने हेतु मंजूरशुदा रकम में से दी गई। इसकी अनुमति जिला विकास समिति ने दे दी थी।

(घ) इस स्कूल भवन का शिलान्यास जिला विकास अधिकारी श्री आर. डी. थापर ने १६ जनवरी, १६५६ को किया था। सरकार द्वारा स्टे ऑर्डर जारी हो जाने के कारण उक्त धन राशि देर से दी गई।

श्री गिरधारीलाल : ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि सड़क का रुपया स्कूल में दे दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह फेमिन रोड थी, उसका काम बन्द हो गया, कुछ रुपया सरप्लस पड़ा था, डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने स्कूल भवन को पूरा करने के लिए दे दिया।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि सर्विस के अनुसार सरकारी अधिकारी शिलान्यास नहीं कर सकता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकारी अधिकारी नहीं कर सकता।

प्रश्न संख्या १३७

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

सरकारी मोटर गाड़ियों पर किया जानेवाला व्यय

३३२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्यमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५३ में कुल सरकारी मोटर गाडियां कितनी थीं और सन् १९५९ में कुल कितनी हो गई हैं ?

(ख) इन गाड़ियों पर सरकार का कितना वार्षिक व्यय होता है ?

(ग) क्या सरकार इन गाड़ियों के व्यय में कमी करना चाहती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

प्रधानाध्यापिका, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तोपखाना, जयपुर द्वारा सरकारी रकम का-दुरुपयोग

३६१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर—श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तोपखाना देश, जयपुर के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिक को कुछ अध्यापिकाओं तथा महिला चपरासियों का वेतन और मकान किराये के एरियर्स का भुगतान करने के लिए डिपार्टमेंट से कुछ रकम मिली हुई थी जिसको प्रधानाध्यापिका ने न तो उनको दिया और न ही खजाने में वापिस जमा कराया ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ? यह रकम कब कब प्रधानाध्यापिका को मिली थी और कब कब तकसीम हुई या वापिस जमा कराई गई ?

(ग) क्या यह सही है कि इस स्कूल का समस्त सामान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया हुआ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सामान में कितना और क्या क्या सामान प्रधानाध्यापिका के घर पर काम में लाया जाता है ?

(घ) क्या यह सही है कि एड्मीशन फार्म की कीमत एक आना प्रति फार्म की दर से प्रत्येक छात्रा से वसूल किया जाता है ?

(ङ) यदि हां, तो कुल छात्रा संख्या कितनी है और उसके अनुसार कुल रुपया जमा हुआ है या नहीं ?

(च) क्या यह सही है कि छात्राओं की अनुपस्थिति का जुर्माना वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो सन् १९५८—५९ में कितनी गैर-हाजिरी हुई ? उनका कितना जुर्माना होना चाहिये था और कितना जमा हुआ ?

Page No 39

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) यह रकम प्रधानाध्यापिका ने संबन्धित कर्मचारियों को वितरण नहीं की। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी हां। किन्तु कोई सामान प्रधानाध्यापिका के घर पर काम नहीं लाया गया। सामान को रजिस्टर में दर्ज न करने के बारे में पूछ ताछ की जा रही है।

(घ) यह जांच से साबित नहीं हुआ।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी हां, इस सम्बन्ध में पूछ ताछ की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जांच कौन कर रहा है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोइ : एन्टीकरप्शन को दे दिया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि यह मामला एन्टीकरप्शन को दे दिया गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोइ : जी हाँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सामान दर्ज नहीं है तो सामान कहां है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एन्टीकरप्शन विभाग इस मामले में जाँच कर रहा है, इसलिये सप्लीमेंट्री कम पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ज्यादा सप्लीमेंटरी से जांच में दिक्कत आ सकती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : प्रधानाध्यापिका के पास में सामान नहीं है यह कैसे पता चला ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : डिपार्टमेंटल जांच से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : डिपार्टमेंटल जांच किसने की ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, जयपुर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : (अजमेर सु.) मेरा एक पहला प्रश्न है ६०१ नं० का उसका उत्तर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। मैंने पहले आपका नाम पुकारा था। वैसे मैंने पहले ही १५ मिनिट ज्यादा दे दिये हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मेरा नाम नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम बोला था, You were not here. Yes resalution to be moved by Dr. Bahudur Singh.

१२. २५. म० प०

गैरसरकारी संकल्प

प्रशासन में व्याप्त शिथिलता के कारणों का पता लगाने व उनको दूर करने सम्बन्धी संकल्प

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदनके समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत करता हूँ जो इस प्रकार है:

Page No 40

(डॉ० बहादुरसिंह)

'सदन की सम्मति है कि प्रशासन में व्याप्त शिथिलता के कारणों का पता लगाने व उनको दूर करने के लिये सरकार को परामर्श देने हेतु सदन के सदस्यों की विभागीय समितियों का गठन किया जाय।'

माननीय उपाध्यक्ष, यदि किसी विभाग से कोई व्यक्ति प्रार्थना पत्र देकर जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसको बड़े लम्बे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, लोग इसे लाल फीताशाही कहते हैं। जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय इस लालफीतेशाही से देश को पीड़ित समझा जाता था। आज भी उसी मशिनरी में होकर हमारे कागज घूमते हैं। देश आजाद जरूर हुआ पर उन तौर तरीकों को नहीं बदला गया है और न उनमें कोई परिववर्तन आया है। लोग समते हैं कि आज यदि किसी कागज या प्रार्थना पत्र का कोई व्यक्ति सरकार से निर्णय करना चाहे तो उसको एक लम्बे प्रोसीजर में से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके तथ्य मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

यह निर्विवाद है कि जनता में यह आम भावना घर किये हुए हैं कि हमारा शासन तन्त्र लाल फीतेशाही में चलता है। यदि एक व्यक्ति जिला अधिकारी के समक्ष दरख्वास्त पेश करता है तो कितने लम्बे प्रोसीजर में से होकर उसको गुजरना पड़ता है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य सदन के समक्ष पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले रिसीट डिस्पेच में जाता है जहां पर कि उस कागज को दो दिन लगते हैं, इसके बाद वह प्रार्थना पत्र लेखक की टेबिल पर जाता है, वहां पर वह कागज उसके नोट वगैरह बनाने के लिये एक सप्ताह तक रहता है, लेखक के यहां से आगे चलकर वह प्रार्थनापत्र हैड क्लर्क के पास जाता है, उसके पास भी यह कागज एक सप्ताह तक रहता है इसके बाद वह कागज कार्यालय अधीक्षक के पास जाता है, वहां पर भी वह एक सप्ताह तक रहता है, वहां से यह जिला अधिकारी के पास एक सप्ताह में पहुंचता है और इस तरह कुल मिलाकर उस कागज या प्रार्थनापत्र को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचने में ३२ दिन लग जाते हैं। एक उच्च अधिकारी के पास कागज के पहुँचने ३२ दिन लगते हैं। वह भी साधारण तौर पर चले तो अन्यथा इससे भी और अधिक दिन लग जाते है। इसी प्रकार जिला अधिकारी से और उच्च ऑफिसर के पास पहुँचना हं तो वहां तक पहुँचने में उस कागज को ५ दिन और लग जाते हैं और इस प्रकार उस कागज को बड़े ऑफिसर के पास पहुँचने में ३७ दिन लग जाते हैं। इसके बाद सहायक सचालक या और उच्च अधिकारी है उसके पास पहुंचने में ३७ दिन और लग जाते हैं और इस प्रकार बस लम्बे प्रोसेस में से गुजरते गुजरते १४३ दिन उस कागज को ऊपर पहुंचने में लगते हैं।

तो मैं मानता हूँ कि जनता की शिकायत सही है। आम जनता की शिकायत के सम्बन्ध में एक शायर ने कहा है :

'अवाजे खलक नक्कारए खुदा समझो'

जनता की आवाज है। इसके लिये मैंने रेजोल्यूशन सदन के सामने रखा है। जनता की राय, जनता की राय को डिनाई करें तो वह जनतन्त्र नहीं कहा जा सकता। जनतन्त्र

(डॉ० बहादुरसिंह)

में जनता की राय जनता की ओपिनियन के बारे में लॉबेल हुए हैं उन्होंने कहा है :

"All the Goverments, whatever their name, are in reality, Governments by public opinion and it is on the quality of this public opinion that their prosperity depends.'

बात यह है कि जनता जिस बात को कहती है, कि जिस बात की शिकायत करती है तो उसमें निश्चित रूप से तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को दूर करने के लिये हमें प्रयास करना चाहिए। हम कोशिश यह करते हैं कि एक विभाग जनता के वेलफेअर के लिए कायम करना है तो सबसे पहले एक डायरेक्टर बनायेंगे, फिर डायरेक्टर के नीचे एक डिप्टी डायरेक्टर बना देंगे, वह हैड क्वार्टर्स का डिप्टी डायरेक्टर होगा, इसके बाद ५ असिस्टेन्ट डायरेक्टर बनाने होंगे क्योंकि हमारे यहां ५ डिवीजन्स हैं, हरएक डिवीजन के लिये एक एक असिस्टेन्ट डायरेक्टर होगा। इसका एवरेज लगावें तो एक डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर हैड क्वार्टर्स और इसके बाद सहायक डायरेक्टर बनाये गये ५ क्योंकि ५ डिवीजन्स और २६ जिले हैं तो इस तरह पब्लिक के वेलफेअर की बात करना है, इस चीज को पब्लिक के पास पहुंचना है तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है। यह हमारी व्यवस्था इतनी लम्बी है कि जो काम करना चाहते हैं वह मकड़ी के जाल में फंस जाता है और उस जाल में फंसने के बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि टैक्स पेअर पर भार पड़ जाता है। इस सिस्टम की जांच करें तो बहुत सी पोस्ट्स को अबोलिश या अवोइड कर सकते हैं।

आप सेक्रेटेरियेट में किसी भी फाइल को ले लें। आपको उस फाइल में फ्लेग्ज लगे हुए मिलेंगे। इतने सुन्दर फ्लेग्ज लगे होते हैं कि उससे वह फाइल बहुत ही सुन्दर दिखाई देने लग जाती है। किसी जगह अर्जेन्ट, किसी जगह मोस्ट अर्जेन्ट तो कहीं इमिजियेटली, कहीं बाई हेन्ड तो कहीं टुडे। इतनेसारे चिट आपको उस फाइल में लगे हुए मिलेंगे मगर फिर भी बराबर वह फाइल ढीले होती जावेगी। इसी तरह से किसी भी नोट को आप ले लें। उस पर अच्छा खासा दस्तखतों का प्रदर्शन लगा हुआ होगा। इस तरह की व्यवस्था है उसको हम किस तरह से दूर करें। इस मकड़ी के जाले को किस प्रकार से दूर किया जावे इस बात पर विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए कुछ अपने अधिकारियों का व्यवहार और कार्यकुशलता की ओर ध्यान देना होगा कि आखिर हमारा देश जो आज निर्माण काल की ओर गुजर रहा है किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और किस प्रकार से यह चीज कम हो जो आज हो रही है।

कार्यकुशलता के बारे में हम देखते हैं कि किसी क्लर्क के पास और कोई फाइल नहीं है तो भी वह यह कोशिश करेगा कि जो भी फाइल उसके पास आवे उसको दो दिन बाद डिस्पोज ऑफ करे। वह हमेशा उसको देरी से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा। और इसके कारण हमारे बहुत से काम जो आज हम करना चाहते हैं सप्ताह और १५ व २० दिन या दो तीन महीने बाद होते हैं। यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर किसी विभाग को पत्र लिखेंगे तो उसका उत्तर भी दो तीन महीनों से पहले

(डॉ० बहादुरसिंह)

नहीं मिल सकता। यदि आप किसी मंत्री को पत्र लिखें तो उसका उत्तर जरूर आपको जल्दी मिल सकता है लेकिन विभागीय तौर पर आपको उत्तर दो तीन महीने पहले नहीं मिल सकता।

अब हमें कार्यकुशलता के बारे में यह देखना है कि पेपर कब आया और कब रिसीट हुआ और कितने दिनों के बाद क्लर्क कन्सर्न्ड के पास गया और कितने दिन बाद उसने उस पर नोट लिखा। उसके एक्शन कैसे हैं, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यकुशलता के बारे में मैं एक महान् विचारक के विचार सदन की आज्ञा से सदन में उपस्थित करूं अगर सदन इजाजत दे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विचारक का नाम भी बता दें।

डॉ० बहादुरसिंह : "I think if I had the power to do what I wish to do for the humanity, I would give to every person the ability to put himself into the place of every other person in the world" तो इस तरह से कार्यकुशलता, अगर वास्तव में हमारे जो कर्मचारी और क्लर्क हैं काम करनेवाले अगर एक दिन में १० फाइलें ही डिस्पोज कर सकते हैं तो उनको १० फाइलें ही दी जानी चाहिए और २० फाइलें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं तो २० दी जानी चाहिए। आप किसी भी विभाग में चले जाइए। आपको टेबल पर या टेबल के आसपास लाल, पीले, हरे बस्ते लगे हुए आपको मिलेंगे, इन तरह तरह के रंग बिरंगे बस्तों में आपको फाइलें बंधी हुई मिलेंगी। यह इस बात को बताती है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक की गवर्नमेंट कहाती है वह उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार लिंकन ने कहा था 'Government of the people, for the people and by the people' उस पर्पज को पूरी तरह सर्व नहीं कर पाते, यह जनता की सरकार है जरूर लेकिन ऊपर ऊपर ही है। ऊपर का ढांचा है। विधान सभा जनता की है, मिनिस्टर पब्लिक के हैं मगर जहां सैक्रेट्री के चक्कर में पड़ेंगे तो मिनिस्टर भी चौकड़ी भूल जाते हैं और दूसरे लोग भी जो उनके चक्कर में पड़ते हैं चौकड़ी भूल जाते हैं। आप सदन में ही देख लें। सदन में सदस्य कहते हैं कि गड्डे पड़े हुए हैं लेकिन मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पेपर यह कह रहे हैं कि गड्डे नहीं हैं। मैं यह कहूँगा कि यह उनका कसूर नहीं है। आखिर वे किस किस इलाके में जावेंगे। हर जगह तो वे नहीं देख सकते हैं। लेकिन सदस्य जहां से आता है उसको प्रश्न की स्टडी होती है। जैसे क्लर्क ने इक्वायरी करके जवाब दिया तो फिर उसके ऊपर तो अधिकारी के साइन और उसके बाद उसके उपर वाले अधिकारी के साइन हो जाते जावेंगे। अब बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमारा तो यह स्वभाव है तो इसके बारे में हमें स्वभाव में परिवर्तन करना होगा और उसके लिए जमाने के साथ बदलना होगा। अब जमाना बदल रहा है देश की व्यवस्था बदल रही है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदला है इसलिए हमें स्वभाव में भी परिवर्तन करना होगा। तो इसके तरीकों पर हमें विचार करना चाहिये। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि एक सदस्यों की समिति कायम कर दो सदस्य लोग जो सदन के हैं इस विषय में रुचि रखते हों बैठे और बाद में विचार करेंगे कि आज

Page No 43

(डॉ० बहादुरसिंह)

हमें कितना काम करना है और जनहित के लिये किस प्रकार जनता को सुविधा दे सकते हैं इस बात पर अच्छी तरह से विचार कर सकेंगे।

स्वभाव के बारे में मैं दो जन सम्मितियाँ फिर सदन के सामने रखना चाहता हूं-'The workshop of character is everyday life. There is such a thing as character. It is not born, it is formed.'

हमारा जो स्वभाव है उसमें हम अब परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारा स्वभाव था कि हम हर काम में रोड़े अटकायें और ऑफिस में जो क्लर्क बैठा है वह यह समझता है कि उसको तनख्वाह तो मिल ही जावेगी। उसको तनख्वाह से मतलब है। हमें इस स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिये और अगर नहीं किया तो हम अपने आप को कहीं का नहीं पाते। इस प्रकार से करेक्टर के बारे में कहा गया है। करेक्टर बन जाते हैं मगर विचारक कहते हैं कि बनते नहीं बनाये जाते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि स्वभाव बनाया जाता है। हमने हमारा यह स्वभाव कर लिया कि एक घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। समय ७ घन्टे का है। हमने विचार लिया कि दिन में दो फाइलों से ज्यादा नहीं निकालेंगे। आपको इसके सम्बन्ध में कई नजीरें मिल जावेगी। आप आपके यहां किसी भी पेपर को उठाकर देखलें वर्षों पहले के पड़े हुए होंगे। माननीय राजस्व मंत्री तो इसके लिये बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि किस तरह उनके चारों तरफ ढेर के ढेर कागज पड़े रहते हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जावें आपको वहां हर कागजों के ढेर के ढेर लगे हुए मिलेंगे। उसके लिए कुछ प्लानिंग कमीशन से तय हुआ जो मैंने सुना और समझा, उसमें से एक सिस्टम है जम्पिंग का। यदि कोई कागज या फाइल किसी क्लर्क के पास आए तो फौरन उस पर वह एक नोट लगा कर गजेटेड ऑफिसर के पास भेज दे और वह उसको देख कर डिस्पोज करने वाले अधिकारी के पास भेज दे तो मैं समझता हूं कि बीच में जो देर लगती है वह सारी देर बच जावेगी और सारी परिक्रमा बच जावेगी......

श्री जनार्दनरायनागर (मावली) : (बैठे बैठे बोले) प्रदक्षिणा।

श्री उपाध्यक्ष : आप हिन्दी पर विश्वास न करें।

डॉ० बहादुरसिंह : तो इससे हमारे समय की बचत होगी। एक क्लर्क के पास गया और एक गजेटेड ऑफिसर के पास गया और वहां से जम्प लगा कर संबन्धित अधिकारी के पास चला जावेगा। इससे क्लर्क पर जिम्मेदारी तो रहती ही है वह रहेगी ही लेकिन समय बच जावेगा। जिम्मेदारी तो हर हालत में क्लर्क पर है। मान लें कि अगर कोई गलती हुई और रह गई तो दूसरे अधिकारी कभी यह नहीं देख सकते कि जो पोइन्ट उठाया गया है, जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या कमी थी, वह कोई देखने वाला नहीं। वह तो यह है कि साइन, साइन, साइन, साइन करते चले गये और फाइनल अफसर अपनी जिम्मेदारी समझ कर फाइनल देखने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें विचार करना है कि प्लानिंग कमीशन में जम्पिंग सिस्टम है और दूसरे स्थानों पर भी है उसका कहां तक प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिये भी कुछ अधिकार देने पड़ते हैं। इन अधिकारों को देने के लिए

(डॉ० बहादुरसिंह)

सदन के माननीय सदस्य बैठ कर विचार करें। जिम्मेदारी जनतंत्र की आती है और वह इस सदन पर है और जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा कोई प्रेहरी है तो देश में लोक सभा और प्रान्तों में विधान सभा। इसलिए देश के जनतंत्रीय प्रहरियों को बाध्य होना चाहिए या बाध्य किया जाना चाहिए कि जनता की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को किस प्रकार से दूर किया जावे। उसके लिए सरकार को यह सदन सुझाव दे और जो सुन्दर सुझाव दिये जांय उन पर गम्भीरतापूर्वक सरकार विचार करे। प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि रोजाना पेपर्स डिस्पोज् ऑफ करेंगे या दैनिक एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देंगे ? ऐसी बात नहीं है। सिर्फ प्रश्न यह था कि जो आज तौर तरीका है, जो आज व्यवस्था है, जो आज सिस्टम है, गड़बड़ी है और जिससे जनता परेशान हो रही है उसको किस प्रकार से दूर करेंगे उसके लिये सदन के माननीय सदस्य सरकार को सुझाव देंगे। गवर्नमेंट उन पर विचार करके उनको कार्यरूप में परिणित करने की कोशिश करेगी।

इसी प्रकार से दूसरी बातें हैं, जैसे फाइल की स्थिति तो मैंने आपके सामने रख दी वह अब जो गवर्नमेंट का ढांचा है ..

श्रीमती सतवन्तकौर (करतारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आज तो घर ही का बिजनेस है, कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

डॉ० बहादुरसिंह : आपकी शासन व्यवस्था है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या बिना कोरम के ही मामला चल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : Sometimes the strict rules are also to be relaxed. Meanwhile I am trying that the quorum may be present.

डॉ० चंद्रकला : घंटी बजा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will continue.

डॉ० बहादुरसिंह : आज जो कार्यालयों की व्यवस्था है। उसमें कहां कहां कमी कर सकते हैं, जैसे हमारे यहां डिप्टी डायरेक्टर्स की पोस्ट्स है, ये ऐसी फालतू पोस्टें हैं कि जिनको हटाया जा सकता है। एग्रीकल्चरल को ही लीजिये।

श्री जनार्दनराय नागर : नम्बर ऑफ ऑफिसर्स।

डॉ० बहादुरसिंह : नम्बर ऑफ ऑफिसर्स काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You will not enter into a discussion with Hon'ble Shri Janardan Rai Nagar otherwise there will be no end to it.

श्री जनार्दनराय नागर : No Sir, I am just inspiring him.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आपके सामने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नजीर रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में जावेंगे तो वहां डायरेक्टर नजर

(डॉ० बहादुरसिंह)

आयेगा, उस डायरेक्टर के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता। डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ जोइन्ट डायरेक्टर हैं, जोइन्ट डायरेक्टर के साथ जोइन्ट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं और एक और जोइन्ट डायरेक्टर टेक्निकल साइड के लिए हैं। चार पांच जोइन्ट डायरेक्टर बैठे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपके पास गलत सूचना है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो असिस्टेन्ट डायरेक्टर्स होंगे। डायरेक्टर, जोइन्ट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेन्ट डायरेक्टर्स, एडवाइजर इस तरह एक ऑफिस का ढांचा बना हुआ है। एक कृषि का विभाग है। जरूरत कहां है कि खेतों में हमारा प्रोडक्शन बढ़े और नहीं बढ़ सकता है उसके लिए टेक्निकल डायरेक्टर की जरूरत है। वे हमारे मंत्री महोदय को परामर्श दें कि कैसे हमारे खेतों में प्रोडक्शन बढ़ सकता है। दूसरे एक स्पेशियलिस्ट की जरूरत है जो एक्सपेरिमेन्ट करेगा कि इस प्रकार की सोइल में इस प्रकार का बीज डालने से पैदावार बढ़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण भरा हुआ है, सुपरवाइजर, फील्ड मेन, आदि एक खासी लम्बी-चौड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। ऑफिस की व्यवस्था के लिए ऑफिस सुपरिन्टेडेन्ट्स हैं। तो एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता की जननी हो जाती है। तुलसीदास एक बड़ी सुन्दर बात बता गये हैं :

श्री जनार्दनराय नागर : तुलसीदास जी बड़े राजनीतिज्ञ थे।

श्री उपाध्यक्ष : यदि पद कहा जाय तो तरंगों में ही बहा जाय। तुलसीदास जी ने स्वरों में गाया था।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं रामायण तो कहीं गा सकता लेकिन...

श्री जनार्दनराय नागर : रामायण कह रहे हैं या गवर्नमेंट का रूप बता रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : गवर्नमेंट का रूप किस प्रकार से बढ़ता जाता है ? एक तो उससे बजट बढ़ता है और जहां गड़बड़ी हो तो दूसरा डिपार्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। तो तो वह पद इस प्रकार है :

जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा।

तासु दून कपि रूप देखावा॥

सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा।

अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥

सरकार को इससे कामयाबी होनी चाहिये। हनुमानजी ने जैसा रूप बढाया तो उसी तरह सुलसा ने भी बढा लिया। यदि सरकार इसमें कामयाबी चाहती है तो उसको छोटा रूप लेना पड़ेगा। वास्तव में देश में गरीब, भूखमरी, बेकारी, या दूसरी समस्यायें हैं। उस लंका को वास्तव में यदि विजय करना है तो हनुमानजी तरह छोटा रूप लेना पड़ेगा और उसके लिए परामर्श देने के लिए सदन के सदस्य ज्यादा उपयुक्त होंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : सरकार को छोटा रूप देने के लिए इधर पधार आओ आप ?

डॉ बहादुरसिंह : पधारने का सवाल नहीं है किन्तु परामर्श देने के लिए है...

श्री नाथूराम मिर्धा : वे उधर बुला रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : वे इधर आजायं तो छोटा रूप हो जायगा।

श्री मदनसिंह : महान रूप हो जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर : संभल कर जाना, धोखा ही धोखा है।

डॉ० बहादुरसिंह : सदन के माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखेंगे ही, लेकिन मेरे विचार बिलकुल स्पष्ट हैं कि यदि वास्तविक जनतन्त्र कायम करना चाहते हैं तो हमें इस बात पर गम्भीरता से अपनी इस मशीनरी के सेट के बारे में विचार करना होगा। उन पर विचार करने के लिए यदि सदन यह इजाजत दे तो मैं यह बता दूं कि किस तरह से यह ढांचा बढ़ता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे यहां शिकायत यह हुई कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। उसके लिए मजबूर होकर एक स्पेशल आई. जी. पी. को इसके लिए यहां बढ़ाना पड़ा। उसका विभाग बना और आज उस विभाग के बढ़ते बढ़ते उसका एक विशाल रूप हो गया है और उसके लिए एक खासा डायरेक्टोरेट बनाना पड़ा रहा है। काफी खासा पैसा खर्च हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में कहना बिलकुल ही व्यर्थ है। क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है कि वह न तो डायरेक्टोरेट के बढ़ने से सुधारेगी, न ही यहां भाषण देने से सुधारेगी किन्तु जब तक कि नैतिक स्तर ही न सुधारेगा तब तक-सुधार होना मुझे तो नजर नहीं आता है। एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई है। मैंने इस सदन में एक प्रश्न किया था पार्वती डेम के बारे में। वह था ताजपुरा का एक नाला टूटने के बारे में। यदि उसके वास्तविक तथ्य आपके सामने आवें और यदि एन्टी करप्शन विभाग उसकी जांच करे तो आपको मालूम होगा कि सरकार को ४० हजार का नुकसान हुआ है। ताजपुर का यह नाला बनाया गया, उसमें मिट्टी डाली गई, और मिट्टी डालने का हिसाब ज्यों का त्यों है उसमें रत्तीभर गलती नहीं है। लेकिन आपको उस स्थान पर जाकर देखना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, अगर उस स्थान पर आप जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर गड़बड़ी हुई है। सरकार को उसमें कार्यवाही करनी चाहिये। आपको वहां आदमी भेजना चाहिये और देखना चाहिये वहां ताजपुर का जो नाला है उस पर जो मिट्टी डाली गई है वह वास्तव में चालीस हजार की डाली गई या क्या, उसका साठ हजार का पेमेन्ट किया गया। मैं यह कह सकता हूँ कि वहां जो मिट्टी डाली गई वह २० हजार से किसी प्रकार भी ज्यादा नहीं है चाहे जितना भी आप हिसाब लगा लीजिये। उसकी ज्यादा हो नहीं सकेगी। इसी तरह से कांकरोली का जो नाला है, उसने तो हमारे इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट को फेल सा कर दिया है। उसके लिये जो सिंचाई की योजना थी वह एक प्रकार से समाप्त सी कर दी गई है। यह सब हुआ क्यों? इसका कारण यह है कि हमारे रेड टेपिज्म में यह फाइल छिपी हुई है। उसके लिये कहा जाता है कि उसमें जो मसाला लगाया गया था वह खराब था। वह एक दफा नहीं दो दफा टूट चुका। स्थिति यह थी कि उसमें ३०० क्यूबिक फीट पानी

(डा० बहादुरसिंह)

निकलना चाहिये लेकिन केवल ४० क्यूबिक फीट पानी निकलने से ही इस प्रकार की स्थिति हो गई, ३००० क्यूब फीट पानी निकलता तो क्या स्थिति होती। यह सत्य बात है कि ठेकेदार ने अपनी कमाई की, इन्जीनियर ने अपना कमीशन खाया, जो परसेंन्टेज था उसके अनुसार उसने माल लगाया उसके कारण यह स्थिति हुई। इसमें सरकार को करीब ७ लाख रुपये का नुकसान हुआ। आज ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिनके कारण यह स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है उस पर सदन विचार करता है, उसकी आलोचना भी होती है। इसके अलावा कई बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कहने में संकोच लगता है। ऐसी स्थिति है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में इत्मीनान से बैठ कर सोचना चाहिये और इस तरफ उचित ध्यान देना चाहिये। इससे हम तकलीफों से मुक्त हो जायेंगे और इससे हम अपनी जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई कर सकेंगे, उससे देश की उन्नति और राजस्थान की भी तरक्की हो सकती है। मैं इस प्रस्ताव द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूँ कि प्रशासन में जो शिथिलता आ गई है उस पर आप विचार करें और इस बारे में ठोस सुझाव दें, इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे भी इस बारे में ठोस सुझाव देंगे और मैंने जिस भावना से प्रस्ताव रखा है उस भावना को समझने के बाद इसका समर्थन करेंगे। और जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं वे यह न सोचें कि हमारी आलोचना सदन में होती है बल्कि वे इस भावना से कि उनको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिये इस बारे में मैंने जो सुझाव दिये हैं, आशा है सदन उस पर विचार करेगा।

श्री सभापति : I take all the amendments as moved.

डॉ० चंद्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर): माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है, जो कि हमारी शासन प्रणाली में व्याप्त बहुत भयंकर रोग की ओर संकेत करता है। जिस रोग से हमारी सरकार और जनता दोनों समान रूप से पीड़ित हैं। सब का यह प्रयत्न हो कि किसी भी तरह से इस रोग से मुक्ति मिले तो अच्छा है। मुझे याद है, कुछ दिनों पहले माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस शासन में व्याप्त शिथिलता को दूर करने की दृष्टि से राजकीय स्तर पर एक समिति बनाने का सुझाव सा दिया था। यह न हमारा शासन और न हमारी जनता ही यह चाहती है कि हमारे शासन में किसी प्रकार की ढिलाई हो। सभी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। हमारी सरकार इस ओर क्रियाशील है, जनता भी यही चाहती है फिर भी हम देखते हैं कि यह रोग दिन रात बढता जा रहा है। अभी मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने तरह तरह के उदाहरण बताकर यह बताने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार हमारे शासन में ढिलाई हो रही है। उन्होंने आंकड़े इकट्ठे करके उनके आधार पर बताया कि एक कागज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए १४३ दिन लगते हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि जिन आंकड़ों की भूल भुलैया में हमारी सरकार खोयी रहती है, जिनमें विभाग के कर्मचारी खोये रहते हैं, उसी प्रकार के आंकड़े माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं। लेकिन उनके कहने के

(डा० चन्द्रकला)

अनुसार १४२ दिन में तो निश्चित स्थान पर पहुँच तो जाता है। लेकिन हमारे यहां के १४२ दिन बहुत लम्बे होते हैं। हमारा सदन बहुत प्रतिष्ठित स्थान है, इसका महत्व भी माननीय सदस्यों से ज्यादा है। यहां पर भी हमारी सरकार की ओर से आश्वासन दिये जाते है कि यह काम इतने दिनों में होगा लेकिन उतने महिनों में भी हो जाय तो गनीमत है। इस तरह से न तो वे दिन पूरे होते हैं और न महीने पूरे हैं और न वह काम ही पूरा होता है। इस बारे में जिस प्रकार मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कृषि विभाग का उदाहरण लेते हुए अपनी बात की पुष्टि की। मैं अपने कथन की पुष्टि में पुनर्वास विभाग का उदाहरण सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। हम सब जानते हैं कि पुनर्वास विभाग बहुत थोड़े समय के लिए पाकिस्तान से आये हुए लोगों को बसाने के लिए खोला गया था। इसके अन्तर्गत एक सिटी कैंप बसाने की योजना थी जिसमें पश्चिम से आए हुए शरणार्थियों को बसाना था। इसको बसाने के लिए, फिर से बसाने के लिए हमारी सरकार ने जी जान से प्रयत्न किया इसके लिए आज से डेढ साल पहले कहा गया था कि महिने दो महिने या तीन महिने में हम सब को बसा देंगे लेकिन वे दो महिने आज तक पूरे नहीं हुए सिटी कैम्प यों का यों पड़ा हुआ है और कई न कोई नुक्स उसमें निकल ही आया। मैं यह उदाहरण देखकर यह कहना चाहती है, हूं कि यह हालांकि छोटा सा काम है लेकिन हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो शासन का स्तूप खड़ा हुआ है उसमें जो प्रणाली चलती है, जो प्रक्रिया चलती है वह इतनी लम्बी होती है, उलझनभरी होती है कि काम आवश्यक होते हुए भी वे काम रुके रह जाते हैं।

कई बार महसूस करती हूं, कितने छोटे से काम होते हैं जैसे मनोरंजन की तौर पर जिस प्रकार चुटकले सुना करते हैं कि एक जगह आग लगी उसके लिए सरकार से छः महीने बाद ऑर्डर्स होते हैं कि दमकलें भेजी जा सकती हैं आग बुझा दी जाय। इससे भी कम आश्चर्यजनक यहां की बातें नहीं हैं। अभी दो दिन पहले सदन में सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि अब अग्निपीड़ित लोगों को सहायता देने की आवश्यकता नहीं, रिलीफ तो तत्काल दिया जाता है चूंकि उनका महत्व गुजर गया इसलिए सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो आग लगी, लोगों को दुख हुआ तकलीफें और मुसीबतें उठाईं ऐसी हालत में जहां सरकार को चाहिए था कि उनकी सहायता करती लेकिन उसके कुछ अर्से बाद सरकार कहती है कि सहायता की क्या आवश्यकता है अब तो वे कहीं न कहीं बस गए होंगे। इन बातों को देखते हुए जनता का पैसा जो करों के रूप में सरकारी खजाने में आता है जनता उससे आशा करती है कि उनके पैसों का उपयोग उनकी सुविधाओं को जुटाने के लिए होगा।

१ म० प०

न कि उनको परेशानियां भुगतनी पड़ेंगी। जिसकी खिचड़ी है उसको डेढ चावल मिलता है। इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे को सम्हालने के लिए सभी तरह की सहूलियतें देते हैं पर उनकी परेशानियों में कमी नहीं होती। उनको तो अपने छोटे छोटे कामों के लिए सब जगह घूमना पड़ता है। बड़ी सिफारिश या प्रभावशाली जरिए न हों तो शायद उनका काम होता नहीं है। कहीं कहीं तो कागज ऐसा चिपक जाता है कि उसको छुड़ाने के लिए

(डॉ० चन्द्रकला)

पैसे की जरूरत पड़ती है । पैसा दीजिए तब तो कागज प्रकट हो जाता है पर अगर किसी ने अपने सिद्धान्तों और ईमानदारी की वजह से कोशिश नहीं की तो वह कागज खत्ते में चला जाता है ।

यहां पर बताया जाता है एक शराब का ठेका । प्रतिष्ठा की चीज बन गई यहां सदन में। निश्चित शब्दों में माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया कि यह शराब का ठेका नहीं रहेगा । उन्होंने बड़ी कोशिश की । लिखित में भी दे दिया और १० बार शिष्टमण्डल की ओर से लोगों को आश्वासन दिलाया गया कि वह रहने वाला नहीं है । अपनी भलमन्साहत में उन्होंने यह भी कह दिया कि ठेका रहेगा तो वे मिनिस्टर नहीं रहेंगे । पर आश्चर्य यह है कि ठेका भी है और मिनिस्टर भी हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : आपका समझना गलत है ।

डॉ० चन्द्रकला : आप गलत कह गए या मैं गलत समझ गई । यह तो आप जानें । पर हमारे शासन में व्याप्त शिथिलता दुख का कारण है, असुविधाएं पैदा करने वाली है । उनको अवश्य दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए । आप जहां बैठे हैं वहां बैठकर भले ही कुछ कह दें पर भीतर अपने मन में आप भी सब समझते हैं कि बात क्या है । दूर करना आपके बूते की बात नहीं है तो उसको छिपाने की कोशिश न करें । इसी लिए तो माननीय सदस्य ने बड़ी दृढता के साथ यह संकल्प रक्खा है क्योंकि आप भी चाहते हैं कि यह शिथिलता मिटे और सारी जनता भी चाहती है । इसलिए इसमें मैंने जो यह संशोधन रक्खा है कि इसके लिए सदन की पांच सदस्यों की एक समिति बना दी जावे जो इस बारे में समय समय पर सुझाव देती रहे और इसके कारणों की खोज करती रहे और इसके उन्मूलन करने की भी कोशिश करती रहे ।

पर आज होता क्या है ? कुछ काम सरकार अपने जिम्मे लेती है, विकास का, नगरपालिका क्षेत्र में नल लगाने का, सार्वजनिक रूप से पानी पिलाने का, या प्रकाश की सारी व्यवस्था करने का । ये सारे काम सरकार स्वयं करती है और ये काम पूरे करने की कोशिश भी करती है पर जाने क्या हो जाता है कि उसकी ये कोशिशें पार नहीं पड़तीं । काफी चाहती है तब भी । मुझे भी इसका काफी अनुभव हुआ । ऐसा हुआ कि एक जगह आग लग गई । इसके रिलीफ के लिए मुझे खुद को कई बार कई ऑफिसेज में जाना पड़ा और मैं तो बहुत उस सरकार को और उसकी मशीनरी को धन्यवाद देती हूं कि दो तीन महीने में बड़ी दौड़ धूप करने पर सहायता मिल गई । तो इसको भी मैं तो बहुत गनीमत समझती हूं और ऐसी शिथिलता के वातावरण में इतनी परेशानी को और इतनी देरी को भी मैं जल्दी मानती हूं । काफी जल्दी काम हो गया, ऐसा जल्दी सा लगता है । पर अगर इतनी भागदौड़ न की जावे तो ये कागज ऐसे खत्ते में पड़ जाते हैं कि फिर कभी वे उठने वाले नहीं हैं । इसके उदाहरण अनेक हैं । समयाभाव के कारण मैं उनका अधिक उल्लेख नहीं करना चाहती । हमारे शासन में व्याप्त यह शिथिलता तो कदम कदम पर दिखाई देती है ।

अब इसमें कुछ और भी कारण हैं । अगर कोई देरी लगती है तो इस कारण भी

Page No 50

(डॉ० चन्द्रकला)

लगती है कि कुछ कमाई के जरिए इनसे पैदा हो गए हैं। कुछ कारण और भी हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा सा संकेत हो जाता है तो वे कागज वहीं रुक जाते हैं और ऐसा रोकते हैं कि बस। आखिर इसमें हमारे मन्त्री महोदय भी तो किसी न किसी क्षेत्र से आते हैं, उनको अपने क्षेत्र का खयाल भी रखना पड़ता है। वे भी मनुष्य हैं। अपनेपन की भावना रखते हैं, किसी क्षेत्र से रुचि अरुचि भी होती है। तो यह रुचि अरुचि इशारे करा देती है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह समिति फिर क्या मनुष्यों की नहीं बन रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे क्या पूछ रहे हैं, उनको जवाब दे दें।

श्री सभापति : नहीं, जवाब देना कोई जरूरी नहीं है।

डॉ० चंद्रकला : जवाब देने का सारा ठेका आसन का है, या आसन के दाहिनी ओर बैठने वालों का है। तो कहां कहां पर...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह 'सारा ठेका' शब्द ठीक नहीं है।

श्री सभापपि : कोई ऐसी खास बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य को 'ठेका' शब्द चेयर के लिए उपयोग करना अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है तो कह सकते हैं।

डॉ० चंद्रकला : यह सवाल भाषा का नहीं है। भावना का है। भावना को देखिए। तो यह मैं........

श्री मुरलीधर व्यास : इस 'ठेका' शब्द को यहां से हटा देना चाहिए प्रोसीडिंग्स में से। यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री सभापति : जब दिल दिमाग साफ हैं तो छोटे-मोटे शब्दों के लिए चेयर नोटिस लेने को तैयार नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इस तरह तो सभापति महोदय, आइन्दा के लिए यह एक मिसाल हो जावेगी। इस दिल-दिमाग से तो हम भी फिर बोलेंगे।

श्री सभापति : आइन्दा सवाल उठेगा तो उन हालात पर विचार किया जावेगा।

डॉ० चंद्रकला : तो मैं कह रही थी कि जिस भावना से यह संकल्प रक्खा गया है और जिसकी भावना से सभी सहमत हैं उस भावना को बल देने के लिये उसमें मैंने एक छोटा सा संशोधन रक्खा है। और भी इस शिथिलता के क्या क्या कारण हैं, उनकी जांच करने और पता लगाने तथा उनको दूर करने के उपाय सुझाने के लिये एक समिति की स्थापना की जाय। हमारी सरकार को अवश्य कोई ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिस से यह शिथिलता दूर हो और जनता को सहूलियत मिले। इस आशा के साथ में अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : मैंने डॉ० बहादुरसिंहजी के प्रस्ताव में एक संशोधन

(श्री दलीपसिंह)

रक्खा है कि जो शासन के चलाने में शिथिलता है और जो कठिनाइयां होती हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिये विभागीय लेवल पर कमेटियां बना दी जावें जिससे कि वे सरकार को सलाह देते रहें और सारे संचालन पर नियन्त्रण रक्खें जिससे सरकारी मशीनरी अपना काम वक्त पर करती रहे।

मैंने पहले सन् १६५२ में जिस वक्त शुरु शुरु में असेम्बली बनी उस वक्त के माननीय चीफ मिनिस्टर को भी यह सुझाव दिया था कि वे इस तरह की कमेटियां मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दें ताकि वे वहां लोगों को तकलीफें हैं उनको सुनते रहें और उनमें जो वाजिब तकलीफें हैं उनको रफा करने की कोशिश करें और उन कमेटियों का चेयरमैन कलेक्टर को बना दिया जावे। ताकि जांच करके कमेटी समय समय पर कदम उठा सके। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था।

इसके बाद दूसरे चीफ मिनिस्टर भी आये। उनसे भी मैंने निवेदन किया था, उन्होंने अपनी एक मीटिंग में ऐसा कहा भी, आश्वासन भी दिया था कि मैं इस तरह अपने धारासभा के सदस्यों की ऐसी हरेक विभाग की अलग अलग विभागीय कमेटियां बना रहा हूं। और जिसमें सब लोगों को देख रेख करने की और सुझाव देने की इजाजत है। वह भी आज नहीं कर सके और सोच विचार में रहे और उन्हीं दिनों एक प्राइवेट तौर पर, गैरसरकारी तौर पर जिसमें इस धारा सभा के सदस्यों की पार्टी का मामला था राजस्थान के हाई लेवल के आदमियों की और राजस्थान के अच्छे अच्छे मान्य व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सात-आठ सदस्य थे। वह कमेटी इसीलिए थी की जो कुछ शासन में गड़बड़िया हैं गवर्नमेन्ट को उनके मुताल्लिक छानबीन करके सुझाव दे ताकी गवर्नमेन्ट उसमें आगे कार्यवाही करे। बदकिस्मती से उसको हमारे ऊपर केन्द्रीय सरकार के मन्जूर नहीं किया। वह कमेटी जहां की तहां रही और जिसको राजस्थान की क्रीम कहा जाता है और जिसमें बड़े बड़े व्यक्ति थे, अगर वह कमेटी पूरी तरह काम करने लगती तो इतनी शिथिलता एडमिनिस्ट्रेशन में न आती। यहां जो कुछ हो रहा है शायद माननीय मिनिस्टर साहाब मेरे मुंह से सुनना इसको पसन्द नहीं करेंगे लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बहुत कम बोलता हूं लेकिन आज मुझे मजबूरन संशोधन लाकर उनका ध्यान दिलाने के लिए कुछ वाकयात को लाना पड़ा। इसलिए मैं आज कहूंगा कि 'सुन तो सही जहां में है अपना फसाना क्या ? कहती है खलके खुदा, हमें गायबाना क्या ?'

श्री मूलचंद डागा : थोड़ा समझ दीजिए।

श्री दलीपसिंह : इसमें कोई परशियन वर्ड्स नहीं हैं।

श्री सभापति (श्री बरकतुल्ला खां): हां आप तो कहें।

श्री मूलचंद डागा: सभापति महोदय, थोड़ा समझा दिया जाये।

श्री सभापति: यह कोई मुशायरा तो है नहीं जिसमें दुबारा मुकरर कहें।

श्री मदनसिंह: (दांता रामगढ़) अगर चेअर समझ गई है तो फिर ठीक है।

श्री सभापति: वह तो अपनी बातको वजन देने के लिए यह शेर पढ़ा गया और बहुत दफा ऐसी बातें कही जाती हैं कि जो समझ में नहीं आतीं और यह जरूरी नहीं होता की उनको समझाया जाये।

श्री दलिपसिंह : अगर किसी और जुबान में होता तो फिर तरजुमे की जरूरत थी। माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं उन्होंने यह कहा है कि कुछ हफ्ते कागजों के एक आफिसर से दूसरी जगह जाने में निकल जाते हैं। मेरा खयाल है कि उनको ज्यादा तजुर्बा नहीं होगा, मैं उनको यह बतलाता हूं कि हफ्ते नहीं बल्कि वर्ष लग जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उम्र का फर्क है।

श्री दलीपसिंह : कई कई साल हो जाते हैं लेकिन कागज़ात सरकते नहीं हैं। मिनिस्टर साहब लिख लिखकर थक जाते हैं और नीचे वाले परवाह नहीं करते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ क्योंकि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब विराज रहे हैं और वह इनसे ही सम्बन्धित है। सन् १६५२ का केस है। जिन दिनों माननीय सुखाड़िया साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने २ मई, १६५२ को एक आॅर्डर दिया कि एक बीड़ थी तहसील चेंचड़ मौजा मानपुरा में क्योंकि वह सरकारी घास की बीड़ थी तो उसके लिए ३०,३५ चमारों के घरों ने दरख्वास्त दी कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम भूमिहीन हैं और वहां पर पत्थरों की मोनोपाली हो जाने की वजह से काम में बहुत कमी आ चुकी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है मेहरबानी करके वह जमीन दे दी जाये जिसको मिलकर हम काश्त कर लें। ग्रो मोर फूड में ज्यादा पैदावार बढ़ सके इस कारण यह जमीन हमें दे दीजिये, ऐसी मांग उन ३०-३५ चमार घरों ने की। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने १०-१२ लाइनें लिखीं और यही सुझाव दिया कि यह जमीन जल्दी ही इनको दे दी जाये क्योंकि ग्रो मोर फूड में ज्यादा पैदावार बढ़ानी आवश्यक है और यह जल्दी देने में इसलिए की जाये कि बारिश आ रही है और उस जमीन पर वह पैदावार कर सकें। उस आॅर्डर को जो २ मई, १६५२ का है उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है। वैसे वह बीड़ अभी वैसे तो नहीं पड़ी है। जागीर कमिश्नर ने उसमें से १०१ बीघा एक जागीरदार को खुदकाश्त के लिए दे दी है। उसमें से अभी भी बाकी १५० एकड़ जमीन पड़ी है। बेचारे चमारों ने सहकारी समिति भी बनाई। तीन चार साल तक उन्होंने वह सहकारी समिति बनाकर इन्तजार करते रहे कि जमीन मिल जाये तो काम चालू कर दें। पर सोसाइटी चल नहीं सकी इसलिए डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स हैं उसके मुताबिक सोसाइटी कैन्सिल कर दी तो मैंने उसके मुताल्लिक यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के डिप्टी मिनिस्टर हैं उनसे भी बातचीत की, उनको भी लिख कर दिया और माननीय मंत्री महोदय ने भी लिखकर दिया और यह मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने हमेशा ही उसके ऊपर अच्छा ही लिखा बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी हिट लगाई कि यह कागज़ लौटकर नहीं आये और उस पर अमल हो जाये लेकिन उसका तो पता नहीं चला कि कहां चला गया। मैं कमिश्नर महोदय से मिला, उनकी चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने कलेक्टर को लिख दिया है, वह आपके साथ जाकर मौका देख लेंगे और आगे कार्यवाही हो जायेगी। मैं इस सिलसिले में बताऊं कि उस बीड़ का

(श्री दलिपसिंह)

जंगलात से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे यह बीड़ भी उसी के नाम से है पर यह सरकारी की बीड़ थी, जमीन वैसे अब भी नीलाम हो रही है तहसील की तरफ से - कुछ उसमें जमीन बाकी है अगर उनको मिल सकती है तो अच्छा होता। इससे वह ३०-३५ घर बस जाते और काश्त भी हो जाती और उनको रोज़गार भी मिल जाता।

इसी तरह का एक केस और अर्ज करू कि यहां रामगंज मण्डी में एक पत्थर की मोनोपोली है। यह उनको दरबार के जमाने में दे दी थी। उसके खिलाफ जिस समय फोर्मर राजस्थान बना, माननीय सुखाड़िया साहब उसके मिनिस्टर थे इनके पास गया और कहा कि यह बहुत अनियमितताओं से मोनोपोली दे दी गई है और जो कुछ उनके साथ में एग्रीमेंट है उसकी शर्तों की भी वह पाबन्दी नहीं कर रहे हैं। उस पर माननीय सुखाड़िया साहब ने एक कमीशन फोर्मर राजस्थान के उच्च लेवल पर मुकर्रर कर दिया जिसमें डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज, फार्मर राजस्थान, चीफ माइनिंग इन्जीनियर, फार्मर राजस्थान और कमिश्नर कोटा डिवीजन थे। उसकी जांच होते होते ग्रेटर राजस्थान बन गया तो उस समय माननीय सुखाड़िया साहब ने कहा कि अगर तुम कम्पलीट रिपोर्ट नहीं दे सकते तो इन्टरिम रिपोर्ट ही दे दो। वह इन्टरिम रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी और उसके आधार पर गवर्नमेंट ने लीज कैन्सिल कर दी। यह भी सन् १९५२ की बात है। जब उनकी लीज कैन्सिल कर दी और १ सितम्बर, १९५२ को लीज कैन्सिल की उसके ३ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के यहां पहुंचे और वहां से स्टे ऑर्डर गवर्नमेंट के खिलाफ निकलवा लाये। पब्लिक का तो क्या कहना उनकी कौन सुनता है। पर जिसमें सरकार ही एक फिरका है और लाखों रुपया सालाना जिसकी आमदनी है उसने आज तक कब्जा नहीं दिया और स्टे ऑर्डर आज तक गवर्नमेंट कैन्सिल नहीं करा सकी।

कितने अफसोस की बात है। एक अदालतमें गवर्नमेंट का केस है और यह भी नहीं कि छोटी अदालत में हो या किसी चक्कर में पड़ा हुआ हो, लेकिन ७ साल में भी वह केस खत्म नहीं होता है और वह स्टे ऑर्डर नहीं निकलता है, और ३० सितम्बरको उनकी जो १५ साल की लीज थी यह भी खत्म होने जारही है, लेकिन स्टे ऑर्डर का अभी फैसला नहीं हुआ। मुझे मालूम हुआ है कि बावजूद इनचीजों के किहालांकि वह डिस्क्वालिफाइड हैं, उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, शर्तों की पाबन्दी नहीं की है, गवर्नमेंट की रकम नहीं दी, और उनके ऊपर रिबेट, प्रीमियम, रॉयल्टी आदि नामों से जो टैक्स है वह उनके ऊपर बकाया है, करीब १० लाख रुपया बकाया है। उसके अलावा करीब ४० लाख रुपया सन् ४६ से उनके ऊपर इन्कमटैक्स का बकाया है। उस केस को सैशन जजी ने उनके फेवरमें डिसाइड कर दिया था। आर्डर देकर लेकिन हाईकोर्टमें उनके खिलाफ फैसला हुआ तो वे सुप्रीम कोर्ट में गये हैं, लेकिन हैं तो वे डिफाल्टर ही। डिस्क्वालिफाइड हैं। उन्होंने शर्तों की पाबंदी नहीं की। वे गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं। लीज कैन्सिल हो गई है लेकिन वे गवर्नमेंट को कब्जा नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के दिल में साफ्ट कार्नर है, और उनकी लीज बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट।

Page No 54

(श्री दलीपसिंह)

मुझे बहुत अफसोस है कि इस किस्म की बातें और इस किस्म का ढीलापन, इतनी शिथिलता शायद ही आपको किसी सरकार में ढूंढने से मिलेगी।

अभी बहन डॉ० चन्द्रकला ने कहा था कि पुराने जमाने में ६ महीने के बाद आग को बुझाने के आर्डर निकाला करते थे। मैं कहता हूँ आज तो ६ महीने में भी नहीं निकलते हैं। जहांगीर के जमाने में जहांगीर खुद मस्त रहते थे और कोई उनके पास जाता था तो कहा करते थे कि हमने तो एक प्याला शराब और दो शीरीं कबाब में बादशाहत नूरजहां को दे रखी है। जो कुछ कहना है उससे कहो, लेकिन आज की जो यहां की नूरजहां बेगमें हैं उनसे ईश्वर बचाये। वे बरसों कागज निकालने का नाम नहीं लेते हैं और उसकी हालत यह यहां......

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं इल्तजा करना चाहता हूं कि नूरजहां का नाम यहां पर क्यों लिया जा रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : आपका मतलब कांग्रेस पार्टी से है नूरजहां का।

श्री दलीपसिंह : मेरा मतलब सरकारी कर्मचारियों से है। मिनिस्टर्स से मेरा मतलब नहीं है; मैंने उनको जहांगीर बताया है।

श्री जनार्दनराय नागर : नूरजहां हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी साम्राज्ञी हुई है। वह एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनेलिटी हिन्दुस्तान की मानी जानी चाहिए और मानी जाती है यहां पर नूरजहां जैसी पर्सनेलिटी का नाम नहीं लिया जाय, यह मेरी इल्तजा है।

श्री दलीपसिंह : मेरी बहन ने एक पाइन्ट शरणार्थियों के मुतल्लिक कहा था। उन शरणार्थियों के साथ सलूक किया जाता है और किस तरह की हमदर्दी करते हैं। वे पाकिस्तान से लुट-पिट कर आये, उनके लाखों रिश्तेदार थे वे वहीं के वहीं रह गये, और खून खराबी के बाद अपनी जानें लेकर वापिस आये, और यहां पर एक बारां मण्डी है, वहां पर शरणार्थियों ने दरख्वास्त दी कि म्युनिसिपल बोर्ड को कि हमें यह जमीन जो है स्टेशन के नजदीक, वह तलाई है उसमें २५, ३० हजार रुपये खर्च होंगे भरने में, उसके लिए हमें इजाजत दी जाय कि भरकर मकान बना लें ताकि एक शरणार्थी कोलोनी वहां पर बसा लें। किसी काम में वह जमीन नहीं आ रही है। तालाब भरा हुआ है बारिश के मौसम में। यहां से माननीय मन्त्री महोदय, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं, ने आर्डर दे दिया, क्योंकि वहां का प्रस्ताव था म्युनिसिपल बोर्ड का वह बिल्कुल सर्वसम्मति का था। उन्हें आर्डर दे दिया कि जमीन दे दी जाय। इतने में मालूम नहीं कि कौन महानुभाव यहां पर पहुंचे और आगे क्या कुछ करते हैं कि एक आर्डर चला जाता है १५ दिन के बाद कि जमीन नहीं दी जाय। उसको सरकारी पर्पज के लिए रखा जाय। मैंने माननीय रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहब से एप्रोच किया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों वहां पर बाढ़ भी आगई, और आप रिलीफ के सिलसिले में वहां पधारे, और आपसे लोगों ने अर्ज किया और मौका दिखाया। आपने उसकी वाजबियत पर गौर किया, और मुनासिब समझकर

Page No 55

(श्री दलीपसिंह)

उसके लिए आॅर्डर कर दिया कि वह जमीन शरणार्थियों को बसाने के लिए दे दी जाय, लेकिन आज तक सरकार नहीं दे रही है। रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर आॅर्डर देते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं स्पष्ट, लेकिन सरकार का सेक्रेटेरियेट समझें या मालूम नहीं कौन सा गड्ढा है कि जहां पर जाकर कागज़ गायब हो जाते हैं। वह कागज़ नहीं निकले ।

ऐसी हालत में एक सवाल आया लेकिन उसका अधूरा जवाब दिया। मैंने अर्ज किया था डिप्टी स्पीकर साहब को कि जवाब मुकम्मिल नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि आगे मुझे अर्ज करना है सदन के सामने उस वक्त थोड़ी सी उसके मुताल्लिक भी रोशनी डाल दूंगा। वह अर्ज यह है कि वास्तव में बहुत कुछ कहा जाता है कि हमने इतने दिनों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। पंचायत समितियों को इतने अधिकार देंगे, जिला परिषद् को इतने अधिकार देंगे, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि कनवास एक तहसील का सदर मुकाम है। वहां की ग्राम पंचायत ने मुझे लिखकर भेजा कि हमारे यहां ३०, ३२ साल से मिडिल स्कूल चल रहा है। वह तहसील का सदर मुकाम है, रोड साइड पर है। दो तीन जगहें वहां से सड़कें जाती हैं। जहां पर डिस्पेन्सरी है, थाना है और तार घर है। इस तरह की सब सहूलियतें मौजूद हैं। वहां हाई स्कूल खुल जाना चाहिए। मैंने वह चिट्ठी डिप्टी डाइरेक्टर को भेज दी। डिप्टी डाइरेक्टर ने मुझे जवाब दिया। उसमें उसने मुझे यह लिखा कि आप अपने यहां के सरपंच और जो मुखिया है वे इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स को कॉन्टेक्ट करें। इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स को भी लिखा और एक कापी मुझको भेज दी। यह बात है १२ जनवरी, सन् १९५९ की। उस पर प्रमुख व्यक्ति और ग्राम पंचायत के मिलकर इन्सपेक्टर आॅफ स्कूल्स के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई रिकमन्डेशन नहीं है, और कोई नज़र में नहीं है। आप लोग १५ हजार रुपये इकट्ठे कर लें तो हम वहाँ हाई स्कूल खोल देंगे। इसी किस्म का उनका सुझाव एडिशनल डाइरेक्टर आॅफ एजूकेशन, बीकानेर को जाता है, क्योंकि उनसे उन्होंने पूछा था कि सुझाव दो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल खोलने के लिए, उन्होंने वह सुझाव दिया। उसकी एक कापी मुझे दी। वह माह अप्रेल की बात है। मैंने साफ लिख दिया था कि १५ हजार रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया है जनता ने। जनता ने पी० डब्लू० डी० से स्टेन्डर्ड बिल्डिंग तैयार करके १५ हजार के बजाय २० हजार रुपये लग चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी में मामला पेश हुआ। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी के सामने कोई दूसरा नाम नहीं था। सिर्फ एक हाई स्कूल का एक प्रोपोजल था। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट आॅफिसर ने एजूकेशन सेक्रेटरी को सिफारिश की है कि यहां पर और कोई नाम नहीं है। यह जगह बिल्कुल सूटेबल है हाई स्कूल खोलने के लिए। आपकी बड़ी मेहर-बानी होगी अगर डवेलपमेंट कमेटी की सिफारिश मन्जूर कर ली जायेगी और कन-वास में हाई स्कूल खोल देंगे। इन सारी बातों के बावजूद वहां पर जनता ने पैसा लगा दिया। ग्राम पंचायत को आगे किया। तहसील पंचायत ने सिफारिश की। डवेलप-मेंट कमेटी ने सिफारिश की। इन्सपेक्टर

(श्री दलीपसिंह)

ऑफ स्कूल्स ने सिफारिश की। उस वक्त के डाइरेक्टर ने सिफारिश की लेकिन कहां हाई स्कूल खुलता है? उसके पास ५ मील की दूरी पर एक जंगल में जगह है, वहां हाई स्कूल खुल जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): आपकी कॉन्स्टिट्युएन्सी नहीं है क्या वहां?

श्री दलीपसिंह : मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में ही है।

और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने पिछले बजट अधिवेशन में यह आश्वासन दिया था, विरोधी दल के कुछ महानुभावों ने मांग करी थी कुछ कस्बों में स्कूलों खुलवाने के लिये, उस वक्त आपने यह उत्तर दिया था कि हमारी यह नीति है कि पहले तहसील हैड क्वार्टर्स पर हाई स्कूल्स प्रवाइड करेंगे उसके बाद दूसरी ओर ध्यान देंगे। जब मुख्य मन्त्री जी को बहुत प्रेस किया गया तो उन्होंने कहा कि चाहे कितना ही बड़ा कस्बा हो, चाहे कितनी ही अहमियत का हो लेकिन हम तो अपनी पॉलिसी के माफिक चलेंगे और ३७ तहसील हैडक्वार्टर्स खाली हैं पहले उनमें खोलेंगे। लेकिन इस बारे में सारे आश्वासन जो उन्होंने हाउस में दिये थे नहीं मालूम कहां हवा में उड़ गये, यहां पर खोल दिया गया। लोगों ने जहां पर बिल्डिंग बनाई, मेहनत की वहां भी अगर खुल जाती तो कोई बात नहीं थी लेकिन वहां नहीं खुल सकती क्योंकि ५ मील के फासले पर ही हाई स्कूल खोल दिया है और देहात में ५ मील के फासले पर दूसरा हाई स्कूल खुल नहीं सकता।

अभी मन्त्री जी ने कहा था कि इस जगह के लिये इंजीनियर की रिकमेन्डेशन थी कि वहां अकोमोडेशन की कमी है। मेरे पास अकोमोडेशन और दूसरे आंकड़े हैं। कनवास में ४८३२ स्क्वायर फीट बिल्डिंग मौजूद है और आवा में ४४१८ स्क्वायर फीट जगह है। ३१८ स्क्वायर फीट जगह वहां पर ज्यादा है। लड़के भी वहां पर ज्यादा हैं। कनवास में २८ लड़के मिडिल में पास हुए और आवा में १४ लड़के पास हुए। इसके अलावा वहां की आबादी तहसील हैड क्वार्टर से कम है और जितनी फेसिलिटीज यहां उपलब्ध हैं उतनी वहां उपलब्ध नहीं हैं, दवाखाना नहीं, तार घर वगैरा का तो कहना ही क्या। यदि कोई नियन्त्रण होता या एडवाइजरी कमेटी होती तो ऐसा नहीं होता। जैसी आजकल एडवाइजरी कमेटीज बना रखी हैं उनकी कोई वेल्यू नहीं है। अभी सुझाव दे दें लेकिन जो कुछ गवर्नमेंट को करना है वही करेंगे। एडवाइजरी कमेटीज को कोई अधिकार नहीं है। आपका जो सुझाव है उसके अनुसार विभागीय लेवल पर ऐसी कमेटीज होनी चाहिये। मैं भी चाहता हूं कि ऐसी कमेटीज हों और उनको अधिकार हो जांच करने का।

इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह की लापरवाही से हमारी हुकूमत को चलाया जा रहा है। जिस गांव में मैं रहता हूं वह रेल्वे स्टेशन से आधा मील की दूरी पर गांव है, वहां पर पंचायत है। उसके एक सरपंच थे जिन्होंने डेवेलपमेन्ट की रकम खा पी ली। उसकी जांच हुई, केस चलने से पहले ही हमारे यहां के एक माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने उसकी जमानत करादी। दूसरा केस चला उसमें भी जमानत करादी ..

Page No 57

श्री दामोदरलाल व्यास : We are dealing with the resolution pertaining to the delay in disposals. It is not that what the Hon'ble Member says.

श्री दलीपसिंह : डिले के बारे में ही अर्ज कर रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास: It is about a particular school that was not opened where it ought to have been opened.

श्री सभापति (बरक्तुल्ला खां) : मुनासिब यह होगा कि जो कागज में देरी होती है और जो कागज इधर उधर रुक जाते हैं उन पर जोर देते हुए बात की जाय। हो सकता है कि स्कूल यहां खुले या वहां खुले उसके बारे में बातें सदन में दूसरे तरीके से लाई जा सकती हैं। The other remedy for this House is to create the Hon'ble Minister's interest in the activities.

श्री मदनसिंह दांता : रिजोल्यूशन शिथलता के बारे में है । मिनिस्टर महोदय इन्डल्ज करते हैं इसलिए शिथिलता आती है।

श्री दलीपसिंह : रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बोलने देते तो मैं विलम्ब का भी जिक्र करता। अब इसमें विलम्ब ऐसा है कि केस चलते दो दो साल हो गए । दूसरी पंचायत के चुनाव हो गये, ३ साल होने आ रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं, निर्णय नहीं। इधर का केस उधर करवा दिया जाता है और उधर का इधर करवा दिया जाता है मैं। थोड़ी सी बातें अर्ज करता हुआ यह अर्ज करूंगा कि ये कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दी जायं तो इससे शासन में बहुत सारा सुधार हो जायगा ? जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं वह भी दूर हो जायगा। मैंने जो मिसालें दी हैं उनमें कौनसी कमी है । आखिर में मैं एक शेर अर्ज कर देता हूं:

> यह जो कुछ हो रहा है आ राजस्थान के
> अन्दर, इसका नाम अगर यारों ने रख
> छोड़ा है आजादी।
>
> तो मैं निहायत अदब से फिर पूछता हूं
> बात ये उनसे तो फिर यह कौनसी शाया
> है जिसे कहते हैं बरबादी।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द जाटव ।

श्री गोकुलचंद जाटव (लछमणगढ़): माननीय सभापति महोदय, जिस संकल्प पर आज वाद विवाद चल रहा है उसमें मेरा संशोधन है : विभागीय समितियों के बीच में 'स्थायी' शब्द जोड दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि संकल्प प्रस्तुत कर्ता महोदय ने अपने भाषण में प्रकाश डाला है, उससे मैं बहुत कुछ सहमत हूं और जैसा की मेरा अनुभव रहा है, आज तक, मैं यह पूर्णत: महसूस करता हूं कि वास्तव में प्रशासन में शिथिलता है और इन्हीं कारणों का पता चलाने के लिये सरकार के परामर्श हेतु ऐसी ही समितियों का गठन करना चाहिये।

मैं विशेषतौर से सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। एक तो यह है कि आमतौर से भूमिहीनों की समस्या है । भूमिहीनों के बारे में एक प्रश्न भी विशेष तौर से चल रहा है कि भूमिहीनों को जमीन कैसे दी जाय और इस दौड़ धूप में भूमिहीनों

Page No 58

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

की तरफ से कुछ दरख्वास्तें रेवेन्यू विभाग के अफसरों को दी जाती हैं, गवर्नमेन्ट को दी जाती है इस आधार पर कि कहीं तो यह पता चलता है कि बंजर भूमि को तोड़ कर उन्हें दी जायगी या जो रूखड़े हैं उनमें से दी जायगी। इसके लिये ये लोग इधर उधर दौड़ धूप करते हैं और जहां भी जैसी सलाह मिलती है वे डिपार्टमेन्ट्स में जाते हैं, अफसरों से मिलते हैं लेकिन उनको कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है कि उनके भाग्य का क्या फैसला होनेवाला है। दरअसल में रूजे तोड़े जानेवाले है। या बंजड भूमि में से उनको जमीन दी जाने वाली है, इसका अब पता नहीं चलता। वे परेशान होते हैं और उनके पैसे भी बरबाद होते हैं। ऐसी बातों का पता लगाना और उनको संतोषजनक उत्तर देना जरूरी है। अब जैसा की प्रश्न आया, अनाज की मंहगाई है, सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और पूरी तौर से इस बात को महसूस किया कि अनाज का प्रबन्ध किया जाय ताकी गरीब जनता को सस्ता अनाज मिल सके। लेकिन सरकार ने क्या विचार किया और उस पर क्या अमल किया गया इसका गरीब जनता का पता नहीं चल सके और कोई एसी कार्यवाही नहीं की गई जिससे पता लगता कि कैसे और किस हद तक हल हो जायगा। बेदखली की बात एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम तौर से हम देखते हैं कि हर साल पट्टे करने का सवाल आता है और किसी न किसी को जबरदस्ती बेदखल करने का प्रश्न आता है और इस भय से जो किसान हैं, वे अपनी मुसीबत को समझ कर, पहले से कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित ऑफिसर से मिलते हैं लेकिन कितनी बार देखा गया है कि किसान बेदखल हो जाते हैं क्योंकि उस समय तक कार्यवाही नहीं की जाती है और बेचारों को अदालत की शरण लेनी पड़ती है और उनका वर्षों तक पीछा नहीं छूटता। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि समय से पहले उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाय।

अस्पृश्यता निवारण की बात आती है। कई दफा इस बात का पता लगता है कि फलां कूए पर हरिजन को नहीं चढ़ने दिया जाता है या फला कूए को बनवाने के लिए रकम की आवश्यकता है, उसके लिए दरख्वास्त आती है। मेरा तजुर्बा रहा है, एक दो नहीं, तीन चार दरख्वास्तें भेजी जाती हैं लेकिन रकम मिलने में वर्ष लग जाते हैं और फिर रकम मिलती है तो पूरी रकम नहीं मिल पाती है। इसमें कई महीने लग जाते हैं और इस प्रकार समय पर रकम नहीं मिल पाती है। कभी कभी एक साल हो जाता है, अधूरा कूआ पड़ा रहता है और फिर बरसात निकल जाती है उस समय कूआं बनाने की चिन्ता हो जाती है लेकिन रुपया समय पर नहीं मिल पाता है। इस बात का पता लगाने की ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह से तकावी वितरण की योजना है। इसके लिए बहुत से किसान दरख्वास्तें देते हैं, उनको वर्षों तक पता नहीं चलता कि कौन कौन महानुभाव दरख्वास्तों पर विचार करते हैं, कौन कौन तारीख को मिटिंग बुलाई जाती है और किस किस को तकावी दी जाती है और जिनको दी जाती है, उन्हें रुपया कम मिलेगा। वे लोग चक्कर लगाते रहते हैं और परेशान होते हैं। हम लोगों के टच में नहीं रहते हैं, इससे किसको क्या कहें, इसका

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

कोई पता नहीं लगता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी समिति का गठन किया जाय।

पंचायतों में नामजदगी की बात है। पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं, आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, एक साल हो गया, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं अब तक वहां पंचायत में नामजदगी नहीं हुई। मैंने इसके लिए कई बार लिखा पढ़ी की है, सम्बन्धित ऑफिसर्स से मिला हूं पर पता नहीं कागज कहां हैं, कहां गुम हो जाते हैं। इसलिए इन बातों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

छात्रवृत्ति वितरण के बारे में इस साल अजीब समस्या सामने आई। मैंने देखा है कि हर साल छात्रवृत्ति वितरण के लिए फार्म छपते हैं और हर स्कूल में पहुँचाये जाते हैं, जिले के हैड क्वार्टर्स पर पहुंचाये जाते हैं। इस बार विलम्ब हुआ, कुछ फार्मों में संशोधन हुआ, पहले दो तरह के फार्म छपते थे, इस बार ६ तरह के फार्म छपवाए गए, जब कि ३१ अगस्त अन्तिम तारीख थी, १५ अगस्त तक फार्म छपे नहीं। मुझे दो तीन बार जाना पड़ा डाइरेक्टर के पास। आखिर वे फार्म छपे और भिजवाये। उसके बाद आज तक जहां स्कूल हैं, जहां हाई हाई स्कूल मौजूद हैं, वे फार्म नहीं पहुंच पाए हैं। मैं नहीं समझ पाता कि छात्र वृत्ति किसको और कैसे मिलेगी। आखिर गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाने के लिए कोई कमेटी जरूर होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है, कुछ पैसा खर्च करती है लेकिन उसका तरीका इतना गलत है कि समय पर रकम का उपयोग नहीं हो पाता है, जो ऑर्डर होता है, जो स्कीम होती है, वह समय पर कार्यान्वित नहीं हो पाती है। छात्र वृति के फार्म आने के बाद यह देखा गया है कि फरवरी तक १० महीने की छात्रवृत्ति-स्वीकार करते हैं और अप्रेल, मई में स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके पहले कुछ को छात्रवृत्ति की रकम मिल पाती है लेकिन बहुत सों को लापरवाही के कारण जुलाई तक नहीं मिलती है। मैंने दो चार के लिए लिखा पढ़ी की है तब जाकर कहीं अगस्त में छात्रवृत्ति मिल पाई है। तो जो सरकारी रकम दी जाती है, उसमें शिथिलता का कारण कायदे-कानून हैं, इसके लिए कुछ उपाय सोचना जरूरी है।

मैं दो एक केसेज आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो आप ताज्जुब करेंगे। पिछले साल मेरे पड़ौस में एक मजदूर का घर था, उसमें एक कोठा था, वह कच्चा मकान था, उसके ऊपर छप्पर डाल रखा था। सौभाग्य की बात है, बरसात होने के बाद उस घर में दो बच्चे और स्त्री पुरुष आंगन में बैठे थे कि वह कोठा बैठ गया। जब उसका धमाका हुआ तो मोहल्ला का मोहल्ला चौंक गया। मैं भी घर में से निकल कर आया और देखा कि पूरा मकान बैठ गया है। मैंने सोचा कि और क्या हमदर्दी हो सकती है, गवर्नमेंट से लिखा-पढ़ी की जाय। लगभग एक साल हो गया लेकिन आज तक उसका कुछ फल नहीं निकला। मैं आज फाइल नहीं लाया क्योंकि याद नहीं रही, लेकिन मैंने पांच सात बार लिखा-पढ़ी की है, उनको जवाब मिला कि कार्यवाही हो रही है, उस साल में नहीं हुआ तो इस साल में हो जायगा। लेकिन आज तक पता नहीं लग रहा है कि कागज कहां रुके पड़े हैं। मजदूर का घर गिर गया है, उसको सहायता देनी है या नहीं, यह साफ लिख दें, उसको सालों तक

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

लटकाए रखना ठीक नहीं है। यह आश्चर्य-जनक घटना है।

और बातें भी हमारे तजुर्बे में आती हैं। मैं जिस स्थान पर काम करता हूँ उसमें रात दिन उलझनें आती है। मेरे जैसे आदमी जो हैसियत रखते हैं दफ्तरों में जाने की, ऑफिसर्स से मिलने की वे किसी तरह काम करा लेते हैं। लेकिन जो गाँव रहने वाले हैं...

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मिनिस्टर से मिलने की हैसियत नहीं है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : कुछ भी सही इतना तो है। लेकिन वे बेचारे दफ्तर में कलेक्टर के दफ्तर में नहीं जा सकते, जो कागज देते हैं, उसका पता नहीं लगता है, उनके पास फाइल होती नहीं जिससे पता लग सके कि फलां तारीख को फलां कागज भेजा था। यह दिक्कत उनके सामने आती है और नतीजा यह होता है कि वे कई कई दर्ख्वास्तें देते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं होता है।

इसलिए उसूल में यह प्रस्ताव महत्व-पूर्ण है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा जो संशोधन है कि विभाग की स्थायी समितियों का गठन किया जाय, उसमें एक माननीय सदस्य ने एक शब्द जोड़ा है 'यथाशीघ्र' यह और भी सुन्दर बात है। इस तरह का जो संशोधन है, मैं समझता हूं वह स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री सभापति : His name appears on the list of those who have given their amendments. Amendment that has been moved, has been produced on the list. Now according to the list, Mr. Satish Chandra has moved the amendment. Now I call upon Mr. Satish Chandra to make his speech. I think all amendments have been moved and so I call upon Mr. Satish Chandra to make the speech.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट दिया उस अमेंडमेंट को हम तीनों ने जोइन्टली मूव किया है, मैंने, श्री जगदीश-प्रसाद माथुर और श्री दयाकृष्ण विजय ने। मेरा निवेदन यह था कि यह अमेंडमेंट मैं मूव न करूं और श्री दयाकृष्ण विजय मूव करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले नम्बर पर श्री शतीशचन्द्र अग्रवाल का नाम था, उनको कॉल किया गया। जो दूसरा नाम दिया है, वह बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री सभापति : He may raise.

श्री दामोदरलाल व्यास : He should have then no right to speak on this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No. No.

श्री सभापति : Under what rules?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना अमेंडमेंट मूमन करना चाहता हूं तो अपने अमेंडमेंट पर बोल सकता हूं।

श्री सभापति : Mr. Satish Chandra can like any other Hon'ble member participate as a Member, not necessarily as a mover of this amendment, but he can participate in the debate.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आपने कहा कोई न बोले, तो न बोले। कोई भी बोल सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): सभापति महोदय, आज सदन के सामने गैरसरकारी संकल्प रखा है, उस संकल्प में है कि आज प्रशासन के अन्दर जो शिथिलता दिखाई देती है उसको दूर करने के लिये विभागीय समितियों का गठन करना चाहिए।

हमारी ओर से जो संशोधन मूव किया गया है वह संशोधन इस प्रकार है, विभागीय समितियों के स्थान पर एक समिति बनानी चाहिए जो सारे विभागों में फैली हुई शिथिलता की जांच करे। आज जब हम इस विषय पर जांच कर रहे हैं कि आया विभागों में शिथिलता है कि नहीं तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि इस शिथिलता के विषय में जांच करें कि वहां शिथिलता है, अलग अलग विभागों में नजर दौड़ायें तो हमें यह शिथिलता नजर आती है। शिक्षा विभाग को ले लीजिये, ग्रामों में स्कूलें खुलती हैं, बहुत समय से गांवों के लोग मांग करते रहते हैं कि हमारे यहां स्कूल खुलना चाहिए तो बड़ी मुश्किल से वहां स्कूल खोला जाता है, पर टीचर्स गांवों में नहीं पहुंचते हैं। आज कितनी शिकायतें शिक्षा विभाग के पास इन गांवों की मौजूद है, वहां टीचर नहीं जाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, पांच व छः महीने निकल जाते हैं पर टीचर वहां नहीं आते हैं। छोटे छोटे गांव में एक टीचर के ही स्कूल होते हैं और वहीं टीचर नहीं पहुंचता है तो वहां के बच्चे इस आशा में रहते हैं कि अब तो हमारे यहां स्कूल खुल गया है, टीचर के आने की आशा में बैठे रहते हैं और इस तरह उनका साल यों ही चला जाता है।

किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, नेहरूजी कहते हैं कि आराम हराम है, जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाये जाते हैं पर किसी भी दफ्तर में जा कर देखें, वहां आराम नजर आता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और रकम तय की जाती है, बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं कि पांच साल में इन इन योजनाओं को खत्म करेंगे पर पांच वर्ष बीत जाते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है, वे काम पूरे नहीं होते, अधूरे ही रह जाते हैं। इसके लिये मैं उदाहरण पेश करूंगा कि कोटा से इटावा तक सड़क बनाने का प्रथम पंच वर्षीय योजना में निर्णय लिया गया था पर आज तक भी वह सड़क १५, २० मील से ज्यादा नहीं बनी है, जबकि ५०, ६० माइल उसे पहली पंचवर्षीय योजना में ही बन जाना चाहिए था। कई ऐसे सवाल हैं, बिल्डिंगें अधूरी पड़ी हैं, सड़कें अधूरी पड़ी हैं, निर्माण के अनेकों कार्य अधूरे पड़े हैं, जो योजनाएं बनती हैं विभागीय शिथिलता

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के कारण अधूरी रह जाती हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाल सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरी कॉन्सिटटयुएन्सी में घट्टी नामक स्थान है, वहां पर बंगाल के शरणार्थियों को बसाने की योजना तैयार की गई, उन पर ३६ लाख रुपया खर्च करने का सरकार का इरादा है। बंगाल की सरकार को लिख दिया गया कि शरणार्थियों को भिजवा दिया जाय और शरणार्थी बंगाल से वहां पर आ गये, पर वहां न उनके रहने के लिए मकान हैं और न खाने-पीने के दूसरे साधन हैं। आज उनको वहां पर आये हुए डेढ़ साल हो गया है पर जमीनें साफ नहीं होने से वे सरकार पर ही बैठे बैठे खा रहे हैं। सरकार जो उनको डौल दे रही थी, वह भी बन्द हो गया है और लोग भूखों मर रहे हैं, यहां तक कि भूख के कारण प्रमीला और अरीना नामक दो महिलाओं की मृत्यु हो गई! यह निश्चित है कि इनकी जान भूख के कारण गई। यह स्वाभाविक है कि जितना डौल दिया जाता है, माताएं अपने बच्चों को खिला देती हैं और खुद भूखी रह जाती हैं इस कारण भूख से उनकी मृत्यु हुई ..

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): The Hon'ble Member on his own question got a reply from the Government that everybody is getting dol there and still he is repeating in this House the same. It is a fact that they are getting it. This is wrong that anybody died on account of starvation. I would like to point out, Sir, what is the substance in it.

श्री दयाकृष्ण विजय: प्रश्नोत्तर काल में जैसे आप जवाब देते हैं, सबको पता है, आपके जवाब से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं....

श्री सभापति (श्री बरकतुल्लाखां)। देखिये बात यह है कि मामूली सी बात है कि गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि गवर्नमेंट उनको डौल देती है। यह एक ऐसी बात है जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। गवर्नमेंट की ओर से कहा गया है कि गवर्नमेंट उनको डौल देती है तो, प्रीमाफेसी तौर पर मैं गवर्नमेंट के रिप्लाई को करेक्ट मानता हूं unless they are proved otherwise...

श्री दयाकृष्ण विजय: मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो डौल दिया जा रहा है वह पहले परिवार आये थे उनको नहीं दिया जा रहा है, अप्रेल में ही बन्द कर दिया है, बाद के-१२५ परिवार आये हैं उनको मिल रहा है। सरकार की ओर से कहा गया था कि एक साल तक डौल दिया जायगा पर सरकार ने उनको कोई काम नहीं सौंपा है, उनको जमीनें दी हैं पर वे पथरीली जमीनें थीं, उनमें बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए थे। आस पास के बड़े बड़े फार्म्स वालों से उन लोगों ने ट्रैक्टर मांगे थे पर उन्होंने मना कर दिया कि हमारे ट्रेक्टर्स से ये बड़े बड़े पेड़ नहीं उखाड़े जा सकेंगे। मुकर्जी और एक लालवानी हैड क्लर्क हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहां एक चैन वाला बुलडोजर आना चाहिए, जो जमीन को खोद सके, पर आज तक राजस्थान सरकार बनर्जी और कलेक्टर के लिखने के बावजूद भी कोई प्रबन्ध नहीं कर सकी है। लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहां के इन्जीनियरों ने कुए खोदने की योजना बनाई, पर उन्होंने यह नहीं

श्री दयाकृष्ण विजय

देखा कि पत्थरों में पानी निकलेगा भी कि नहीं। एक कूआ खोदा गया। करीब चालीस पचास हाथ खोदने के बाद में भी पानी नहीं निकला, उसको छोड दिया गया और एक दूसरे स्थान पर कूंआ खोदा गया। वहां पर ७० हाथ खोदने पर मुश्किल पानी मिला। वहां गर्मीयों में यह हालत थी कि नाप नाप कर पानी दिया, जिस पानी से वे लोग नहा लेते वह पानी पशुओं को पीने के लिये दिया जाता। इस प्रकार की शिथिलता सरकार में घुसी हुई है, जिसके कारण प्रमीला और अरीना की मृत्यु हुई।

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम की आवाज)

पार्लियामेंट में इस प्रकार का क्वश्चन उठा है और इस हाउस में मैंने प्रश्न दिया है वह आने वाला है कि उनकी मृत्यु भूख के कारण हुई।

इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी शिथिलता का उदाहरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। १९५२ में इन्दरगढ में राजबहादुरजी ने कहा कि हम बड़े बड़े स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। १९५२ से आज १९५६ हो गया पर कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की हुई नजर नहीं आती।

श्री सभापति : Let us not discuss central subjects here. The State Government is not responsible for the acts of the Central Govenment and as such it will not be possible for them to reply. I would, therefore, like that those subjects which are concerned with the Central Govenment need not be discussed here.

श्री दयाकृष्ण विजय : सेंट्रल सब्जेक्ट है पर राजस्थान गवर्नमेंट की नोलेज में आ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से राजस्थान सरकार को लिखा पढी करनी चाहिये थी। पर सरकार में व्याप्त शिथिलता के कारण....

श्री सभापति : The Hon'ble Minister is absent here. The Minister for Transport and Communications is not here and it will not be fair on our part to criticise on that particular ministry.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस प्रकार की सिफारिश कर सकती थी कि सेंटर ने इस प्रकार की योजना ली है उसको पूरा करना चाहिये था।

दूसरी बात यह है कि कोटा डिवीजन के लिये तय किया गया कि ४ स्थानों पर नल लगायेंगे, पर आज एक भी जगह नल की व्यवस्था नहीं की गई है, कागज़ों में लिख दिया जाता है पर विभागीय शिथिलता के कारण कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जाती है।

हमारे यहां की आश्वासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मिनिस्टरों ने जितने आश्वासन दिये हैं उनमेंसे दो तिहाई पूरे नहीं दिये गये हैं। असेम्बली में सदस्यों की ओर से कोई भी क्वश्चन किया जाय तो मिनिस्टर कहेंगे कि हम विचार कर रहे हैं। कब तक विचार करेंगे ? कोई भी प्रश्न पूछो उत्तर आयेगा कि विचाराधीन है। सारे मिनिस्टरों की फाईलों में ऑफिसेज में यह 'विचाराधीन' शब्द चल पड़ा है।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पुलिस में केस रजिस्टर कर किये जाते हैं पर उनको ट्रेस आउट नहीं किया जाता। किशनगंज तहसील का मुझे याद है इसमें ,५६ में कई डकैतियां हुई पर आज तक उनका पता नहीं लगाया गया।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाइये, जरूरतमंद आदमी वहां दरख्वास्त दे कि हमें टीन मिलनी चाहिये, आयरन एंगिल मिलने चाहिये, तो उस समय टीन और आयरन एंगिल मौजूद होंगे तो भी उसकी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी रहेगी और जब सारा कोटा खत्म हो जायगा तब उस दरख्वास्त पर लिख दिया जायगा कि आयरन एंगिल, टीन खत्म हो गये। एक महिने तक नहीं दे कर जब वह सब मेटिरियल खत्म हो जाता है उसके बाद उसकी दरख्वास्त पर लिख दिया जाता है कि कोटा खत्म हो गया है।

२ म० प०

आज सारी की सारी इस प्रकार की हालत सभी दफ्तरों में दिखाई देती है। आप म्युनिसिपेलिटीज की तरफ देखें, आपको मालूम होगा कि जगह जगह मकान बने हुए दिखाई देंगे मगर वे किराये की जमीन पर बनाये गये हैं। समझ में नहीं आता कि किराये की जमीन पर मकान क्यों बनाये गये। क्या उन जमीनों पर मकान बनाने के लिये म्युनिसिपेलिटीज से इजाजत ली गई? नहीं ली गई। सिर्फ इजाजत के लिये एप्लाइ कर दिया गया। मगर म्युनिसिपेलिटीज सोई हुई हैं, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और जब मकान बन कर तैयार हो गये तो म्युनिसिपेलिटीज को मालूम आ। कोटा की कई इस प्रकार की मिसालें हु मैं आपके सामने रख सकता हूं। कई मकान ऐसे हैं जो बगैर इजाजत के बनाये गये। आज यह स्थिति एक जगह की नहीं है, सारी की सारी जगह ऐसी स्थिति है। मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े पोस्टर लगाने मात्र से कि आराम हराम है, कोई काम नहीं चल सकता जब तक हम इसके कारणों की तरफ नहीं जावेंगे। आप आज किसी भी सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की छाती पर हाथ रख कर पूछें कि भाई क्या हाल है तो वह यही कहता है कि भाई किस दफ्तर में जा कर रोवें, वह अपना यही रोना रोएगा कि मैं फलाने के पास गया, ढीकड़े के पास गया मगर कोई सुनने वाला नहीं। यही बात हर एक व्यक्ति के मुंह से सुनाई देती है और हम सारी बातों को मानते हैं कि हमारे दफ्तरों में शिथिलता है। अगर हमको यह देखना है कि आखिर इस शिथिलता का कारण क्या है, अगर हम इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज आती है वह यह है कि आज हमारी नौकरशाही पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। हम इस मामले में उदासीन हैं। और कन्ट्रोल करने वाले मिनिस्टर के लिये मैं कहूँ तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार की प्रशासनिक योग्यता उनसे आपेक्षित थी उस प्रकार की प्रशासनिय योग्यता उनमें दिखाई नहीं देती है। हो सकता है उनको कुछ रेस्ट्रिक्शन्स हों, कुछ राजनैतिक कारण हों, कुछ पार्टी बाजी के कारण चाहें वे योग्य हों या नहीं उनको मिनिस्टर बनाना पड़ता है। जब प्रशासन में बैठा हुआ आदमी योग्य नहीं होगा और वह गिरा हुआ होगा तो वह अपने नीचे काम करने वालों को कुछ नहीं कह सकेगा और काम करने वाले योग्य नहीं होंगे। उनमें अवश्य शिथिलता आवेगी। अगर यही दशा है तो मिनिस्टरों को प्रशासन योग्यता के लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ट्रेनिंग लेनी चाहिये। उनको केवल अपने सेक्रेटरीज के मुखापेक्षी बन कर नहीं रहना चाहिये। अगर इस प्रकार मिनिस्टर करते रहेंगे और अपने सेक्रेटरीज के ही मुखापेक्षी रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान का भविष्य अन्धकारमय ही होगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि नौकरशाही में लाल फीताशाही और शिथिलता क्यों आई। हम देखते हैं कि एक एक कर्मचारी को एक एक साल में तीन तीन, चार चार जगह चला दिया जाता है और इसका कारण केवल यही है कि वे मंत्रियों के मर्जी पात्र बन कर नहीं रहते हैं। वे लोग स्वतन्त्र बुद्धि से काम करना चाहते हैं। मैं पार्लियामेंट में जनरल किमैया के बारे में जो प्रश्न हुए उनको मैं बताना नहीं चाहता। मगर मैं यही कहूंगा कि हमारे यहां पर भी यदि किसी मिनिस्टर से नहीं बनती है तो कलेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर कटाए। मिनिस्टर की जी हजूरी करते रहें तो आपकी उन्नति होगी। यह आज हमारे ऑफिसरों की भावना रही है। उनको प्रशासन का ज्ञान होना चाहिये। उनको प्रशासन की तरफ ध्यान देना चाहिए मगर यह नहीं दिया जाता और उन लोगों की उन्नति होती है जो मिनिस्टरों के कृपापात्र होते हैं। इस कारण से नौकरशाही में शिथिलता आ गई है। जब तक हम प्रशासन में नौकरशाही को सुरक्षा न दें; जब तक नौकरशाही के मन में सुरक्षा का भाव नहीं होगा, नौकरशाही को यह तसल्ली नहीं होगी कि उनकी सेवाएं सुरक्षित हैं और मैं किसी से भी पदच्युत नहीं किया जा सकूंगा अगर मैं अपनी स्वतन्त्र राय दूँगा तब तक वह ऐसा नहीं करेगा। जब तक उसमें स्वतन्त्र की भावना नहीं आवेगी।

मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और उसमें काम पूरा नहीं होता, इसका कारण है भ्रष्टचार। अगर आप यहां पर किसी काम के लिए दरख्वास्त दें, आपका प्रार्थना पत्र पहुंचेगा मगर जब तक आप उस बाबू के पास नहीं जावेंगे तब तक उस कागज को कोई ध्यान से नहीं देखेगा। वह कहीं पड़ा रहेगा। जब तक आप किसी बाबू से जाकर यह न कहें कि मेरा कागज आपके यहां पर आया हुआ है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप उनसे जाकर कहेंगे कि मेरे कागज को अब तक क्यों नहीं निकाला तब यह कहेगा कि क्या हमारी भेंट-पूजा है? कुछ मिलेगा? आप कहेंगे कि जरूर आपको इसमें प्रसाद मिलेगा, भेंट पूजा मिलेगी। वह उसके बाद आपके कागज को फाइल में या अलमारी में से या कहीं से भी रद्दी की टोकरी में से भी हो उस कागज को निकाल लावेगा। इसका खास कारण यही है कि आज हम अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। हमारा कर्तव्य राष्ट्र की आजादी के बाद उसका नव निर्माण करने का था। जो लोग देश को आजाद कराने में नींव के पत्थर बने, उनका काम नहीं है। आज जो लोग स्थम्भ बन कर खड़े हैं उन पर इसका भार है। इसके लिए जब तक लोगों में चेतना जाग्रत नहीं होगी, जब तक हम राष्ट्र के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग करके राष्ट्र को ऊपर उठाने की भावना पैदा नहीं करेंगे, यह भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। यह भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है, तभी समाप्त हो सकता है जब हमारे मिनिस्टर पक्षपातरहित हों और उनको प्रशासन का

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ज्ञान हो। मिनिस्टरों पर आरोप लगाने की मेरी मंशा नहीं है, हो सकता है कि वे इस प्रकार के कार्य करने के लिए मन्त्री होकर बाध्य हो गए हैं, मगर उन पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजे वाद के सभी आरोप लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि वे राष्ट्र के कर्णधार हैं लेकिन उनमें चरित्र का अभाव है। मैं यह कहूंगा कि जब तक मिनिस्टर लोग प्रशासनिक कार्यों से भेदभाव, पक्षपात, भाई-भतीजावाद, घूस लेने की आदत को समाप्त नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। और राजस्थान के प्रशासन में जो शिथिलता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह किसी भी हालत में दूर नहीं हो सकता है। अगर हम शिथिलता को दूर करना चाहते है तो उनको चाहिए कि ऊपर के बैठे हुए लोगों को देखें कि वे क्या काम कर रहे हैं। किसी पर आरोप लगाना आसान है और आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं, हम घूस खोरी तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, किसी रिस्तेदार को ऊपर तो नहीं उठा रहे हैं ? इस प्रकार जब कार्यवाही की जाती है तो नौकरशाही में असंतोष फैलता है। चाहे व राजनैतिक कारण से ही ऐसा करते हों। मगर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जिन लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में नहीं भेजना चाहिए उसको एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाता है। एक अध्यापक की बात सुनाता हूं। एक अध्यापक कोटा में रहनेवाले को पहले बीकानेर में गंगानगर भेजा वहां से उसको शाहबाद भेजा और वहां पर वह ७ दिन रहा होगा कि फिर उसको बीकानेर के लिये आज्ञा दे दी। उसको पहले का टी. ए. और डी. ए. नहीं मिला। कहां बीकानेर और कहां शाहबाद। एक वर्ष में उसको तीन बार बदल दिया जाता है। जब तक ऐसा होता रहेगा इस प्रकार की नौकरशाही में विश्वास नहीं हो सकता।

हमारे प्रशासन में शिथिलता होने का और भी कारण है और वह यह भी है कि हमने इतनी छुट्टियां बढ़ा रखी हैं कि काम करने के दिन इतने कम हैं कि काम करने के लिये जितने दिन दिये जाने चाहिए नहीं दिये गए हैं। छुट्टियों की वजह से तेजी से जो काम होना चाहिए नहीं हो पाता। क्लर्क लोग ११ बजे दफ्तर में जाकर पहुंचते हैं। वे वहां पर बैठे बैठे १।। बजे का इन्तजार करते हैं। १।। बजे उठ कर चाय को चले जाते हैं। वहां से २।। बजे वापिस आते हैं और ४।। बजे तक का इन्तजार करते रहते हैं कि कब ४।। बजें। उनका तो यह निश्चित काम है कि एक या दो फाइल देख लें। आज जो छुट्टियां हैं उनमें हमको कमी करनी चाहिए। अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमें भ्रष्टाचार को रोकना होगा और यह जो शिथिलता नौकरशाही में फैली है उसको मिटाना होगा। पंडित नेहरू ने कहा था कि जिस संक्रामक रोग से और दौर से आज हम गुजर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नौकरशाही पर है, मिनिस्टर वर्ग पर है। अगर आज जो दौर है उसके साथ चलना है तो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। इसके साथ साथ यह कहूंगा कि शिथिलता को रोकने के लिये एक कमेटी बनाई जावे। अगर एक एक अलग अलग विभाग के लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बनावेंगे तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद शिथिलता आ जावेगी । इसलिए एक ही समिति बनाई जावे जो एक एक्सपीरियेन्स को दूसरी और फिर तीसरी जगह काम में लावे । इस तरह से दूसरे विभागों की जांच में सहयोग मिलेगा । इसलिए एक स्थाई समिति बनाई जावे जो सब दफ्तरों की जांच करे और जो शिथिलता के कारण हैं उनको ढूंढ़ निकाले, यही मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति: श्री मूलचंद डागा ।

श्री जगदीशप्रशाद माथुर (सीकर) : मेरा संशोधन प्रस्ताव है ।

श्री सभापति : एक अमेन्डमेन्ट तीनों माननीय सदस्यों ने जोइन्टली मूव किया, उनमें से एक को एज़ मूवर मौका दे दिया बाकी के इन्डीपेन्डेन्ट हैं, आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अमेन्डमेन्ट वालों को भी समय पहले मिलना चाहिये ।

श्री सभापति : This amendment was 'tabled' jointly by three members.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : All the three are allowed to speak ?

श्री सभापति : Either of these three Hon'ble Members one has been allowed to move the amendment and the rest will take chance to participate in the debate at a later stage. I will now give an opportunity to those members who have moved separate amendments.

श्री मूलचंद डागा (पाली) : माननीय सभापति यह जो संकल्प एक डाक्टर ने मूव किया है । डाक्टर यह समझता है कि जब ज़िन्दगी में शिथिलता आ जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है । और बुढ़ापा मौत है जो जिन्दगी के आखरी दिन होते हैं ।

श्री सभापति : बचपन में बुढापा आ गया है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह फैसला कर लें कि बुढापा आगया है तो जिलाते ''

श्री मूलचन्द डागा : इस संकल्प के शब्द हैं कि प्रशासन में व्याप्त शिथिलता के कारणों का पता लगाना है । इस शरीर के सारे अंग अंग में शिथिलता आगई है और वे बताना चाहते हैं कि मौत की छाया न पड़े उसके लिए पहले समिति बिठाई जाय और सारे डॉक्टर्स मिल कर परिचर्या करें । यह एक डॉक्टर ने प्रस्ताव रखा है और दूसरी तरफ डॉक्टर चन्द्रकला ने इस पर बोला है । एक शारीरिक डाक्टर है तो दूसरी और मानसिक डाक्टर है । सचमुच बुढापा और जवानी में फर्क है , बुढापे में शिथिलता आती है और जवानी में तेजीपन । अगर आप में शिथिलता आ गई है और जवानी कहते हैं तो दोनों में फर्क है और अवश्य है । हम तेज चल सकते हैं और चलना चाहते हैं। राजस्थान बहुत वर्षों से पिछड़ा हुआ है। उसमें मंद गति और धीमी चाल से नहीं चलना

Page No 68

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहते इसका कारण यह है । कि देश में गति लाना चाहते हैं , प्रगति लाना चाहते हैं, देश का उद्धार करना चाहते हैं इसलिए संकल्प रखा गया है। उनका खयाल और उनका विचार बिलकुल साफ है कि जिस देश में शिथिलता, मंद गति या धीमापन आ जाता है उस देश की शासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है और उसकी स्थिरता और उसकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाती है और जिस शासन में, और उसकी व्यवस्था में शिथिलता आ जाती है उस शासन की प्रतिष्ठा और स्थिरता दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं । और वह होगा कि आदमी या तो संसार से उठ जाता है या दूसरा रूप यह होता है कि वह नयी ताकत, नयी जवानी लेकर खड़ा होता है, वह अपनी बीमारी को फैंक कर खड़ा हो जाता है । हमको यह बात मानने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि प्रशासन में शिथिलता, मंद गति, धीमापन आगया है और उससे हमारी हालत चिन्ताजकक हो गई है, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती । इसका कारण क्या है ? शिथिलता का मूलकारण क्या है इस ओर हमको देखना होगा। लोग उन कारणों को ढूंढना चाहते हैं और हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन कारणों को ढूंढें, उन कारणों के उन्मूलन के लिए, उनको हटाने के लिए तरीका सोचें । सबसे बड़ी बात यह है और इसके पीछे जो कारण हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जमाना था हम अंग्रेजों की हुकुमत के नीचे रहे और अंग्रेजों ने हुकुमत की । नौकरशाही थी, उसका केवल परिणाम था । सिविल सर्विस अंग्रेजों के जमाने में क्या चाहती थी ? आदमी जन्म से स्वार्थी होता है । पशु हो और उस पर सभ्यता का कितना ही मुल्लमा चढ़ाया जाय वह स्वार्थ को नहीं मिटा सकता । तो अंग्रेजों के वक्त में सिविल सर्विस थी उसका एकमात्र उद्देश्य था और वह क्या था, इसके लिए गोरवाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है :

'The civil service in India in the past had one supreme purpose and it was to maintain the supremacy of the Britain and British Imperialism in this country.'

नौकरशाही की केवल एकमात्र इच्छा थी कि हम ब्रिटिश हुकूमत को किस प्रकार से कायम रखें । ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेन्ट थी, उनकी मशीनरी मन्दगति से चलने वाली थी, उसका जो कार्य था वह ही हमको मिला । मूलभूत कारण यह है कि हम लोगों को गुलाम बनाये रखने में सिविल सर्विस का ऑब्जेक्ट था, आप जानते हैं नौकर लोग मालिकों से ज्यादा जुल्मी होते हैं, मालिक लोग जितने जुल्म नहीं करना चाहते, चाहे उस वक्त के मालिक, राजा, सम्राट सात समुद्रों पार रहते हों उनकी इच्छा शायद जुल्म करने की नहीं थी जितने जुल्म कि सिविल सर्विस ने किये और वह हमको गुलाम रखना चाहती थी हिन्दुस्तान में गुलामी कायम रखनी चाहती थी। उसी नौकरशाही की जो भावना पहले उस जमाने में थी वही भावना अब भी कायम है, उसी रूप में विद्यमान है । मैं यह नहीं कहता, जब लाल किले पर अर्धरात्रि को सन् ४७ में झण्डा फहराया गया उसको फहराते हुए, उसकी भावना में कोई परिवर्तन आगया जिस रूप में आना चाहिए था उस रूप में नहीं आया, उसके लिए कारण

(श्री मूलचन्द डागा)

ढूंढ रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत के नीचे जिस प्रकार रहकर हुकूमत की भावना थी, उसी नौकरशाही की भावना अब भी उनमें काम कर रही है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि हम किस लिये लड़ रहे हैं।

We ought for freedom not against British, as Mahatma Gandhi said, it was not against the colour it was against bureaucracy that we wanted to be free from." हम जानते हैं कि लोग फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे, उस नौकरशाही की हुकूमत को खत्म करना चाहते थे और हमारी हुकूमत कायम करना चाहते थे और इसीलिए हमने ब्रिटिश हुकूमत को पलटना पसन्द किया। उस मुल्क के गुलामों के गुलाम लोगों ने हम गुलाम लोगों पर इस तरह से शासन किया अपनी जिन्दगी को सरसब्ज बनाने के लिए। उन्होंने हमारी परवाह नहीं की और वे कलेक्टर, छोटे छोटे टोमी आते थे उन्होंने सन् १९४२ में क्या जुल्म किया, सिपाहियों ने क्या जुल्म किया और इस प्रकार जुल्म ढाह कर हिन्दुस्तान पर हुकूमत की, राज्य किया, जिस रूप में किया वह एक देन है, इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उसकी नौकरशाही की ब्योरोक्रेसी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई करते चलते चले और हिन्दुस्तान में हुकूमत बदली। अफसोस की बात है कि ५६ लाख तो मोटे मुस्टन्डे साधु सन्यासी पैदा हो गये, जो कीली पर सो जाते हैं और खूब मौज मजे से अपनी जिन्दगी को बसर करते हैं, जो सांप पकड़ कर लाते हैं। और ५६ लाख की नौकरशाही की जमात पैदा हो गई।

श्री सभापति : But the Service class owes allegiance to the Republic of India and are actually employed by the President to serve the country.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पार्ट बताया है। मूल कारण क्या है? आपका जो प्रस्ताव है, संकल्प है उसका ही यह एक पार्ट है कि उसका मूल कारण क्या है और वही मैं बता रहा हूं। तो ५६ लाख की नौकरशाही है हमारे देश में, राजस्थान में जितनी मशीनरी है और जो काम कर रही है वह भी उसका एक हिस्सा है। मशीन के पुर्जे तो यहां भी मौजूद हैं। जो मशीन के पुर्जे की तौर पर काम करते हैं वे देश को अपने लिए समझते हैं न कि अपने को देश के लिए। उनका उद्देश्य यही रहता है कि देश हमारे लिए है हम देश के लिए नहीं . . .

श्री सभापति : How will the Democracy work without this bureaucracy and the service class?

श्री मूलचन्द डागा : अगर वे यह समझते कि देश हमारे लिए है तो आज जो हम उनमें शिथिलता देखते हैं वह नहीं पाते। लेकिन यह भावना उनकी नहीं रहती वे सोचते हैं देश हमारे लिए है और यही कारण है कि रेड टेपिज्म, और शिथिलता को बढ़ावा देने में मदद पहुंचाते हैं। दुख की बात है कि इस ब्यूरोक्रेटिव गवर्नमेंट के अन्दर भी हम देखते हैं कई अच्छी चीजें थी जब हमारे यहां ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय इस नौकरशाही को डर था, वे इससे भय खाते थे। हालांकि उनकी हुकूमत खत्म होगई, हमारा अपना राज्य हो गया लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद

Page No 70

(श्री मूलचन्द डागा)

अगर कोई वर्ग हिन्दुस्तान को नीचा दिखाने लिए आमादा है। वह यही वर्ग। है आज इसीके कारण हमारे देशकी स्थिति इस हदतक पहुंच गई है। लालफीताशाही और रेड टेपिज्म का भी यही कारण है। श्रीमान शासन तो वह होता है कि जिसका भय उसके कर्मचारियों पर रहता हो लेकिन जो शासन प्रभावहीन होते हैं उनका शासन के तन्त्र पर किसी प्रकार से भी असर नहीं पड़ता। मैं समझता हूं आखिर नौकर तो नौकर ही रहता है नौकर जब मालिक बन जाता है तो फिर कहना ही क्या लेकिन आज स्थिति है, मालिक है वह नौकर बन बैठा है। हमारी अयोग्यता के कारण, हमारे चरित्र की कमी के कारण, हमारी पक्षपात की भावना के कारण हमको उनके सामने गिरा दिया है। जो खुद गिर चुके वे दूसरों को क्या गिरा सकते हैं!

हुकूमत करने की तहजीब होनी चाहिये। हुकूमत करने वालों में ताकत होती है, उनके जीवन की छाप नौकरशाही पर पड़ती है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वह ताकत नहीं क्योंकि हुकूमत करने वाले अपने चारित्रिक दुर्बलता को अच्छी तरह जानते हैं वैसी हालत में उनका असर क्या पड़ेगा यह आप जान सकते हैं।

(माननीय मंत्रियों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

सभापति महोदय, अगर माननीय मन्त्री गण बात करें तो ठीक है लेकिन वे धीरे धीरे करें।

मैं यह बतला रहा था कि हमारे चरित्र की, हमारे जीवन की प्रतिछाया किस प्रकार हमारे से नीचे काम करनेवालों पर पड़ती है। बात यह है कि जब तक आप लोग नौकरशाही के कान नहीं खींचते उनके कार्य की शिथिलता जा नहीं सकती। कान खींचने की ताकत आप में है या नहीं यह सोचने लायक बात है। आप में हिम्मत नहीं, आपके हाथ लड़खड़ाते है। आप लाख कान खींचने की कोशिश करें आपकी अंगुलियां, आपके हाथ कमजोर हो चुके हैं इसलिए आप कान खींच नहीं सकेंगे। आपकी आत्मा गवाही नहीं देती...

श्री सभापति : कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ३११ जो मौजूद है।

श्री मूलचन्द डागा : कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? हमने बनाया है हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। आपकी जबान उठ नहीं सकती उस पर ताला लगा हुआ है। किस प्रकार की बात आप सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी को कहना चाहते हैं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी योग्यता, उनका पाप अन्दर से बोलता है। जिसके दिल में पाप हो उसकी जबान ऊपर आ नहीं सकती, वे उन पर असर डाल नहीं सकते। जिन्दादिल आदमी जो होते हैं वे ऐसे कामों से कभी नहीं डरते। अपने उसूलों और सिद्धान्तों को ठोकर मार सकते हैं। सभापति महोदय, आप चाहे कुछ कहें, संविधान की दुहाई दें जिस विधान को सत्यमेव जयते के आधार पर हमने बनाया। आज किसी मंत्री को यह अधिकार नहीं कि अपनी जबान से सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी को कुछ कह सके। क्योंकि उनकी आत्मा कमजोर हो चुकी है, उनके पाप उनको इस प्रकार करने को मजबूर करते हैं, उनकी जबान इस बात की इजाजत नहीं देती है।

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल साफ है, जिन्दगी की छाप उनके नीचे वालों पर पड़ती है। हमने जोधपुर में महाराजसिंह का शासन भी देखा। वे जोधपुर में चीफ मिनिस्टर बन कर आये थे उस समय भी हमने देखा उनके आते ही सारी मशीनरी में नयापन आगया था। डा० हैवर्ट को हमने देखा है उनके आते ही अस्पताल में रातदिन आदमी खड़े खड़े काम करते थे। आज चाहें उनकी हुकूमत विदेशियों की रही हो किन्तु उनकी हुकूमत की हमें तारीफ करनी पड़ती है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आदमी के करेक्टर का असर पड़ता है। उनकी कलम में ताकत थी लेकिन आज हम देखते हैं कलम में ताकत नहीं, ईमानदारी नहीं जो पाप से भरे हुए हैं उनका असर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर क्या हो सकता है ?

आज हम देखते हैं लोग पी० डब्लू० डी० को 'प्लन्डर विथ डिसेन्सी' कहकर पुकारते हैं। सभापति महोदय, के यह है जनता के खयालात हमारे पी० डब्लू० डी० के प्रति। जिस विभाग में या विभाग के अधिकारी में शिथिलता आजाती है जहां शिथिलता मनुष्य को ठंडा कर देती है वहां विभाग के काम को भी, राज्य व्यवस्था को भी यह ठप्प कर देती है।

आज हम देखते हैं हमारे मंत्री महोदय कोई किताबें नहीं पढ़ते उन्हें लिटरेचर पढ़ने का शौक नहीं। किसी पत्र पत्रिका को पढ़ेंगे तो वह बहुत हल्की–फुलकी होनी चाहिए। वे दिमाग को किसी प्रकार भी तकलीफ देना नहीं चाहते। उनको न किसी प्रकार की चीजें रखने का शौक है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a point of information. I want to know which Minister is being talked about ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : He is talking about Film India.

श्री सभापति : He is talking in general.

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं जनरल बातें कह रहा हूं। आज हम देखते हैं तरह तरह की समितियों का गठन किया जा रहा है लेकिन जैसे बीमार किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उस बीमार को चाहिए कि वह अपने तमाम हालात को डॉक्टर को बतावें कि किन किन कारणों से उसे यह बीमारी हुई लेकिन जहां मरीज कमजोर है वहां बिना बताये डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर सकता। यही कारण है आज हमारा शासन इसी प्रकार से शिथिल पड़ा है, हमारे शासन रूपी शरीर में शिथिलता आ चुकी है। और उसके आने के यही कारण है जो मैंने बताये। और यही बात गोडबोले ने लिखी थी कि जीवन की छाप नौकरशाही पर पड़ सकती है उनके चरित्र की और उनके कार्य की। अब मैं इस विषय को छोड़ कर आगे आ रहा हूँ।

इस विषय को छोड़कर तीसरा पोइन्ट आपके सामने रख रहा हूँ। एक बात बताई गोडबोले ने कि :—

'The world is governed by pieces of paper.' उन्होंने बताया कि आजकल का शासन कागज के टुकड़ों से सस्ता हो रहा है। उसने तीसरा प्रिन्सिपल रक्खा अपनी रिपोर्ट

(श्री मूलचन्द डागा)

में कि मिनिस्टर शिथिलता का कारण है। एक मिसाल दी। आजकल के ये शासक उद्घाटन, चाटन, भाषण, आश्वासन इसके शिकार बने हुए हैं और नौकरशाही शिथिलता की शिकार बनी हुई है।

उन्होंने बड़ा अनेलिसिस किया कि हिन्दुस्तान में यह गड़बड़ी है क्यों? हिन्दुस्तान की नौकरशाही में नई जान आ क्यों नहीं सकती? वह कहता है सारी मशीन शिथिल बनी हुई है, विरासत में यह सड़ी गली और शिथिल मशीन अंग्रेजी शासन से मिली है।

तीसरी बात है प्रमोशन की। सवाल यह है श्रीमान् कि आज हम जहां जाते हैं इस नौकरशाही के पुर्जे हर जगह यही कहते मिलेंगे कि अजी साहब इस राज्य व्यवस्था में तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। हम क्या मन लगाकर काम करें। यहां तो हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं है। इस तरह से नौकर लोग भी इस शासन के प्रति वफादार और आश्वस्त नहीं हैं। इसका कारण वे यह बताते हैं कि यहां योग्यता की कदर नहीं। चापलूसों की बन आती है चाहे वे कितने ही नाकाबिल हों और अयोग्य हों। पी० एस० सी० ने योग्यता के आधार पर प्रमोशन के लिए रिकमन्ड किया, पर लिया कोई और ही जा रहा है, लोग कहते हैं कि अजी साहब इसने गजब का पेपर किया, सौ में से ६० मार्क्स प्राप्त करेगा पर यहां योग्यता और ईमानदारी के आधार पर प्रमोशन नहीं होते। इस कारण नौकरशाही में खामी है। शिथिलता है। योग्य जो हैं पर जिनमें चापलूसी करने की आदत नहीं है वे पीछे पटक दिये जाते हैं। वे सोचते हैं हमें क्या करना है। अयोग्य चाटुकार आगे आते हैं। वे रोते हैं इस बात के लिए कि यहां ईमानदारी, काबलियत और योग्यता का मापदण्ड न होकर चापलूसी और बातों का मापदण्ड है, जातिवाद और सम्प्रदायवाद का मापदण्ड है, भाई-भतीजावाद का मापदण्ड है वहां हम लोग उम्मीद न करें उनके दिल भी बुझ जाते हैं। आखिर वे ईमानदार और योग्य व्यक्ति इस आशा में तन तोड़कर काम करते हैं, अपनी योग्यता का भरभूर परिचय देते हैं इस आशा से कि उनकी योग्यता से खुश होकर उनको उसका उचित पुरस्कार मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, उनका वाजिब हक उनको मिलेगा पर आज हो यह रहा है कि उनकी जगह पर वे मोटे मुस्तण्डे, निकम्मे और चापलूस लोग लाकर बिठा दिये जाते हैं और इस तरह से यह मशीनरी और भी भ्रष्ट होती जाती है। आज इस तरह के प्रमोशन के मामले, पी. एस. सी. की सिफारिशों को ठुकराकर, ऊपर से थोपने के मामले, पीछे के दरवाजे से घुसकर आने के मामले, भाई-भतीजों के मामले, जातिवाद और सम्प्रदायवाद के सहारे घुसने के मामले, और आज तो गुटबन्दी के आधार पर आने वालों के मामले इस सारी मशीनरी को चौपट किये डाल रहे हैं। यह बात नहीं है कि नौकरशाही सारी ही खराब है, उसमें योग्य और ईमाननार व्यक्ति नहीं मिल सकते ऐसी बात नहीं है। काफी तादाद में मिल सकते हैं पर आज उनकी कद्र करने वाले नहीं है शासन में। वे सही सलाह देने से हिचकते हैं कि हमें इसके प्रसाद के रूप में बाहर तो नहीं जाना पड़ जावेगा। इसलिए वे सही सलाह नहीं दे पाते। आज तो स्थिति यह है कि वे नौकर लोग अफसरों की मेहरबानी पर जीते हैं। मेहरबानी की भूख

(श्री मूलचन्द डागा)

पर जो नौकर काम करते हैं वे शासन तन्त्र की दृष्टि से सफलीभूत नहीं हो सकते। तो आज यह भी स्थिति है कि हमारे नौकरों का जीवन मेहरबानी पर आश्रित है। तो आज नौकरशाही में योग्यता और ईमानदारी की की कीमत न होकर सड़न और गन्दगी की की कीमत है। यह रेड टेपिज्म इसी का एक कारण है। आप योग्यता और ईमानदारी की कद्र करिए अगर यह शिथिला आपको हटाना है तो।

एक कारण यह भी मानता हूं और सही कारण यह मानता हूं कि हम कई बार सुनते हैं कि काबिल आदमियों को भेजा जाता है बोर्डर पर और जो नाकाबिल होते हैं पर जो जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भाई-भतीजावाद और तिकड़मबाज होने के नाते इधर उधर करके आगे आ गये हैं वे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे दिखाई देते हैं। मैं अर्ज करूं कि इस राजस्थान में ऐसे ऐसे कलेक्टर हैं जो तहसीलदार से भी कम ऑर्डर लिखना जानते हैं। ऐसे यहां पर अफसर हैं जिनको चार लाइनें लिखना ठीक नहीं आता। पर हमें इसकी चिन्ता नहीं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): ऐसे मन्त्री भी हैं क्या ?

श्री सभापति : यह सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां सर्विसेज के बारे में बात है। उनको मजबूर नहीं किया जा सकता इसके लिए कि वे आपके मन में जो भावना है उसको रिफ्लैक्ट करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कह रहा था कि जो ईमानदार नौकर के साथ आज बर्ताव है इसका परिणाम है यह रैड टैपिज्म।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यहां सवाल सरकारी शिथिलता का है, करप्शन का प्रश्न हमारे सामने नहीं है।

श्री सभापति : The Hon'ble Member will confine himself to the subject under discussion.

श्री मूलचंद डागा : आखिर शिथिलता का मतलब रैड टैपिज्म भी है और नौकरशाही और रैड टेपिज्म में आनुनासिक सम्बन्ध है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से सम्बन्धित है। जिन्होंने आपत्ति की वे भी बड़े वकील हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : करप्शन से तो कभी शिथिलता नहीं आती, उससे तो मामले बड़े तेजी से निकलते हैं। तीन दिन का काम वे एक ही दिन में कर देते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): Bureaucracy is marked for a kind of officiency. You cannot juxtapose the two.

श्री सभापति : Let us confine ourself to the discussion.

श्री मूलचन्द डागा : तो मैंने जो दूसरा कारण रखा वह यह था कि प्रमोशन में पक्षपात से असन्तोष है नौकरशाही में और इस कारण भी वे शिथिलता से काम करते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसका एक और कारण भी बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज इंगलैण्ड और बड़े बड़े देशों में पढ़ने गए और आई० सी० एस० आदि ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करने गये तो वहां उनके दिमाग में शुरू से यह बात बिठाई गई कि तुम्हारा देश बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ है और वे वहां के सीखे सिखाये लोग यहां जब ऊपर से टपकते तो वे यही समझते कि India is a backword country and very poor country वे इस दिमाग को लेकर यहां से लोगों के सम्पर्क से दूर रहने लगे यहां की बोली में बोलनेवाले यहां की परिस्थिति में सोचने समझनेवालों की बातें उनके दिमाग में बैठती नहीं। तो आज ये बड़े बड़े साहब नौकरशाही के बड़े पुर्जे जो पर्दों और चिकों में बैठ कर यहां की परिस्थिति का इंगलैण्ड में पाई बुद्धि के सहारे अन्दाज लगाने लगे क्योंकि यहां के लोगों को तो वे बैकवर्ड समझने की शिक्षा लेकर आए हैं और चूंकि वे उस मशीन के पुर्जे अपने को समझने लगे जो अपने को टैक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं वे टैक्निकल एक्सपर्ट यहां की परिस्थिति को समझते नहीं और इस वास्ते उनके हल यहां उपयुक्त नहीं पड़ते और इस कारण भी रैड टैपिज्म पनपता है। हमारी रोज-मर्रा की अनुभव की बात गलत, पर ये चूंकि एक्सपर्ट का नाम लेकर आए हैं हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। अगर हमारे यहां ग्रामीण यह कहे कि यहां की जमीन और बीज कैसा होना चाहिए, हमारा अनुभव क्या है, यहां की परिस्थिति में कैसा खाद कैसा बीज ठीक है तो वह उसे सुनना नहीं चाहता, वह किताब जो पढ़ कर आया है। जिसके दिमाग में यह बू भरी हुई है कि जो ज्ञान उसने हासिल किया है वह ऊंचा हासिल किया है तो मैं यह चाहता हूं श्रीमान् कि इन टैक्निकल एक्स-पर्टों की जो नॉलेज है, कुछ को छोड़ दीजिए, उन टैक्निकल एक्सपर्टों के भरोसे आंख मूंद कर सब काम छोड़ दें तो यह भी उचित नहीं है। इससे भी रैड टैपिज्म आपका बढ़ेगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस रैड टैपिज्म का एक कारण यह भी है।

श्री महेन्द्रसिंह पवार : बाहर से आने-वाले लोगों से किस तरह से यह बढ़ रहा है, नाम बताइए ?

श्री मूलचन्द डागा : तो मैं यह बात आपके सामने रख रहा था। हर चीज का नाम बताने का समय मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये बातें इस रूप में आपके सामने रखीं कि लाल फीताशाही किस तरह बढ़ती है और इसके उपाय क्या हैं, जिन कारणों से ये बढ़ती हैं उन कारणों को आप दूर करिये और भी कारण हो सकते हैं, उनको हम किस तरह हटा सकते हैं और दूर कर सकते हैं यह देखिए। इसके कई तरीके निकाले गए हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। आपका एक सेक्रेटेरियट डिपार्टमेंट है और वहां पर बैठ कर मिनिस्टर्स अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं और दूसरी तरफ डाइरेक्टर्स हैं और उनका ऑफिस है। अक्सर यह देखा जाता है कि सेक्रेटेरियट और डाइरेक्टर्स के बीच में टसल चलती है और उसके कारण हालत यह होती है कि उन कागजों

Page No 75

(श्री मूलचन्द डागा)

के पिन लगते लगते उनकी हत्या हो जाती है। सेक्रेटेरियट में पॉलिसी बनती है लेकिन सेक्रेटेरियट का मैटर कन्फाइन नहीं है। पेपर्स के यात्रा करने की सीमा नहीं है। आपने जो नियम बनाए हैं उसका एकमात्र कारण यह है कि हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हमारी ज्यों ज्यों नौकरों की संख्या बढ़ती जा रही है और काम में मन्दगी आ रही है दोनों साथ साथ चल रहे हैं इसलिए लोग कहते हैं कि यह जो लोकशाही का रथ चल रहा है वह नेताशाही और नौकरशाही की दलदल में फंस गया है और उसको कितना ही खीचें जाओ वह निकल नहीं सकता। उसका कारण यह है कि हम उसको निकालने के तरीकों पर नहीं सोचते। सरकार ने कहा कि हम एक सूचना बनाना चाहते हैं कि किसके पास कितनी प्रोपर्टी है और भी कई तरीके निकाल दिए लेकिन कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है। दुनिया इस लालफीताशाही से इसलिए परेशान है कि दुनियां में भले लोग बोलते नहीं हैं। दुनिया किसी चीज से परेशान नहीं है लेकिन जो आदमी भले बनते हैं वे बोलते नहीं हैं म्याऊं का ठौर पकड़े कौन ? लोग कहते हैं कि बोलकर हम क्या करें बोलने से तो उल्टे काम बिगड़ता है, हमारे मन्त्री लोग नाराज हो जाते है। मैं कहता हूँ कि जिन्दगी में एम० एल० ए० बनने के बाद में भी हमारे अन्दर चापलूसी है। कल ही की मैं आपको बात बताऊं। जब चीफ जस्टिस की पार्टी थी उसमें बात हो रही थी मैंने कहा कि आप चुप क्यों रहते हो बोलते क्यों नहीं तो वे कहते हैं कि हमारे तो बिना बोले ही काम हो जाते हैं। ठीक है जिन्दगी में चुपचाप चलते जाइये। इसलिए तो यह हाल है कि 'टके सेर भाजी टके सेर खाजा'। जो चाहता है वैसा करता है। बोलना नहीं चाहिए बोलने से मन्त्री महोदय नाराज हो जायेंगे। अगर कोई आदमी कोई बात कह देता है तो मन्त्री महोदय के दिमाग में वह बात समा जाती है। मेरा कहना है कि हमें विशाल हृदय से सोचना चाहिए। जब हम कोई बात कहते हैं तो इनके दिमाग और मुंह पर लम्बापन आ जाता है।

श्री सभापति (श्री बरकतुल्ला खां) : Let us not indulge in personal grievances.

श्री मूलचन्द डागा : कोई पर्सनल नहीं है।

श्री सभापति : I don't think...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : The speech, as far as I understand, is not related to the main resolution at all. It does not deal with the delay in the Governmental business.

श्री मूलचंद डागा : इसका कारण यह है कि हम लोग जो जानते हैं वह जानते हुए भी हाउस में नहीं कहना चाहते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैंने कल पानी पीया था, यह बात जानने की नहीं है।

श्री सभापति : Mr. Daga please continue and confine yourself to the subject.

Page No 76

श्री मूलचंद डागा : तो मैं यह बतला रहा था कि रैड टैपिज्म में जिन लोगों का सहयोग होना चाहिए उनका नहीं मिल रहा है। कई दफा पुलिसवाले कहते हैं कि हमलोग इस काम को करना चाहते हैं लेकिन हम लोग एवीडेन्स देने के लिए, शिकायत करने के लिए तैयार नहीं। रैड टैपिज्म को मिटाने के लिए नौकरशाही के कान खींचने चाहिए। हमारा सहयोग उनको प्राप्त नहीं होता और इस कारण जो धीरे धीरे काम करने की व्यवस्था है वह बढ़ती जाती है। क्योंकि आखिर में आदमी अपने ढंग को लेकर चलता है और अपनी छोटी सी मेहरबानी के लिए वह रैड टैपिज्म पर हमला नहीं करना चाहते हैं।

इसके सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊं। जितने भी मुकदमे हुए हैं और उनकी इनएफीशियेन्सी के लिए कितना नुक होता है यह मैं आपको बताऊंगा। मैं एक दो मिनट में कहना चाहता हूँ। मैंने प्रश्न किया था और यह पूछा था कि कम से कम राजस्थान गवर्नमेन्ट को शिथिलता के कारण एक लाख रुपया केवल प्रोसीक्यूशन विटनेसेज के एग्जामिनेशन के डेट पर नहीं आने के कारण हुआ। जितने मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो गवाह आते हैं चाहे वह कहीं से भी आये उसमें खूबी यह होती है कि शिथिलता का कारण यह होता है कि उनके पास ऐसे वर्क्स नहीं हैं कि उनके वर्क को कोई देख सकें और कह सकें कि यह तुम्हारे कारण शिथिलता आई है। जैसे किसी को जोधपुर आना है तो वह कह देता है कि मेरा बयान उस तारीख को लेना तो वह लिख देते हैं आज बयान देने के लिए तैयार नहीं है और जिस दिन उस ऑफिसर को दौरा करने जाना होगा वही तारीख रखवा लेंगे। इससे उनको भत्ते का भी फायदा हो जाता है और तारीख पर भी चले जाते हैं। जितनी भी शिथिलता होती है वह रैड टैपिज्म के कारण होती है। शिथिलता इसलिए है कि हम जागरूक नहीं हैं। तो मैं यह बतला रहा था कि लोग कहते हैं कि हमारी प्राईवेट जिंदगी से किसी को क्या मतलब है लेकिन रिपोर्ट में कहा है 'he who acts wikedly in his private life cannot be expected to be Noble in h s public conduct because it is not the man but the place which has changed.'

अगर कोई आदमी जिन्दगी को गन्दगी से बिताता है तो अच्छी जिन्दगी नहीं होती। तो जहां पब्लिक सर्वेन्ट्स रहते हैं उनके चारों तरफ देखना चाहिए कि वह किस प्रकार के एटमोसफियर में रहते हैं, उस एटमोसफियर को पकड़ना चाहिए। वह किस आदमी के साथ बैठते हैं उसको देखा जाये तो अगर इस तरह से सारे एटमोसफियर को चैक किया जाये तो रैड टैपिज्म मिट सकता है। अगर रैड टैपिज्म को मिटाना है तो पर्सनल एटमोसफियर में भी इन्टरफियर करना पड़ेगा।

आखिर में मैं यही कहकर संतोष लेना चाहता हूं जिस रूप में मैंने बातें कही वह मैं एक ही वाक्य में कह कर पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आखिर में हम करें क्या ? हम चाहे जितनी बातें अपने ढंग से करें लेकिन उन्होंने कहा कि जितना हमारा राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य है वह एक ही शब्द में कहूँ।

'Make yourself an honest man and then you can be sure that there is one rascal less in the world'.

हमें अपनी जिन्दगी को ईमानदार बनाना है उससे एक रासकल कम होगा। तो आखिर

(श्री मूलचन्द डागा)

में यह रिपोर्ट में है Make yourself an honest man and then you can be sure that there is one rascal less in the world. हम यह समझें कि दूसरों की बातें कहने की बजाय अपने जीवन को ईमानदार बनायें और यह ईमानदारी अपने आप लाल फीताशाही और रेड टैपिज्म को खत्म कर देगी।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय डॉ० बहादुरसिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रस्ताव को इस सदन के समक्ष रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हमारे राजस्थान के प्रशासन में शिथिलता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और विशेष करके हमारे प्रान्त में लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था शुरू होने के बाद यह शिथिलता बढ़ी है। और अगर हमें राजस्थान और राजस्थान की जनता का कल्याण करना है तो हमें इस शिथिलता के कारणों को ढूंढना पड़ेगा ताकि राजस्थान समृद्धशाली बने। सभापति महोदय ढाई हजार वर्ष पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था:-

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानान्च हिते हितम्

यही हमारे शासकों और शासन का लक्ष्य होना चाहिए। यही उसका मोटो होना चाहिए, यानि प्रजा के सुख में ही शासन अपना सुख समझे और प्रजा के हित में ही शासन और शासक अपना हित समझे। यह शासक का कर्तव्य है कि वह प्रजा के हित को सर्वोपरि समझे और अपने हित की परवाह नहीं करे। अगर हमारा शासन और प्रशासक इस ढाई हजार वर्ष पहले कहे हुए वाक्य पर चलेंगे तो मेरा विश्वास है कि शासन में जो शिथिलता है वह दूर होगी। शासन में इस शिथिलता के कारण भ्रष्टाचार, पक्षपात और कुनबापरस्ती उत्पन्न हुई है वह दूर हो जायगी।

सभापति महोदय, मेरे इस वाक्य को विस्तारपूर्वक कहने के लिए मैं कुछ उदाहरण देना उचित समझूंगा। इस वक्त हमारा राष्ट्र बड़ी आपत्ति में से गुजर रहा है। हमारी सीमाओं पर विदेशी सेनाओं के छोटे मोटे आक्रमण हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने सैनिकों को और जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को संतुष्ट रखें लेकिन हमारी सरकार की अकर्मण्यता के कारण और सरकार की शिथिलता के कारण भूतपूर्व सैनिकों में असन्तोष बढ़ रहा है। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण दूंगा। भूतपूर्व सैनिकों में भीम के इलाके के रहने वाले कुछ लोगों को भीलवाड़े के डिस्ट्रिक्ट में मांडल तहसील में कुछ जमीनें अलॉट की गई। काश्तकारी के लिए दो साल से ये जमीनें अलॉट की गई थीं। उन्होंने पिछली खरीफ की फसल वहां पर बोई थी। उन्होंने वहां पर कुंए भी बनवाये थे और बाद डोर लगा कर खेतों की तरक्की भी की थी। लेकिन शासन में व्यापक भ्रष्टाचार होने के कारण कुछ लोग शासकों से सांठगांठ की ३१ जुलाई, १९५९ को कुछ नेताओं ने जाकर अपने सामने पटवारी और गिरदावर को बुलाकर और फिर गांव के १०० आदमियों को लेकर कुल्हाड़ियां से सुसज्जित होकर ६ भूतपूर्व सैनिकों के खेतों पर कब्जा करने के

(मेजर श्री फतेहसिंह)

लिये गए। उन्होंने उनकी फसलों को बरबाद कर दिया और खेतों पर कब्जा कर लिया। उन सैनिकों ने शासकों से इस संबंध में शिकायत की।

२. ५४ म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदसीन)

पुलिस से शिकायत की, कलेक्टर से शिकायत की, सचिवालय के दरवाजे खटखटाये, मंत्री महोदय तक पहुंचे, लेकिन अभी तक सुनवाई नही हुई। यह कितनी शिथिलता शासन की बतलाती है?

शासन की शिथिलता का दूसरा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। आज सदन के प्रश्नोत्तर काल के समय में एक प्रश्न ब्यावर की लड़कियों की स्कूल से वसूल की जाने वाली फीस के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ था। सभापति महोदय, सन् '५७ में राजस्थान सरकार के द्वारा एक सर्क्युलर निकाला गया था, और उस सर्क्यूलर के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों की फीस बढ़ाई गई थी। उस बढ़ी हुई फीस के कारण राजस्थान के विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया, और फिर वह आन्दोलन बन्द हुआ। एक प्रकार का समझौता हुआ और राजस्थान सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि वह बढ़ी हुई फीस केवल उन्हीं विद्यार्थियों से ली जायेगी जिनके संरक्षक अथवा पिता इन्कमटैक्स देते हैं। यह आदेश बिल्कुल साफ था, और उस आदेश में यह लिखा हुआ था कि जहां तक आठवीं क्लास के विद्यार्थियों का प्रश्न है उनसे एक्टिविटी यानि ट्यूशन फीस के अलावा जो फीस है वह सब पुरानीरट पर ली जायेगी। लेकिन ब्यावर की गर्ल्स स्कूल की हैड मिस्ट्रेस ने अपनी मनमानी लड़कियों से वह फीस वसूल की जो कि आन्दोलन का कारण हुई थी। इस फीसके वसूल करनेमें इस बात का ध्यान नहीं रखा कि किन लड़कियों के पिता व संरक्षक आयकर देते हैं या नहीं। जब लड़कियों के संरक्षकों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की। मन्त्री महोदय तक शिकायत की, एजूकेशन के सेक्रेटरी तक शिकायत की, डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन तक शिकायत की, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं की गई। यह प्रवृत्ति देखी गई है कि इन मामलों में सरकार और अधिकारीगण अपने नीचे के तबके के जो अधिकारी हैं उनके दोषोंको दबाने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो यह शासन के लिए शोभा की बात नहीं होती है। और जब, सभापति महोदय, इस तरह से शासन में शिथिलता आती है तो लोगों में असन्तोष फैलता है। तो जनता दुखी होती है और जब जनता दुखी हो जाती है तो उनके सामने।

'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवसि नरक अधिकारी'

का फल आता है और आततायी शासन के सामने, जनता विद्रोह करने को उत्तेजित हो जाती है और श्रीमान् हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे ग्रन्थों से इस बात की प्रेरणा मिलती हैं कि हम लोग आततायी शासक और शिथिल शासक के खिलाफ आवाज उठायें। यह आज की बात नहीं है। जब से संसार कायम हुआ है तब से ये बातें होती आई हैं। हमको सबको मालूम है कि भगवान् कृष्ण

Page No 79

(मेजर श्री फतेहसिंह)

ने भी कंस के आतंक के विरोध में आवाज उठाई थी। उसका वध किया था। भानजे ने मामा का वध किया था। राजा वेणु का वध ऋषियों ने किया था, क्योंकि उसके शासन में बड़ा अत्याचार हो गया था, राजा वेणु बड़ा स्वेच्छाचारी हो गया था। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भावों से प्रेरित होकर माननीय डॉ. बहादुरसिंहजी ने जिस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा है उसको पारित करें। क्योंकि हमारा सब का लक्ष्य है जनता की समृद्धि और जनता का सुख। माननीय मन्त्री महोदय और वे लोग जो शासन के मूर्धन्य स्थान पर बैठे हुए हैं वे यह नहीं सोचें कि हम कोई व्यक्तिगत आलोचना करते हैं। हमारे शासन में बैठनेवाले कई मन्त्रियों के प्रति और विशेष करके मुख्य मन्त्रीजी के प्रति हमें श्रद्धा और स्नेह है लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा होता हूं तो मेरी श्रद्धा और स्नेह जो उनके प्रति है उससे भी बढ़कर मेरी श्रद्धा और स्नेह जो राजस्थान की जनता के प्रति है उसका ध्यान आ जाता है। इसलिए मैं सादर निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित करके राजस्थान की जनता का कल्याण करें।

३ म० प०

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के सामने प्रस्ताव आया है उस सम्बन्ध में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लोग इस बात को महसूस करते हैं कि राजस्थान में हमारे प्रशासन में कुछ शिथिलता है। इस शिथिलता का क्या कारण है और उसके लिए हमें इस सदन में बैठ कर क्या विचार करना चाहिए इसके लिए जो सुझाव दिए हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है।

शिथिलता पर विचार करें तो मैं निवेदन करूँगा कि जो भी राजस्थान में शिथिलता महसूस होती है जिसका बहुत बड़ा कारण है। वह खाली राजस्थान में ही नहीं लेकिन हम यदि मोटे रूप से विचार करें तो हमारे देश में जिस प्रकार की शिथिलता अनुभव करते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि जो भी शासन करने के तरीके हैं, जिस बात को हमने स्वीकार किया है, जनतन्त्र शासन चाहते हैं, कानूनी राज्य चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में जहाँ कानून का राज्य होता है वहां कुछ ढिले अवश्य होती है। जहां एक आदमी की हुकूमत होती है वहां एक आदमी के हुक्म से आज्ञा जारी होती है और उसका पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जहां लोकतन्त्र को स्वीकार करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता का राज्य हो, पहले सदन में कानून बने और कितनी बातों पर विचार किया जाय और यह देखा जाय कि हमें किस प्रकार का सीलिंग करना है, कितना समय व्यतीत हो गया है, दो साल से विचार करते करते अब तक कानून पास नहीं हुआ, इस पर कितने संशोधन और विचार आते हैं, कितने जनता के विचार जनता ने बताये। तो लोकतन्त्र की जो प्रणाली है वह स्वयं इस बात की द्योतक है। देश महसूस करता है कि लोकतन्त्र प्रणाली शिथिलता का कारण बन जाती है। इस शिथिलता से हम कह सकते हैं कि इसने हमारे शासन का बिगाड़ किया लेकिन शिथिलता या ढिले होती है उसका

(श्री शंकरलाल)

कारण डेमोक्रेसी इटसेल्फ है। जब हमने कानूनी चैक और प्रजातन्त्र राज्य में जहां तरह तरह की बातें एडमिनिस्ट्रेशन में रख छोड़ी हैं, उस ओर ध्यान देते हैं तो पहले कागज तहसीलदार के पास जायेंगे, उसके बाद एस. डी. ओ. के पास जायेंगे, वहां से कमिश्नर के पास और कमिश्नर के पास से रेवेन्यू बोर्ड के पास जावेंगे। एक छोटे मुकदमे को देखते हैं तो चार, पांच साल लगते हैं निर्णय होने में। इसमें दोष किसका है? दोष है कानून और प्रणाली को अपनाने का। किसी व्यक्ति को दोष दिया जाय, मन्त्री जी ऐसा नहीं करते, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मन्त्री पद पर हो, हो सकता है कि कुछ डिले हो जाय लेकिन जो प्रोसीजर है उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। आजादी के बाद राजस्थान में कितने ही मन्त्री आ गये लेकिन शिथिलता के प्रति अपने को आपत्ति रही है और इसलिए रही है। हम खुद महसूस करते हैं। सदन के माननीय सदस्य इसके मेम्बर हैं लेकिन अपन चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून हो, मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का कानून हो, भिक्षावृत्ति और सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी पास किया जाय। मैं मेम्बर हूं लेकिन क्या मेरे चाहने से ही कानून पास हो सकता है? जो प्रणाली है उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा इसलिए मुख्य कारण जो मैंने रखा है वह यह है कि डेमोक्रेसी इटसेल्फ से शिथिलता आती है। बहुत से विद्वानों का मत है कि इसमें न्याय मिलता है क्योंकि एक आदमी की हुकूमत में जल्दी में आज्ञा निकल जाती है, उसमें ज्यादा विचार विमर्श नहीं होता तो हो सकता है कि गलत हुक्म निकल जाय। लेकिन जहां ज्यादा जांच पड़ताल होती है, गवाही सबूत होते हैं उसमें न्याय की ज्यादा गुंजाइश होती है, विद्वानों का यह मत है। डिले डिफीट्स जस्टिस, यह भी लोगों की विचारधारा है, ऐसी उलझन हमारे सामने है। यह अवश्य ही जांच पड़ताल होनी चाहिये। लेकिन इन्क्वायरी के तरीके हैं वे इतने लम्बे हो गये हैं, इस प्रकार के नियम, उपनियम, प्रोसीजर, डिपार्टमेंटल सक्युलर वगैरह इतने होते हैं कि बड़े बड़े वकीलों को ध्यान नहीं रहता। हाईकोर्ट में क्या मतलब निकलता है और सुप्रीम कोर्ट में क्या मतलब निकलता है, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? हमारे राजस्थान के ग्रामीण न्याय पाने के लिये अदालतों में जावें और कई सालों में उनको न्याय मिलता है तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि शिथिलता का मुख्य कारण यह है कि हमने जो प्रणाली अपनाई है उसमें जो प्रोसीजर है, कानून, नियम बनाते है उसमें देरी होती है। प्रणाली इटसेल्फ इसका कारण है।

अब इस प्रस्ताव में विधान किया है वह यह है कि अलग अलग कमेटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिये बनाई जांय, जैसे एज्यूकेशन के लिए, पी. डब्ल्यू. डी. के लिए, जिसमें सदन के सदस्य हों। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक राजस्थान में कितनी ही कमेटियां बनी होंगी, मुझे विश्वास है इस बात के लिए ये कमेटियां बनी होंगी। किसी काम को जल्दी करना हो तो कमेटीज में कभी तो कोरम पूरा नहीं होगा, कभी प्रोसीजर नहीं होगा या पॉवर्स नहीं हैं या और कुछ बातें हैं। कमेटीज सब-कमेटीज का मामला ऐसा है जिसमें शिथिलता आती है इसलिए अलग अलग कमेटियां बनाने से कोई हल निकलनेवाला नहीं है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह हो सकता है कि

Page No 81

(श्री शंकरलाल)

शिथिलता कम करने के लिए नियम कम से कम और छोटे से छोटे बनें, कम प्रोसीजर हो उससे एक्सपर्टस या लीगल आदमियों की कमेटी बने तो इससे काम चल सकता है। जिस तरह से कल हमने डीसेन्ट्रेलाइजेशन लागू किया है, पंचायतों को पॉवर्स दिये हैं। उसमें भी मैं निवेदन करता हूं कि कुछ खामी रह सकती है। मेरा दृढ विश्वास है कि डेमोक्रेसी में शिथिलता दूर करना चाहते हैं तो कम से कम कानून बनाने होंगे वर्ना कमेटीज उन नियमों को बढाती जायेंगी तो शिथिलता बढनेवाली है, घटनेवाली नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मिनिस्टर्स के हुक्म की तामील नहीं होती और एक एक काम रुका रहता है। अध्यक्ष महोदय, जिस कानून और प्रोसीजर के जरिये पॉवर्स दे चुके हैं उसके अन्दर मन्त्रीजी की बात सुनते हैं, विचार करते हैं तो उनको खुद को अनुभव होगा कि उन्होंने लिखा कमिश्नर को कि ७ दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए लेकिन प्रोसीजर के अनुसार कमिश्नर कलेक्टर को लिखेगा, कलेक्टर एस. डी. ओ. को लिखेगा, एस. डी. ओ. तहसीलदार को लिखेगा और तहसीलदार पटवारी से सूचना मांगेगा, इस सब में महीना, डेढ महीना लग जायेगा। किसी भी केस में मिनिस्टर इन्क्वायरी के लिए ऑर्डर कर दे तो यह जो प्रोसीजर है उसके अनुसार लग जाता है। प्रोसीजर को कम करने के लिए सदन के माननीय सदस्यों और लीगल एक्सपर्ट्स की कमेटी नियत हो जाय तो कुछ हल निकल सकता है। साथ जो सरकारी कर्मचारियों की बात कही गई है कि सरकारी कर्मचारी ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी सर्विस है वह अनसेफ है, क्यों अनड्यू इन्टरफियरेन्स होता है, इसलिए काम नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिम्मेदारी बहुत से कर्मचारी अनुभव करते हैं, जो अनुभव नहीं करते हैं वहां काम में डिले होती है। इसका कारण यह है कि वे जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा सवाल है वह जिम्मेदारी अनुभव करने का है। मैं कहता हूं कि आज कानून का राज्य है, इस कारण यह बात आती है कि काम में जिम्मेदारी अनुभव की जाय। आज डेमोक्रेसी में सोचा जाता है कि कोई आदमी जिम्मेदारी अनुभव नहीं करता है इसलिए सब कामों में डिले होती है। आज सब आदमी जिम्मेदारी अनुभव करने लग जायं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिथिलता काम में होती है, वह नहीं होगी। आज सरकारी कर्मचारी अनुभव करते हैं कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट होती है और यह कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है। इसलिए जो भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों पकड़े गये हैं वे छूट जाते हैं। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। हमारे जिले के एक दो उदाहरण हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गये लेकिन बाद में रीइन्सटेट हुए और उन्हें प्रमोशन मिला। सरकार कहती है कि हमने तो सस्पेन्ड कर दिया लेकिन हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। उसका हम क्या करें? तो प्रश्न यह है कि जो आज तरीका है, जो कानून कायदे हैं, उनमें उलझने के बाद कोई आदमी जिम्मेदारी अनुभव नहीं कर सकता और जिम्मेदारी से काम नहीं कर सकता। आज सरकारी कर्मचारी जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते हैं और न बड़े आदमी। मिनिस्टर कहते हैं कि हम जिम्मेदारी अनुभव करते हैं लेकिन नहीं कर सकते। जो

(श्री शंकरलाल)

कानून और कायदे हैं, उनको मैं गोरखधंधा कहूंगा, उसको मैं मायाजाल कहूंगा, जिसमें आदमी फँस कर निकल नहीं सकता। इस प्रकार मैं अनुभव करता हूं और यह सही भी है उसमें फँस कर कोई निकल नहीं पाता। वह जिम्मेदारी अनुभव करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। इस मायाजाल को कम करने के लिये कानून कायदों को कम करना चाहिए। यह उपाय हो सकता है जिससे शिथिलता दूर हो सकती है। केवल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी से शिथिलता दूर हो सकती।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और भारत के अन्दर बड़े बड़े प्रोविन्सेज बने और जो शासन की इकाइयां अलग अलग थीं, जो अलग अलग स्टेट्स थीं वे एक हुई। देश में प्रजातंत्र हुआ और लोकप्रिय मंत्रिमंडल बने। जोधपुर में अलग बना, उदयपुर में अलग बना। उस समय जो काम होता था वह जल्दी होता था बनिस्बत राजस्थान बनने के बाद के। वैसे मैं निवेदन करूं कि राजस्थान बना। बड़ी अच्छी चीज हुई है, सोचने की बात हुई है, इतिहास बनाया है, यह बात मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां बड़े प्रोविन्सेज बनते हैं तो प्रत्येक आदमी को सेक्रेटेरियट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को जयपुर में सेक्रेटेरियट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और कई चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन कहीं फाइल का पता नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि हमारे गाँव का सरपंच २० दिन से चक्कर काट रहा है लेकिन फाइल का पता नहीं है। इसका कारण यह है कि शिथिलता आ गई है और शिथिलता इसलिए है कि बहुत बड़ा राज्य हो गया है, समृद्ध हो गया है, कहीं फाइल पड़ी हुई है। बड़े बड़े अधिकारी पड़े हैं, कमरों में चिक पड़ी हुई हैं, कूलर लगे हुए हैं। एक अधिकारी कहता है इधर जाओ, दूसरा कहता है उधर जाओ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है। जनता के प्रतिनिधि इधर से उधर फिरते रहते हैं लेकिन फाइल का पता नहीं लगता। आज डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन कर रहे हैं, डीसेन्ट्रेलाइजेशन देहातों में कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि जिस तरह की पहले व्यवस्था थी उसी तरह की पॉवर्स जिले में दी जाय। यह कह दिया जाता है कि इतनी पॉवर्स दे दी हैं लेकिन छोटी छोटी पॉवर्स यहां पर रखी हैं। आखिर फैसला यहां पर ही लेना पड़ेगा। तो जो सेन्ट्रलाइजेशन कर रखा है डेमोक्रेसी में यह शिथिलता का कारण है प्रशासन के अन्दर। इसलिए प्रशासन के अन्दर शिथिलता को दूर करना चाहते हैं तो विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा, डीसेन्ट्रेलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि केवल पंचायत समिति व जिला परिषद् बिल बना कर विकास के काम सौंपने से शिथिलता दूर नहीं हो सकती लेकिन जो पॉवर्स और अधिकार कर्मचारियों के हैं उनका डीसेन्ट्रेलाइजेशन करना पड़ेगा, जिला लेवल पर करना पड़ेगा, सब डिविजनल लेवल पर करना पड़ेगा, तहसील लेवल पर करना पड़ेगा तब जाकर शिथिलता दूर होगी। अगर हर बात का सेक्रेटेरियट में फैसला होगा तो शिथिलता दूर नहीं होगी। इसलिए विभागीय कमेटी बनाने के लिए सुझाव रखा है। मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार नियम, कायदे और कानूनों के द्वारा सेन्ट्रेलाइजेशन हो गया है उससे दिक्कत पड़ती है और काम में शिथिलता आती है। सभापति

(श्री शंकरलाल)

महोदय, मैं आखिर में इस मुख्य बात के लिये निवेदन करूंगा कि अगर डेमोक्रेसी के अन्दर, शासन प्रणाली के अन्दर शिथिलता दूर करनी है, ढिले को दूर करना है, हमारा काम जल्दी हों तो जो सेन्ट्रेलाइजेशन है उसको डीसेन्ट्रेलाइज करना पड़ेगा और कायदे कानून कम करने पडेंगे। इसके लिये राजस्थान सरकार एक कमेटी बना दे, वह घूम घूम कर एक्सपीरियेन्स करे, देखे, तब कोई न कोई तरीका निकल सकता है। मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंटल कमेटी बनाने से कोई तरीका नहीं निकल सकता। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव के एक भाग का समर्थन करता हूं लेकिन इसका दूसरा भाग जो है कि विभागीय कमेटी बनाई जाय उसका विरोध करता हूँ। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूँ कि जो तरीके और सजेशन मैंने रखे हैं, वे काम में लाये जायं।

श्री सभापति : ठाकुर श्री मदनसिंह।

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने दो प्रस्ताव आए हैं, दोनों की मन्शा और तरीके अलग अलग हैं। जहां तक डॉ० बहादुरसिंह का प्रस्ताव है, उसकी मन्शा और जो श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्ताव रखा है उसकी मन्शा, एक है लेकिन तरीके अलग-अलग हैं। वे चाहते हैं कि सब जगह समितियां बने और दूसरा प्रस्ताव है कि एक समिति बने जो सारे शासन की व्यवस्था में जो कमजोरी और शिथिलता आई है उसका निरीक्षण करे और उसको बराबर समय देकर ठीक करे। वैसे मैं इसका विरोध करता हूँ, प्रिन्सिपली विरोध करता हूं क्योंकि प्रजातन्त्र में ऐसी समितियां नहीं बननी चाहिए जो प्रजा में से चुने गये आदमियों के ऊपर बने। अगर ऐसी समितियां बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं यह प्रजातंत्र को खत्म करना होगा। लेकिन आज शासन में कमजोरी आ जाने से इस ढंग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार के अन्दर एक बार नहीं अनेक बार उलट पुलट हुई है। पहले माननीय श्री हीरालाल शास्त्री थे। उनके शासन में भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई। फिर माननीय व्यासजी आये, पालीवालजी आए। जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, रुलिंग पार्टी की तरफ से वे सदस्य हैं और काफी सदस्यों ने इस चीजपर जोर दिया। मुझे खुशी है कि पहले जो जनता के बीच आदमी कहते थे कि इस गवर्नमेन्ट में भ्रष्टाचार घुस गया है, इस शासन में हीनता आ गई है, इसमें काम करनेवाले नहीं हैं, पक्षपात है, अब यह चीज कांग्रेस के अच्छे अच्छे लोग कहने लग गये हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और यह खुशी की बात है पर साथ ही साथ जिन्होंने छोटे मोटे भाषण दिये हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आपने क्यों ऐसे लोगों को चुना, ऐसे लोगों को क्यों मंत्री चुना ? आपने क्यों कमजोर और शिथिल लोगों, ऐसे पक्षपाती और कमजोर लोगों को चुना ? मैं समझता हूं कि यह रुलिंग पार्टी की कमजोरी है। ११६ सदस्यों की कमजोरी है। जैसा कि पाली से आनेवाले सदस्य ने कहाकि हमारे में गुलामी आ गई है मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेन्ट में भ्रष्टाचार है तो क्या ११६ सदस्य इस गवर्नमेंट को पलट नहीं सकते हैं ? इसलिए

Page No 84

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

मोटी मोटी बातों से कुछ होनेवाला नहीं है। यह तो गवर्नमेंट पार्टी के हाथ में है, गवर्नमेंट भ्रष्ट हो गई है, अन्याय करने लगी है तो आप ११६ किसलिए बैठे हैं ? आप सबसे बड़ी समिति हैं इस गवर्नमेंट को चेंज करें। मैंने बहुत वर्षों पहले मिसाल दी थी कि एक महाजन के ४ मुनीम थे। सारा दूध तो वे लोग पी जाते और थोड़ी सी मलाई उन सेटजी की मूछों के लगा देते और सुबह बता देते कि देखिये आपको दूध पिला दिया था जबकि आपको नींद आ गई थी। इसी तरह समिति बनेगी तो क्या होगा ? समिति में कौन से राम कृष्ण, और सदाचारी बैठे होंगे? आपका जितना निचोड़ था, पैमाना था वह तो हमने राजस्थान में तीन, तीन दफा देख लिया है। कांग्रेस गवर्नमेंट में समितियां, उप-समितियां क्या देव समितियां भी बन जायं तो भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकता है जब कि विरोधी दल की समिति बने जो शासन को चैक कर सके। जब बॉम्बेवाला एन्टी करप्शन आई.जी.पी. आया था तो मैंने कहा था कि विरोधी दल की एन्टी करप्शन समिति बने....

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : आपको उसमें सर्वेसर्वा बना दें....

ठाकुर श्री मदनसिंह : डाढ़ी नहीं होते हुए भी क्यों तिनका रख रहे हैं ?

(हंसी)

गवर्नमेंट में क्या क्या खामी है, इस चीज को विरोधी दल अच्छी तरह से देख सकता है। राजस्थान में भ्रष्टाचार, शिथिलता फैली हुई है, यह आपकी तरफ से कहा जा रहा है। डागा साहब ने बातें कहीं वे विरोधी दल के कह सकते हैं आपका क्रीम, क्रीम ऑफ राजस्थान में भ्रष्टाचार है। यह आप लोग कह रहे हैं कि क्रीम ऑफ राजस्थान में शिथिलता है, वह मुर्दा हो चुका है, मुर्दा हो कर जल चुका है तो मैं कहता हूँ कि दफना दो। जो राष्ट्र की उन्नति कर सकते हों, जिन लोगों में फुर्ती हो, राजस्थान का शासन ऐसे योग्य और अच्छे लोगों के हाथ में सौंपिये। बढ़ी हुई मानसिक शिथिलता दूर नहीं की जा सकती। अगर शिथिलता मिटानी है तो आप यह करिये कि विरोधियों के हाथ में ताकत दीजिये। नहीं तो राजस्थान में बहुत बड़ी मिसाल है कि बिल्ली नाचे और चूहे वारणां लें कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं, पवित्र हैं, और अहिंसा की मूर्ति हैं। विरोधी दल की तरफ से कई दफा अच्छे अच्छे प्रस्ताव आये हैं। मैंने पुलिस के लिए प्रस्ताव रखा था कि एम. एल. ए. को जांच करने की पॉवर होना चाहिए कि केवल पुलिस चौकियों का, थाणों का निरीक्षण कर लें तो इसका घोर विरोध किया था। आज इसी तरह का प्रस्ताव रख रहे हैं तो मैं फिर यही कहूंगा कि शासन से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है तो विरोधी दल के हाथ में ताकत देने से हो सकता है। विरोधी दल की समिति बनाई जाय, भले ही चीफ मिनिस्टर साहब उसके चेयरमेन हों, हम तो यहां तक स्वीकार करने को तैयार हैं, कि पर आपकी तरफ से कहा जाता है, कि आप वही ठाकुर साहब हैं जो घोड़ों की घाटी से अलवर से हमें निकालना चाहते थे, यह कोई जवाब से नहीं। श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने क्या कम भ्रष्टाचार की बातें बताई थी राजस्थान की पुलिस के भ्रष्टाचार की ?

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

आज इस असेम्बली का पत्थर पत्थर गूंज रहा है। कि चारणावास में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, राजस्व मन्त्रीजी ने चार दफा अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया, एक दफा कहा कि चारणावास में दूसरे को जागीरदार बनाया हम कुड़की करके वसूल कर रहे हैं, वह हकदार नहीं है, तीसरी बार कहा कि बिलकुल ठीक हकदार है, फिर कुछ कह दिया।

तो मैं समझता हूं कि इन दो प्रस्तावों से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है जब कि आप विरोधी दल को ताकत न दें। विरोधी दल को ६ महीने ही दीजिये। हम थोड़ा बहुत चैक कर सकें उतना दे दीजिये। हो सकता है कि नई प्रणाली बनाना चाहते हैं इसलिए आपको इस बारे में शक हो तो आप एक निष्पक्ष आदमी दे सकते हैं या चीफ मिनिस्टर हमारी समिति के चेयरमैन हो सकते हैं। यहां तक हम मानने को तैयार हैं। ५ आदमी जिन्होंने कि अपना जीवन दे रखा है इस चीज की पर्वाह नहीं करते कि हम संख्या में कम हैं। उन लोगों को आप थोड़ा सा काम देते हुए डरते हैं। उनको यह चिंता नहीं कि ११६ हमारे साथ नहीं। अमेरिका के कोंटेशन्स पढ़े गये। वे प्रेक्टिकेबल नहीं हैं अगर गवर्नमेंट, जैसा कि आप भी कहते हैं। इतनी करप्ट हो गई है तो ११६ को छोड़ कर अलग हो जाना चाहिए। नेहरूजी के साथ थे राजगोपालाचारी पर उन्होंने पक्षपात की बात देखी तो कांग्रेस को छोड़ कर अलग हो गये। पर आपको आज लालच है, मिनिस्टरों से मतलब है, देखते हैं कि भाषणों के लिए भाषण हो जाये। हम भी अच्छे करक्टर कहे जायें, अखबारों में हमारा नाम आ जाय, यह तो ठीक नहीं। यदि आप कहें कि क्या करें पार्टी में खामी है तो मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी पार्टी को छोड़ दीजिये। भ्रष्टाचार और शिथिलता को शासन से दूर करना है तो इन्जेक्शन से काम नहीं चलेगा, कितने ही इन्जेक्शन लगाओ श्री बद्रीप्रसादजी जैसे बूढ़े आदमी तो सुस्तही रहेंगे (हँसी), इन्जेक्शन से, भाषणों से तेज कर सकेंगे नहीं। तो इसी तरह भ्रष्टाचार, शिथिलता जिनमें घुस गई हैं वे इस तरह ठीक नहीं होंगे, वे तो विरोधियों से ही ठीक होंगे। आज तक किसी भी राष्ट्र में सरकार को यदि किसी ने सुधारा है तो विरोधियों ने सुधारा है। सारी गवर्नमेन्ट को न देकर भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनी है वह विरोधी दल को दे दीजिये, पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकने का ही काम दें या राजस्व का दे दीजिये। ६ महीने काम सौंप कर तो देखिये। जहां विरोधी हैं वहां अच्छा काम करते हैं नहीं तो जैसे राजाओं के जो पुत्र होते थे नातेदार होते थे उसी तरह आप काम करेंगे।

भ्रष्टाचार मिटाना है तो इस सरकार को खत्म कर दीजिये और अगर आपमें इस सरकार को पलटने की ताकत नहीं है तो इधर बैठ जाइये, फिर हम बताते हैं कि किस तरह गवर्नमेन्ट को पलटते हैं। तो ऐसी समिति बनाने से गवर्नमेन्ट में फैली हुई शिथिलता नहीं मिटनेवाली है। आप तो यह काम विरोधियों को सौंप दीजिये। यह तो संभव नहीं है कि कांग्रेस का राज्य जब तक रहेगा भ्रष्टाचार मिटेगा क्योंकि कूट कूट कर इसके रोम रोम में भ्रष्टाचार भर गया है और जैसे कि श्री जनार्दनराय नागर कहते हैं इसका तो बीज ही सड़ गया है

(हंसी)

(ठाकुर श्री मदनसिंह)

इसी तरह इसका बीज सड़ गया है, खराब हो गया है। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। विरोधी दल का शासन होगा तभी भ्रष्टाचार मिट सकेगा

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, जो संकल्प रखा गया है उसमें इतनी ही बात है कि प्रशासन में व्यापक शिथिलता को समाप्त करने लिए अलग अलग विभागीय समितियां बनाई जावे जो इसका निराकरण कर सके और उसके साधनों में जो भी सुविधा हो उनको जब देते हैं उसमें कहीं शीघ्र जोड़ दिया है किसी ने यह कहा है कि बहुत जल्दी हो जावे तो किसी ने कहा कि असह्य शिथिलता है। इसका मतलब यह है कि सब लोगों ने इस बात को मन्जूर किया है और कहते हैं कि प्रशासन में शिथिलता है। जहाँ तक शिथिलता का प्रश्न है मैं समझता हूं कि राज्य सरकार भी इस बात को महसूस करती है और केन्द्र भी महसूस करता है और इसके सम्बन्ध में अगर कोई यह कहे कि हम तो अच्छी तरह से चल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह तो एक प्रकार से मजाक करना है। लेकिन किस प्रकार इसको दूर किया जावे, सरकारी स्तर पर इसको मोहिया किया जावे ? पंडित नेहरू ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि हमारे यहां भ्रष्टाचार का कारण क्या है। शिथिलता अपने काम में रखना भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार से शिथिलता नहीं होती है। भ्रष्टाचार की वजह से काम में तेजी आ जाती है, काम जल्दी से हो जाता है। जब घूसखोरी हो गई तो सालों का काम दिनों में हो जाता है। कर्मचारी खुद उस कागज को लेकर अधिकारी के पास पहुंचाता है और वहां से जल्दी निकलवा कर जल्दी से जल्दी उस काम को करा देते हैं। दूसरी ओर घूस नहीं देने से काम में बहुत देरी हो जाती है। इसको हम शिथिलता कहते हैं। इसका यह दृष्टिकोण है कि घूस देने से काम जल्दी हो जाता है और यदि किसी काम की देरी का कारण है तो वह पैसों का न देना होता है। अब प्रश्न यह है कि इसको कैसे कहें कि यह गलत बात है ? मैं समझता हूं कि हम इसको भी स्वीकार करेंगे कि किसी भी विभाग में चले जावेंगे तो इस तरह से काम हो सकता है, यह परम्परा बनी हुई है, यह एक प्रकार का व्यवहार बन गया है और उसको नहीं करें तो बड़ी मुश्किल हो जावेगी। आचार्य कृपलानी ने कहा कि खादी भंडार के लोगों की बिल्टी जल्दी नहीं जाती थी इसलिए उनको भी अधिकारियों को घूस देनी पड़ी। जब उनसे पूछा गया कि यह घूस क्यों दी गई तो उसका उत्तर यह दिया गया कि माल रुक जाता तो नुकसान होता था इसलिए यह करना पड़ा। तो इस प्रकार की रीति-नीति बन गई है और इस कारण से प्रशासन में कमी आ गई है; उसको किसी प्रकार कैसे से दूर किया जावे ? कुछ लोग कहेंगे कि ठीक बात है इसके लिए रास्ता निकाला जावे। मैं सोचता हूं तो मेरे दिमाग में बात यह आती है कि उसका एक ही कारण है। कहीं कहीं ऐसी बातें हैं कि हमारे यहां जो लोकतन्त्र प्रणाली है वह बहुत अच्छी है लेकिन उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं और पक्षपात की दृष्टिकोण अपनाया जाता है और ऐसा होता है कि जान बूझ कर विपक्ष के लोगों के काम होते हैं उनमें शिथिलता बरती जाती है और वह ऊपर से होती है। जब ऊपरवालों का दृष्टिकोण इस प्रकार का

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो सकता है कि यह काम विपक्षीय लोगों का है इसलिए इसमें हर प्रकार से विलम्ब किया जावे अगर उनका काम कर दिया जावेगा तो इससे हमारी नाक नीची हो जावेगी। इस कारण से भी कई जगह ढिलाई आती है। कोई कहे कि आपके पास इस प्रकार की मिसालें हैं या नहीं तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की कई मिसालें हैं और मैं यह भी कहूँगा कि यह भी एक भ्रष्टाचार का तरीका है। इसके साथ साथ कई माननीय सदस्यों ने कहाकि हमारे कानून बहुत बड़े हुए हैं इससे भी हमारे कामों शिथिलता आती है। इसके अलावा हमारा प्रोसेस है वह भी एक शिथिलता का कारण है जिसको मैं उचित मानता हूं।

इसके साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा हो रहा है वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अधिकारी कहते हैं कि इसको रोकने के लिए अधिकारी रखे जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि अधिक अधिकारी होने से यह भी हो जाता है कि एक एक कागज को एक दूसरे के पास पहुंचने में बहुत देर लगती है और इससे भी ढिलाई काम में आती है। दूसरी बात यह है कि जो परम्परा जोड़ी गई है वह भी एक कारण है। ये दो, तीन कारण हैं उनको किस प्रकार से हल किया जावे ? हमारे माननीय सदस्य डॉ० बहादुरसिंहजी ने जो संकल्प रखा है उसमें मैं इस बात को मानता हूं कि यह बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसको समाप्त करना जरूरी है। इस बुराई के कारण आज लोग खुद समाप्त होते हैं। आदमी अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचते पहुँचते अपनी जान खो देता है लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीकानेर का एक सिविल सप्लाइज का व्यक्ति था। उसके कागजात सिविल सप्लाइज से यहां पर भेजे गये। यहां पर वह कई बार अपने कागजों का पता लगाने के लिए आता रहा मगर उसके कागजों का कहीं पता नहीं लगा। वह अपने पुराने कागज ढूंढता रहा आखिर उसके पुराने कागज कहीं जाकर भूंगड़ेवालों के पास मिले जहां पर वह भूंगड़े खरीद रहा था।

इसके अलावा और भी केसेज हैं। एक आदमी की फाइल ८ साल से नदारद। वह उस फाइल को ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया। ऐसे कई केसेज हैं। एक आदमी हैरान होकर पागल हो गया। यह निर्माण विभाग का केस था। सन् १९४८ में बीकानेर में सी० पी० ओ० डिस्पेन्सरी बनी थी उस समय उसने अपना सारा घर का जेवर बेच कर काम किया था। उसके बाद मर्जर हो गया और उसके सारे कागजात यहां पर आ गये। उसके पुराने कागजात अभी तक नहीं मिल रहे हैं। उस बेचारे के १५ हजार रुपये रह गये। उसने कई अर्जियां दीं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी आज यह हालत है कि वह पागल की तरह गिर जाता है और उसको चिन्ता ही चिन्ता में मृगी आ जाती है। वह चलते चलते गिर जाता है मगर अभी तक उसका काम नहीं हुआ।

कई मामले पक्ष और विपक्ष के दृष्टि-कोण से तय किये जाते हैं जिससे बड़ा नुक-सान होता है। अभी कुछ समय पहले जयपुर में छात्रों का आन्दोलन हुआ था। उस समय देवेन्द्रकुमार मल्टीपर्पज हायर सेकिन्डरी स्कूल में शिक्षक थे। उनके लिये यह कहा गया कि इन्होंने छात्र आन्दोलन में गत वर्ष हिस्सा

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिया। उनको ८ महीने बाद चार्ज शीट दी गई। १५ मिनट में उनने अपने चार्ज का जवाब दे दिया। जवाब के बाद में उनके मामले को १२ महीने हुए वह चलता रहा और उनको सस्पेन्ड किये रखा। वे अपने केस के लिये लगातार लिखते रहे मगर सब कुछ होते हुए भी यह प्रश्न पैदा हुआ कि वह कम्युनिस्ट है, उसने छात्र आन्दोलन में हिस्सा लिया। इसके कारण कागजों पर कोई सुनवाई नहीं की गई। एक २५ साल का होनहार नौजवान बराबर दरख्वास्तें देता रहा मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि तीन दिन पहले वह श्रीदेवेन्द्रकुमार इसी दुःख के कारण देवलोक पहुंच गया। उसने आत्मघात करके अपनी मृत्यु कर ली। यह आपका दृष्टिकोण है। उसके बाल बच्चे थे उनको खाने को मिलता नहीं इसलिए हैरान हो गया। अकेला तो था नहीं। आपका इसमें यही दृष्टिकोण रहा कि यह विपक्ष का है इसलिए उसको दो वर्ष तक सस्पेन्ड रखा। होनहार नवयुवक अपने को इन्साफ न मिलने के कारण दुखी होकर ४ दिन पहले संसार से उठ गया। आप कहते है कि अगर कोई आदमी किसी को गोली मार दे तो आपका कानून कहता है कि उसको सजा दी जाय। उसको मौत की सजा मिलती है। मगर इस प्रकार से मारनेवालों को किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती। मैं यह कहूंगा कि अगर उसकी मौत का कारण आपकी शिथिलता, आपका विभिन्न दृष्टिकोण जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है तो आप भी उसी हद तक दोषी हैं जिस हद तक गोली मारनेवाला था। तो मैं यह कहूंगा कि आपके पक्षपात के कारण से एक नौजवान की मृत्यु हुई, आपका पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण उसकी मृत्यु का कारण बना तो उस व्यक्ति को जो इसके लिये जिम्मेदार है उसको बड़ी लम्बी सजा मिलनी चाहिए।

(हर्षोल्लास)

उनको कोई सजा नहीं मिलती और यह कहा जाता है कि यह जनतंत्र है। उसके लिये कोई जांच नहीं। मैं यह कहता हूं कि आप जांच करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उसकी मृत्यु का कारण क्या पाया जाता है राजस्थान से मुख्य मंत्री जो शिक्षामंत्री भी हैं, कहा करते हैं कि किसी भी कार्य को शिथिलता से नहीं किया जावे? तेजी से किया जावेगा। आपको इस प्रकार के कारण थोड़े ही मिलेंगे? मगर मैं यह कहूंगा कि आज उन्हीं के विभाग में एक आदमी हैरान हो कर मृत्यु के दरवाजे पर चला जाता है तो उसके लिये आखिर कौन जिम्मेदार हो सकता है? इसकी जिम्मेदार सरकार होगी? कानून की दृष्टि से अलग रख सकते हैं, न्याय की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से इसको अलग नहीं रख सकते। आज का जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा। जो दृष्टिकोण है वह पक्षपातपूर्ण हो गया है, आगे भी इस प्रकार से और शिथिलता की जायेगी। चाहे इस प्रकार की कमेटियां बनायें लेकिन यदि ऊपर का लेवल, सारा दृष्टिकोण और सारी चीजें उनके पास पहुंचने पर भी नहीं बदलता है तो भ्रष्टाचार भी हो सकता है और विलम्ब भी हो सकता है, होता है और होता रहेगा। आदमी जगा हुआ है उसको कहें कि उठो लेकिन यदि वह बनावटी नींद में सोया हुआ है, ऊपर से चादर ओढ कर अन्दर से आंख खुली रखता है और कोई उसको जगाये कि उठो तो वह नहीं जगेगा वह सोया ही रहेगा बनावटी नींद में आप

(श्री मुरलीधर व्यास)

शिथिलता और भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। उनको आप जानते हैं और कहा जाय कि जिन कारणों से आप कर रहे हैं कि ऐसा करो तो फिर कैसे करेंगे ? जानते हुए भी अनजान बन जाने से क्या फायदा ? प्रजातंत्र के तरीकों से आपको जगाने का काम हमारा है जो अधिकार हमको दिये गये हैं उनसे हम सदन में बोलते हैं। २।। साल में सदन में पूछे गये प्रश्नों को देखिए। मैंने उनका हिसाब लगाया है कि किस प्रकार के कितने प्रश्न हैं तो मेरा दृष्टिकोण यह है कि पिछले सालों में दस हजार प्रश्न आये हैं। जो उन प्रश्नों के जबाब हैं उनमें कई प्रश्न तो शिथिलता के हैं, आश्वासन समिति को दिये गये हैं, आश्वासन समिति को दे देते हैं। वे भी साफ हो जाते हैं और आधे प्रश्न तो गबन और भ्रष्टाचार के हैं। प्रश्न हम लोग पूछते हैं जो देश के नागरिक हैं और जनता की ओर से इस सदन में आये हैं। हम हर प्रकार से बातों को प्रमाणित तौर पर यहां लाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका दृष्टिकोण नहीं बदलता इतनी मेहनत करने के बाद भी। वैसे प्रश्नों का बड़ा महत्व है और यह माना भी गया है। आश्वासन समिति भी बड़ा महत्व रखती है परन्तु हम जानबूझ कर हो उसकी अवहेलना करते हैं, उन प्रश्नों को टाल देते हैं तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है ? टालने के कारण भ्रष्टाचार पनपता है और शिथिलता आती है। एक अफसर को जानते हुए भी यह कहा जाय कि शिथिलता मत करो लेकिन जब मंत्री इस प्रकार का उत्तर देते हैं और खुद शिथिलता करते हैं तो फिर नौकर का तो अवश्य ही उसमें सहयोग मिलेगा और जहां मालिक नौकर एक सरीखे मिल गये तो फिर वहां तो शिथिलता बढ़ जायेगी। एक मंत्री कहेगा कि ऐसा करलो दूसरे दिन अफसर को भी मौका मिलेगा और मिलता जावेगा कि वह अपनी बात भी करवाता जावेगा और उनको वह माननी पड़ेगी। इस तरीके को बदलना होगा। जो लोकतान्त्रिक तरीका है हमारे देश में, यहाँ पर बैठते हैं तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं और राजस्थान के ही मंत्रीगण हैं, राजस्थान की मंत्री पार्टी विशेष के नहीं हैं। हम लोग भी चाहे जिस जिले के हों, चाहे जिस पार्टी की ओर से चुन कर आये हों हमारा यहाँ पार्टीविशेष का दृष्टिकोण नहीं रह सकता और नहीं रहना चाहिए सारा दृष्टिकोण है वह राजस्थान सारे के लिए होना चाहिए और वही मंत्रियों का भी होना चाहिए।

हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है तब कहीं जाकर हम इस भ्रष्टाचार को दूर कर सकेंगे और उसके साथ साथ जनता को कुछ न्याय दे सकेंगे। कई उदाहरण रखे जा सकते हैं और अनेक उदाहरण यहां सदन में माननीय सदस्यों ने रखे भी हैं। आज का प्रश्न बिल्कुल सीधा था। कल जैसा मैंने प्रश्न किया था कि फार्म में ३५२ बोरी पकड़ी गई या नहीं ? लेकिन उसमें सर्वप्रथम मुझे जबाब मिला कि 'यह बिल्कुल असत्य है' बाद में जब मैंने सप्लीमेन्टरी किये तब सारी बात सामने आ गई। लेकिन प्रश्नों के जबाब में यह बात कह कर कि यह असत्य है सारी बातों को छिपा दिया गया। जैसे कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई हो। फिर मालूम हुआ कि माननीय मंत्री ने फोन किया, वहां सी. आई. डी. पहुँची, ट्रक भी पहुँचा। कहा गया कि वह तो ठेकेदार का था लेकिन ठेकेदार कौन था यह नहीं बताया जाता और सारी बात छिपाई जाती है। आप कहते हैं शिथिलता की बात नहीं लेकिन आखिर ये

Page No 90

(श्री मुरलीधर व्यास)

चीजें क्यों छिपाते हैं, किस दृष्टिकोण से छिपाते हैं ? आज से करीब दो साल पहले मैं इस सदन से निष्कासित किया गया था। मैं मानता हूं कि मेरे लिए आदेश था। मुझे राइट ऑफ रिप्लाई था लेकिन वह मुझे नहीं मिला इसलिए मैं गया। मैंने फोटो कॉपी पेश कर दी। फलौदी में वहां के अधिकारियों ने सन् १९५८ के अन्दर सन् १९५२ की तारीख लगा कर रुपया लेकर इस प्रकार भ्रष्टाचार किया और नमक के लोगों को पट्टे दे दिये। मैंने मय प्रमाण सहित फोटो कॉपी तक पेश कर दी, श्री गोविन्दनारायण माथुर के दस्तखत थे, मोहर थी सब कुछ मैंने पेश कर दिया लेकिन मुझे राइट ऑफ रिप्लाई में मना कर दिया गया। मुझे उसके लिए मांग करनी पड़ी और मुझे निष्कासित होना पड़ा लेकिन मैंने अपना राइट अदा किया। भ्रष्टाचार करनेवाले श्रीगोविन्दनारायण, चूंकि उसका सम्बन्ध मंत्री से था इसलिए वह तो निष्कासित नहीं हो सकता लेकिन सदन का जिम्मेदार सदस्य जो प्रमाण सहित सारी चीजों को पेश करता है फिर भी ऐसे मामलों को छिपाने के कारण उसको सदन से भी निष्कासित होना पड़ा, फिर भी आप कोई उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते, दो साल तक कोई कार्यवाही नहीं करते। आप कहेंगे इसको शिथिलता। लेकिन जान बूझ कर शिथिलता करते हैं तो उसका क्या इलाज करेंगे ? इसके लिए हमें हमारा दृष्टिकोण ही बदलना होगा और नहीं बदला जाता तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि आखिर लोग जनतन्त्र से ऊब करके विनोबाजी कहते हैं, जय प्रकाशजी कहते हैं कि राजकीय प्रशासन में राजनीति बुरी है, लोकतन्त्र में राजनीति बुरी है तो इस दृष्टिकोण में कुछ न कुछ है अवश्य। यदि नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं। हम महात्मा गांधी और विनोबाजी की बातें मानें, जयप्रकाशजी जो देश के माने हुए व्यक्ति हैं उनकी बातों का सत्कार करें लेकिन अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन न करें, नीति में परिवर्तन न करें तो लोग फिर किस प्रकार से लोकतन्त्र में विश्वास करें ? लोगों को इस लोकतन्त्र में विश्वास हट जावेगा। मैंने सही माने में पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने पहले भ्रष्टाचार को हटाने के लिए एक कमेटी रखी जाय इसके लिए संकल्प रखा था माननीय दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य ने भी सुझाव रखे थे। विरोधी दल की बात उन्होंने कह दी, लेकिन विरोधी दल की बात नहीं करता हूं और आज भी कहता हूं कि यदि आपका इस तरीके से पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण हो जाता है मेरा यह विश्वास है कि दोनों पक्षों के एक कमेटी में रहने से भ्रष्टाचार नहीं होता है लेकिन एक पक्ष होने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होता है। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाते हैं तो उसमें विरोधी पक्ष के आदमी को जरूर रखिये। क्या नुकसान हो जायेगा ? लोकतन्त्र में विरोधी पक्ष का होना आवश्यक है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसने भी पहले टीकाकार की जरूरत समझी। उसने सोचा कि टीकाकार को नहीं बनायेंगे तो सृष्टि में जो कुछ खामी रह जायेगी उसकी ओर ध्यान कौन दिलायेगा ? इसलिए पहले टीकाकार का निर्माण किया और उसके बाद सृष्टि की रचना की। टीकाकार को एक आवश्यक अंग समझा जाता है आप चाहते हैं कि जनता में जो असन्तोष फैला हुआ है वह दूर हो तो आपको चाहिये कि जितनी कमे-

(श्री मुरलीधर व्यास)

टियों का आप निर्माण करें उन सब में कम से कम एक तो विरोधी पक्ष के आदमी को लीजिये ही। उससे आपको लाभ ही होगा और उसका निर्माण भी अच्छा होगा।

दृष्टिकोण का सवाल है उसमें मैं कह सकता हूँ इसप्रकार का जो संकल्प रखा है उसमें कुछ कमियाँ रह सकती हैं लेकिन आज जब कि हम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिला स्तर पर जो जिला परिषदों का निर्माण करने जा रहे हैं तहसील स्तर पर तहसील समितियां बनाई जा रही हैं उसमें मेरा विश्वास है कि राजस्थान के स्तर पर हर विभाग के दृष्टिकोण से कमेटी बनती है तो वह बहुत बड़ी हो जायेगी और ऐसी हालत में हम जहां शिथिलता को मिटाने का प्रयास करने जा रहे हैं वहां हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कमेटी का निर्माण किया गया। मैं समझता हूं अगर यही दृष्टिकोण इसमें रहता है तो माननीय मन्त्री महोदय आश्वासन दें ताकि यह पता चले कि वास्तव में वे भी यही चाहते हैं। जब यह तय होजाय कि हमें शासन में व्याप्त शिथिलता को दूर करना है, इसमें हमारा दृष्टिकोण भले ही भिन्न हो सकता है लेकिन इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि शिथिलता और रेड टैपिज्म दूर होना चाहिये। इन्हीं विचारों के साथ जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हमारे राजतन्त्र में संक्रामक शिथिलता है, संक्रामक ढिलाई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसीभी सभ्य राजतन्त्र के लिये जो अपने को जनतन्त्रात्मक राजतन्त्र कहता है यह शोभनीय बातनहीं है। इससे भी आगे बढ़कर मैं यह कहना चाहूँगा कि यह ऐसी शिथिलता है वह इस प्रकार से हमारे राजतन्त्र का रोग है। इसको हम राजयक्ष्मा के नाम से पुकार सकते हैं। चाहे माननीय मन्त्री महोदय इस बात से सहमत नहीं हों लालफीताशाही और ढिलाई जो है वह निःसन्देह राजयक्ष्मा जैसा रोग है, यही आज के राजतन्त्र को घुन की तरह खाये जा रहा है। इसलिए जो बात सर्वमान्य है हमारे भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मन्त्री और हम सब लोग और माननीय मन्त्री महोदय भी इस बात को मान चुके हैंकि हमारे राजतन्त्र में संक्रामक देरी है, ढिलाई है, शिथिलता है और लाल फीताशाही है, इसको सब मानचुके। अब सवाल यह आता है यह कि इसका इलाज क्या है? मेरे माननीय मित्रों ने इलाज भी बताया इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने कुछ इलाज प्रस्तुत किये हैं लेकिन मेरी यह मान्यता है कि अधिक कमेटियां बनाने से इस प्रकार जो रोग है वह शायद दूर हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अधिक गहराई से सोचें तो हमें एक बात को मद्देनजर रख कर सोचना पड़ेगा कि हमारा आज का जो राजतन्त्र है वह सारा का सारा राजतन्त्र नकारात्मक राजतन्त्र है। हमने जनतन्त्र को स्वीकार किया हैं हमने अपने शासन का ढांचा जनतन्त्रात्मक रखा है और उसी फलस्वरूप पार्लियामेंट और विधानसभाओं का निर्माण किया है और उसके प्रति जिम्मेदार हुकूमत भी बनाई है। लेकिन जो विरासत में हमें राजतन्त्र मिला है उसको हमने बदला

(श्री जनार्दनराय नागर)

नहीं। अभी हम जो विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर मैं नहीं जानता इसका क्या असर होगा। आज कुल मिला कर जो राजतन्त्र है वह पुराना ढच्चर है, पुरानी पॉलिसी पर है उसको हमें समझना होगा। आज हम जिस तन्त्र को साथ लेकर जनता का राज्य कायम करना चाहते हैं वह तन्त्र न केवल काफी है बल्कि वह मूलमें ही अयोग्य तन्त्र है। आप ख्याल कीजिए एक कागज को निकलवाने में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा एक साल लग जाता है आखिर उस तन्त्र के बारे में क्या राय बनाई जा सकती है? मैं इरादे की बात नहीं कहता। हो सकता है उसमें दृष्टिकोण का आग्रह या दुराग्रह हो किन्तु यह कटु सत्य है। नग्न सत्य है। सदन के माननीय सदस्यों को खुद को अपने कागजात निकलवाने में एक साल का समय लग जाता है। यह हमारा रात दिन का अनुभव है। मैं ऐसे एक विभाग का सभापति हूं जो सरकारी विभाग है। मुझे खुद को जरूरी जरूरी निर्णय निकलवाने में क्लर्क से लेकर ऊपर के अधिकारी तक जाना पड़ता है इसलिये हम इस रोग को न समझते हों तो हम अपने प्रति, अपने राज्य के प्रति और जनतन्त्र के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। इन घटनाओं पर विचार करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सारा का सारा तन्त्र ऐसी पुरानी विचारधाराओं में लिप्त है कि आज की बदली हुई हालत में काम करने की उसमें योग्यता नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि सारे राजकर्मचारी इसके जिम्मेदार हैं। आज हम देखते हैं कि कागज टेबल के ऊपर ही नहीं रहता बल्कि दो टेबलों के बीच में पड़ा रहता है। दो मेजों के बीच से एक मेज पर ले जाने में श्रम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है कहना पड़ता है। आज इस प्रकार से दो टेबलों के बीच में पड़े हुए कागज पर निर्णय लेना राजकर्मचारी की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि यह तो राजतन्त्र जो हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय से विरासत में मिला है वही तो राजतन्त्र है और राजा, महाराजाओं ने भी इसी प्रकार का राजतन्त्र बनाया था। अंग्रेजों ने जो राज्य यहाँ स्थापित किया उनका केवल यही ध्येय था कि जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जाय और दुर्भाग्य यह कि हमारे राजा, महाराजाओं ने भी उसी का अनुकरण किया और उसी प्रकार के तंत्र को अपने यहां कायम किया। इसलिये कुल मिलाकर सारा शासन तंत्र ब्यूरोक्रेसी कहलाया जिसे हम नौकरशाही कहते हैं जिनका लक्ष्य केवल यही था कि कम से कम काम हो और कम से कम जिम्मेवारी संभाली जाय और अधिक से अधिक इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय जिससे स्वाभाविक तौर से जनता का शोषण हो सके। देश का जो वर्चस्व है वह कमजोर हो और अर्थ दूसरी जगह जाय।

इस चीज को लेकर मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने सत्ता की सवारी की पर यह सवारी पुरानी ब्यूरोक्रेसी के घोड़े पर है जो यात्रा करना तो नहीं चाहता पर यात्रा करने के नाटक सारे करता है और अन्त में जाकर सवार को धोखा दे देता है। तो हमें फैसला यह करना है कि आप इस घोड़े को बदलना चाहते हो या नहीं, आप राजतन्त्र के इस सारे दृष्टिकोण को बदलना चाहते हो या नहीं?

४ म० प०

Page No 93

(श्री जनार्दनराय नागर)

दुनिया के कई देशों ने इस जन राज्य की प्रणाली का प्रयोग किया है। उन्होंने अनुभव से साबित किया है कि इस नौकरशाही का जो राजतन्त्र से विरासत में आई है सही दृष्टिकोण से परिवर्तन करना पड़ेगा। आज कई खराबियां इस राजतन्त्र की नौकरशाही में है उसे आप भ्रष्टाचार कह कर सन्तोष कर सकते हैं। पर यह सारी खराबी, ये सारे दुष्परिणाम तो इस पुराने, सड़े-गले, जीर्ण-शीर्ण तन्त्र के ढांचे की वजह से है। आपको तो इसे बदलना पड़ेगा। एक बीमार शरीर में कई रोग दिखते हैं। फिर हम भले ही शिकायत किया करें कि यह शरीर रोगों से भरा है। उपचार करना चाहें तो गलत चीज का आप अच्छा उपचार भी नहीं कर सकते। सवाल एक मात्र यह है कि आप इस तन्त्र को बदलना चाहते हैं या नहीं? जिम्मेदारी का एक ढांचा निश्चित रूप से आपको तैयार करना पड़ेगा। एक सदस्य ने यह कहा और यह सही है। मैं मानता हूं इसे। आज होता क्या है? कमिश्नर के पास कोई कागज जाता है, वह जिम्मेदारी नहीं लेगा। कलेक्टर को रिपोर्ट करने को भेजेगा कलेक्टर एस.डी.ओ. को और एस.डी.ओ. नीचे भेजेगा और इसतरह वह कागज पटवारी के पास जावेगा। निस्सन्देह कागज की इस परिक्रमा में जिसको मैं प्रदक्षिणा कहता हूं औसतन एक साल लगता है और अगर मेज की दराजों में पड़े कागजों का समय की दृष्टि से लेखा लगावें तो आपको हैरत होगी यह जानकर कि कई कागज तो ऐसे हैं कि वर्षों से उन दराजों में दबे पड़े हैं। आज हमारी विचित्र समस्या है। हम निर्णय लेने से झिझकते हैं। हमारे में हिम्मत नहीं कि हम तुरन्त किसी मामले में निर्णय तो ले लें। कुछ निर्णय हम लेना चाहते हैं, कुछ लेना ही नहीं चाहते, हम ले ही नहीं सकते। हमारे तन्त्र की नकारात्मक फिलॉसफी है। उसने विवश कर दिया है कि अच्छे इरादे होते हुए भी शीघ्र निर्णय नहीं ले सकते हमारे ये शासक। निर्णय ले भी लें तो होना क्या है जल्दी से ?

इण्डियन ड्रग एक्ट को लेकर एक मामला बना। हमारी सरकार को इस मामला को सुलझाये आज पूरे पन्द्रह दिन हो जाते हैं उसके अनुकूल आदेश कभी के गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाने चाहिये थे पर आज उनकी दशा यह है कि वे किसी की दराज में पड़े होंगे।

हमारे इस राजतंत्र के निर्णयों की क्रियान्विति का विश्लेषण करें तो इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इस प्रकार के कागज हैं जिनमें निर्णय निश्चित रूप से लिये जाते हैं। ऐसे कागजों में देर नहीं होती। रुपया पैसा वसूल करना है, किसी से कर्जा या तकावी की किश्त वसूल करनी है ... ...

(गण पूरक घंटी) के उपरान्त पुनः

तो ऐसी हालत में राजतन्त्र जल्दी से काम करता है। जहां लेनेकी बात है, वहा निश्चित रुप से शीघ्रता से वसूल करती है। पर जहां देने की बात आती है वहां गति नहीं मालूम होती। तीन, चार साल पहले लोगों से इस बात का रुपया इकट्ठा किया गया कि कम्प्रेशर दिलाया जायेगा। चार, पांच साल हो गये सरकार को लिखे कि या तो कम्प्रेशर भेजो या रुपया वापिस दो। यह मांग अभी तक मन्जूर नहीं हुई।

दूसरा जो पहलू है वह यह है कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विचार में चलती रहती

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं और उनका निर्णय नहीं किया जाता । यहां इस तन्त्र में स्वाभाविक गति से यह बात होती रहती है । मैं अनुभव करता हूं इसे । बहुत सी बातों में कुछ तो कल्पना के अभाव से, कुछ स्वार्थवश, कुछ अनुभव की कमी की वजह से और कुछ इरादों की वजह से निश्चित रुप से निर्णय नहीं लिये जाते और विचार के प्रवाह में उनको डला देते हैं ।

एक पहलू है ऐसा जिसमें निर्णय लेने की बात की जाती है पर निर्णय लेने का कोई इरादा नहीं है । कुल मिला कर मैं यह कह सकता हूं कि बीस फी सदी ऐसे निर्णय हैं जो लिये जाते हैं । उनके कागज जल्दी निकलते हैं नहीं तो विकास के इतने भारी कामों में यह तन्त्र स्वयं ही समाप्त हो जाता । विकास के कामों में जल्दी करता है यह तन्त्र तो कुल मिला कर यह कोई आशाजनक चित्र नहीं बनता ।

तो मैं कहना चाहता था, सभापति महोदय, कि हमें फैसला यह करना चाहिये कि इस तन्त्र को हम बदलने को तैयार हैं या नहीं । जिला स्तर पर विकास के मामलों को लेकर हमने विकेन्द्रीकरण किया । पर क्या इस ढांचे का सम्पूर्णतः और अत्यधिक रूपमें विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं या नहीं । हमारे देश में दूसरे महा युद्ध के बाद बल्कि सारी दुनिया में मानसिक ईमानदारी पहला शिकार हो गई है ।

आज किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। हमें मानने पड़ेगा कि राष्ट्रीय आधार पर मानसिक ईमानदारी जैसी चीज की बहुत कमी होती गई है । मानसिक ईमानदारी के कारण से कोई निर्णय लें, यह बात नहीं है । हर जगह हेतुवाद आ गया है । यह रोग इतना फैल गया है कोई कागज, कोई फैसला,कोई बहस और कोई कमेटी ऐसी नहीं जिसमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता हो । मैं बड़ी कटु बात कह गया हूं । पर साथ ही जानता हूं कि जब हमलोगों का परीक्षण करना चाहते हैं तो निदान भी स्पष्ट होना चाहिए । आज कमेटियों की बात चली है । कोई बात हुई और कमेटी बैठजाती है । मैं घबरा उठता हूं । मैं जानता हूं कि यहां कमेटी की एक बात आई कि गई ? दो वर्ष की । यह फैशन हो गई जनतन्त्र को चित्रित करने की यह ठीक बात है परामर्श के लिए, डेमोक्रेटिक सलाह मशविरा के लिये कमेटी की जरूरत हो सकती है । पर कमेटियां ही कमेटियां बिठाते चले जाओ और निर्णय करने में देर से देर लगाते चले जाओ क्रियान्वित करने का सवाल ही नहीं आने दिया जावे तो यह तो एक सवाल है और कुछ नहीं है । आप दरवाजे में चिकें ही चिकें डालते चले जाओ फिर कहो कि स्वाभाविक हवा न रुके । वह तो रुकेगी । आज फैसला यह करना है कि शासनतन्त्र जो हमें यह जीर्ण-शीर्ण रूप में विरासत में मिला है उसे छोड़ने के लिये और इस पुराने अर्थवाद, हेतुवाद को छोड़ने को तैयार हैं या नहीं ? आप हर लेवल पर जाकर एक सेक्रेटेरेट के सेक्रेटरी से लेकर जिला और तहसील तक राज्यसत्ता का विकेन्द्रीकरण करने को तैयार हैं या नहीं ? अगर यह करने को तैयार नहीं हैं तो कितनी ही कमेटियां बना लीजिये इस शिथिलता की मात्रा में और फैले हुए भ्रष्टाचार में कुछ अन्तर नहीं पड़ सकेगा । ये कभी दूर नहीं हो सकेंगे ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो राज्य कर्मचारियों से आप निर्णय कैसे करावेंगे, क्रियान्वित कैसे करावेंगे ? आप

(श्री जनार्दनराय नागर)

किसी का हाथ और कलम नहीं पकड़ सकते। तो मैं इन मूल बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता था। ठीक है। हम कुछ बातों को लेकर शिकायत कर सकते है। पर मैं मानता हूं कि जनतंत्र के विकास में यह राजतंत्र पुराना है, नकारात्मक है। इसको बदलने की पूर्ण आवश्यकता है।

हम आज राज्य कर्मचारियों को दोष देते हैं। वे बहुत अयोग्य हैं, नालायक हैं। यह गलत दृष्टिकोण है। यह दूसरा पहलू है जिस पर विचार करना है। हम कहने को कह देते हैं कि हमारे राजस्व में आज सब बेईमान ही बेईमान भरे हैं। यह ऐसी बात है जिसको कह कर खोया ही जा सकता है कुछ हल नहीं खोजा जा सकता। यह पूरी जिम्मेदारी की बात नहीं है। उल्टे हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि हमारे राजतंत्र में जो रखे गये हैं वे ईमानदार हैं, योग्य हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : टाइम हो गया।

श्री जनार्दनराय नागर : There is no time limit Sir, I may submit, Sir there was no time limit in the case of others.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : समय का लिमिट नहीं है।

श्री सभापति : It is contained in the rules itself.

श्री जनार्दनराय नागर : दूसरों को भी टाइम दिया है साहब।

श्री सभापति : So far as I am concerned. I am mindful of the time.

श्री जनार्दन राय नागर : I don't think Sir, the Chair was placing any time limit for others. It is surprising that time limit is claimed in my case. I once again submit, Sir, that this limit business is for me alone in the House. This is the third time that time limit has been claimed in my case only. If there was any time limit, it ought to have been claimed for every Hon'ble Member of the House.

श्री सभापति : So far as I am concerned. I am mindful of the time.

श्री जनार्दनराय नागर : It is third time, Sir, that I have been mercilessly subjected to this time limit. I shall definitely obey the Chair, but there is a resentment in my mind.

श्री सभापति : You may speak for two minutes more.

श्री जनार्दनराय नागर : I am amazed Sir, that time limit has suddenly fallen on my head. Other members......

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order Sir. Under Rule 113, "No speech on a resclution shall, except with the permisson of the Speaker, exceed fifteen minutes in duration." So you can speak for more than fifteen minutes only with the permission of the Speaker.

४, १० म० प०

Page No 96

(श्री निरंजननाथ आचार्य,उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दनराय नागर : I am surprised, once and often time limit has been claimed in this House in my case. The Chair is very conscious about me......

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is conscious about your personality and dignity and everything.

श्री जनार्दनराय नागर : It is the third time that time limit has been claimed in my case only.

श्री उपाध्यक्ष : What is wrong? You were speaking you will continue

श्री जनार्दनराय नागर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि आज छोटी-मोटी बातों को लेकर हम यह सोचते हुए चलें कि राजतंत्र से अब हम राजस्थान की जनता के लिए स्थिति पूर्ति कर सकेंगे, यह एक नामुमकिन बात है। सच बात तो यह है कि हम आज जो समस्या की समस्यायें हैं उनको दूर करना नहीं चाहते हैं और इसको दूर करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सारे राजतंत्र को जनता के हाथों में सौंप दें। यह हमने १२ साल के बाद साहस किया कि जिला स्तर पर हम जनता के हाथों में सत्ता को सौंपे। लेकिन यह सत्ता तो आज भी हमारे हाथों में केन्द्रित है। एक सदस्य ने अभी कहा कि सत्ता तो हमारे सेक्रेटेरियट में केन्द्रित है और जब तक कागज अपनी प्रारम्भिक सीढ़ी से लेकर अन्तिम सीढ़ी तक नहीं जाता तब तक उस कागज का भुगतान नहीं होता है। यदि हमने सोच समझ कर सत्ता का ठीक ढंग से नियमों के अनुकूल विकेन्द्रीकरण नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारी शिथिलता की शिकायतें आज हमारे सामने आती हैं वे दूर नहीं होंगी। जो पहले मौरूसी ढंग की सत्ता विद्यमान थी उस मौरूसीपन को आज हटा दिया और जनता के हाथों में सत्ता सौंप दी लेकिन आज दिन तक जो ढांचा बना हुआ है वह इस प्रकार का था कि समाज के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि धारा सभा में आते थे पर अब वह सत्ता गांव गांव में पहुंचेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति किस प्रकार से सत्ता का उपभोग कर सकता है जब कि उसके सामने सैकड़ों मांगें मौजूद हैं और सैकड़ों कागज हैं जिनका भुगतान करना पड़ता है। आप सेक्रेटेरियट में कुछ समय के लिए जाइये और देखिये कि मिनिस्टरों के पास कितना कार्य है। मैं तो कहता हूं कि मिनिस्टरों पर दया आनी चाहिये। उनके पास जो फाइलों का छोटा मोटा पहाड़ जमा रहता है उसके लिए तो मुझे प्रेम के साथ में उनके ऊपर दया आती है। कितने ही कागज हैं जो आज हमारे राज्य की शिथिलता की नीति के कारण पड़े रहते हैं। मूलतः यह देखा जाता है कि जब किसी को कोई भी कार्य हुआ वह सीधे मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं। तहसीलदारों के पास नहीं जाते हैं, कलेक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, सचिव के पास नहीं जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं तो मिनिस्टर के पास और मिनिस्टर साहब रिपोर्ट मंगाते हैं नीचे के कार्यालयों से और वह कुछ परवाह नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि वह रिपोर्ट देर से आती है। कई लोगों की पुरानी स्मृति है वह बहुत देर से ताजा होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम और आप आगे इस बात के लिए

(श्री जनार्दनराय नागर)

ईमानदार रहें कि हमें इस शिथिलता को दूर करना है। रैड टैपिज्म के बारे में हम काफी कुछ कह सकते हैं। मैं स्वयं भी इस रैड टैप को काटने के लिए बारीकी से बोल सकता हूं। मैं तो बोल ही सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रैड टैप के बारे में आलोचना करने पर हमारे माननीय मन्त्री नाराज होते हैं। मैं उनकी नाराजगी की कद्र करता हूं लेकिन साथ ही साथ सारा सवाल यह है कि आज रैड टैप को मैंने फांसी की संज्ञा दी है जो कि आपके और हमारे गले में फांसी की तरह है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस फांसी से हमारी मुक्ति हो जाये नहीं तो आप कितना ही विकास का प्रयत्न कर लीजिए निश्चित रूप से जो एक शक्ति, जनता के विकास के काम की कोशिश, जनता में आनी चाहिए वह आनेवाली नहीं है। मैं बराबर देख रहा हूं क्योंकि इन दिनों मुझे कई सरपंचों से मिलने का अवसर मिला है, मैं बराबर अनुभव कर रहा हूं कि उनमें एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हो रहा है। उनमें विश्वास आ रहा है कि जो निर्णय है उसको हम कर सकते हैं। मैं इसको आज असम्भव मानता हूं कि एक सचिव अथवा कलेक्टर किसी मामले में स्वतन्त्र रूप से आज के बदले हुए हालात में कोई निर्णय लेने को क्षमता रखता है, वह ले नहीं सकता। जनतन्त्र के मौलिक विकास के दौर में जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में और शासन तन्त्र की इकाई के स्तर पर हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। यदि हमारा यह अनुमान है कि जयपुर की जटा के अन्दर सारी की सारी सत्ता छिपी रहे तो मैं कहता हूं कि उसमें बहुत रोग आयेगा और बहुत जूएं पड़ेंगी, इसमें सन्देह नहीं है। सारा सवाल यह है कि आप बदले हुए इतिहास के सत्य को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं या फिर आप उसी पुराने खच्चर पर बैठकर बद्रीनाथ व केदारनाथजी की यात्रा करना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जो नये हिन्दुस्तान के निर्माण में व्यस्त हैं हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता अपने शासन को स्वयं चलाये। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हमने वही पुराना साम्राज्यवादी राजतन्त्र का सारा दृष्टिकोण अपना रखा है। इसलिए मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि यह हेतुवाद और पक्षपात हैं और गैरजिम्मेदारी है, ये सारे चिन्ह हमारे राजतन्त्र में मौजूद हैं।

व्यक्तियों के ऊपर नाराज होना मैं समझता हूं केवल कुछ कह देने मात्र से उचित परम्परा नहीं है। आज यह अमुक कहावत है कि अगर कागज निकलवाना है तो जयपुर जाइये, ऐसी आम धारणा आज लोगों की बनी हुई है। जब तक कागज के पीछे नहीं पड़ो तब तक कागज नहीं निकलता, यह अफसोस की बात है। मैं मन्त्री महोदयों से कहता हूं कि आप चाहे नाराज हों या राजी हों मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजतन्त्र में ढिलाई है जो अब धीरे धीरे हमको खाये जा रही है और उसको हमें दूर करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितने ही क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ें। मैं आपको बताता हूं कि कोई कागज अपने तरीके से निकल कर आपके सामने आता हो वैसी बात नहीं है। आज बिजनेस फर्म का उत्तर उचित समय पर आ सकता है लेकिन राज-

(श्री जनार्दनराय नागर)

तंत्र का उत्तर समय पर नहीं आ सकता । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह कहावत होगई है कि जब तक कागजों के पीछे पीछे नहीं रोयें तो जैसे जमीन के नीचे से मछलियां गायब हो गई हैं वह भी गायब हो जायेंगे । मैं कहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय कभी अपने स्वाभाविक ढंग से कागज को निकालकर बतायें । मैं तो यहां तक जानता हूं कि बहुत सारीफाइलें जो मिनिस्टर चाहते हैं वह भी समय पर नहीं आती हैं । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि इस घिसे हुए आटे को बार बार पीसने से कोई फायदा नहीं है । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस लाल फीताशाही के लिए काफी रोष सदन में प्रकट किया है इससे कुछ लोग तो राजी हुए हैं और कुछ नाराज हुए हैं। यह रोग इतना पुराना हो गया है कि यह महारोग हो गया है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव माननीय मित्र ने रखा है वह प्रस्ताव बिल्कुल उचित है कि हम राज्य में विद्यमान शिथिलता को दूर करें । अब इसके लिए जो उन्होंने उपाय बताये हैं कि उसके लिए एक और कमेटी बना दी जाये, इसमें मुझे कोई सार नहीं मिलता । इसका सारा जवाब यही है कि हमारे जो पुराने साम्राज्यवादी और सामन्ती दल का खच्चर है उसको हमें बिल्कुल बदल देना है, चाहे उसको बदलने में कई राजतन्त्र की परम्पराओं को छोड़ना पड़े, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा । मुझे समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद चला गया पर एक प्रतिष्ठा जो शासन चलाने की दे गया उसको हम चिपकाये बैठे हैं । आज कागज आते हैं तो उनका स्वयं निर्णय सचिव या कलेक्टर नहीं ले सकता है । मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे उच्च पदाधिकारी भी स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाते, यह तो अपने ऊपर विश्वास की कमी है आज हम जनता में विश्वास नहीं करते हैं । जनता के प्रतिनिधियों में विश्वास कम रह गया है, इसलिए हमने सोचा कि जिला बोर्ड के प्रतिनिधि भी शासनतन्त्र में बैठे हुए वे ही लोग सही तौर से निर्णय कर सकते हैं । इस तरह की अगर कोई गड़बड़ होती है, उपाध्यक्ष महोदय, तो इन शब्दों के साथ आपके जरिये प्रतिपादन करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि वह बहुत खराब होगा।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो एक संकल्प रखा है, वह बहुत बढ़िया है किन्तु इस सदन में माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे मावली से आनेवाले माननीय मित्र ने अपने अभिभाषण में प्रशासन की कमियां जाहिर की हैं कि एकाध उपमन्त्री तो अशिक्षित हैं जो कि इस सदन में जबाब देना नहीं जानते हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): मैंने ऐसा नहीं कहा है । I plead for mercy from you Sir.

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप इनके भाषण उद्धृत करें तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा । थोड़ा दिमाग से काम करें।

श्री हरिप्रसाद यादव: माननीय उपाध्यक्ष माननीय, मित्र जनार्दनरायजी नागर ने अपने अभिभाषण में कहा था कि यह अशिक्षित है तो अशिक्षित शासन चलाने के लिए ..

Page No 99

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने... माननीय उपमन्त्री

(अश्रव्य)

(श्री हरिप्रसाद यादव के भी साथ साथ बोलने के कारण)

श्री उपाध्यक्ष : आप पेशकश भरिये। उन्होंने...

श्री हरिप्रसाद यादव : प्रश्नों में सच्चाई लाने के लिए अशिक्षित को शिक्षित करें। माननीय मित्र ने अपने भाषण में जाहिर किया है। उन्होंने अपने भाषण में राजस्थान क खुशहाल बनाने के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। उनकी पुनरावृत्ति नहीं करें। आप अपने भाषण पर चलें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, इस संकल्प का समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जो समिति बनाने के पक्ष में संकल्प रखा है तो समिति बनानी चाहिये। जो माननीय मित्र समिति नहीं बनने देना चाहते हैं वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हजारों हैं, वर्षों से पिछड़े हुए किसान ....

श्री उपाध्यक्ष : भ्रष्टाचार है या मिष्टाचार है।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : हरिजन, पिछड़ी जाति के जो आदिवासी लोग हैं, जो पहाड़ों पर राजस्थान में बसते थे, वीर भूमि महाराणा प्रताप के मेवाड़ में मगरों पर निवास करने वाले जो हरिजन, आदिवासी हैं वे भूखे नंगे नजर आते हैं, फिर इस सदन के और इस केबिनेट के उपमन्त्री पिछड़ी हुई जाति के लोगों पर प्रहार करते हैं। मैं जोरदार शब्दों में उन माननीय उपमन्त्री महोदय का विरोध करूंगा कि जिसके भाई बन्धुओं और कुटुम्ब परिवार के लोगों के पास करोड़ों की सम्पत्ति है और जो नंगे भूखे लोग हैं उन पर आरोप लगाते हैं। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिस उपमंत्री ने २, ३ दिन पहले इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। देखिये इस तरह की बात न करें। आप अपने भाषण पर चलें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रशासन की कमी जो है उसको उदाहरण के तौर पर माननीय उपमन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया था उसपर बोलता हूं, माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर खींचने के लिए कहा है कि उपमंत्री महोदय इसप्रकार के कारण का आरोप लगाते हैं। यह कहते हैं कि हजारों वर्षों से पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, करोड़ों आदमियों की जमात है, जो आदमी अपने आपको, जो व्यक्ति अपने आपको खुदा मानता है तो इधर पिछड़ी जाती के लोग भी अपने आपको खुदा मानते हैं। मैं एक नजीर बताऊँगा कि भारत का संविधान बनानेवाला एक चमार था, डॉ० अम्बेड्कर जिन्होंने कि भारत का संविधान बनाया है, जिस कानून से भारत शासन कर रहा है, वह चमार था, हरिजन था। तो माननीय उपमंत्री को एक चमार की ही नज़ीर

Page No 100

(श्री हरिप्रसाद यादव)

सामने आई, तो पिछड़ी जाति के लोग ही पिक्चर में आये। एक कहावत है कि "सौ सौ चूहे खाय बिल्ली हज्ज को चली।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि हमारा राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य है। हमारा राजस्थान प्रदेश बहुत बड़ा, लम्बा चौड़ा है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। एक ऊपर की चेयर पर बैठा हुआ आदमी नीचे के क्लर्क की रिपोर्ट पर अनापशनाप जबाब दे, यह हमारी परम्परा के खिलाफ है। हमारे उधर बैठनेवाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ११७ आदमियों की मेजोरिटी की पार्टी का शासन है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): On point information Sir, आपने एक उपमंत्री पर चार्ज लगाया। सदन में एक उपमंत्री का नाम आजाये, सदन में इस प्रकार से चार्ज लगाया जाय तो उनका नाम आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: वह इस वक्त इतिहास हो गया है। आप आगे बहुत बढ़ गये हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा यह व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव पर बोलें तो ठीक रहे। हाउस के पास टाइम कम है। आप इस प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव पर बोलना होता तो आप खड़े ही क्यों होते।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव: माननीय उपाध्यक्ष ? अभी जो कहा गया कि प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं तो माननीय बहादुरसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है, उन्होंने अपने इस प्रस्ताव में, इस संकल्प में शासन में कमियां बताई है, तो शासन चलानेवाले उपमंत्री महोदय हैं, उनकी जो कमियां थी वह मैंने बताई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: उपमंत्री महोदय का नाम बताया जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव: उसमें सुधार लाना है तो हर एक माननीय सदस्य को अपने दिल को गवाह देकर माननीय सदस्य सोचें, और इस देश के बुद्धि जीव कहलाने वाले लोग हैं उनको अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। महात्मागांधी जिनको कि हम राष्ट्रपिता पुकारते हैं उन्होंने अपने जीवन में दो कहानियां लिखी हैं, एक हरिजन और एक आदिवासी। तो हरिजन के नाम से माननीय सदस्य घृणा करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति भाई से भेदभाव करता है जो अपने से दूसरों को नीचा मानता है...

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव दूसरा है। ऑर्डर ऑर्डर। घृणा माननीय सदस्य, कोई नहीं करते हैं इन जातियों से।

श्री हरिप्रसाद यादव: माननीय उपाध्यक्ष, एक उदाहरण मैं बतला रहा हूं कि हमारे देश का करोड़ों रुपया इन पीछे रहने वाले लोगों के लिए हमारी राज्य सरकार को व्यय करना पड़ता है। वह पैसा व्यय होता है और कुछ काम नहीं आता है। मैंने अपने

(श्री हरिप्रसाद यादव)

पूर्व भाषण में यह भी कहा था कि यह करोड़ों रुपया देश की पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जाय तो हमारे राजस्थान के रास्ते, छोटी छोटी नाडियां, कुँए और जहां जहां बांध की जगह हैं, इन करोड़ों रुपयों से पूरी हो जाती हैं, और हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है तो हमारे शासन की जो कमी है उस कमी को हम सब मिल कर सुधार सकते हैं। बस मैं यही कह कर बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister will reply.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is it neceecssary that the minister should reply. Members want to talk. The mover of the resolution has never asked for a reply from the Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : I must in form the Hon'ble Members as to what measures the Government has taken to avoid this delay. When the Hon'ble Members have so much complained about delay in the disposal, I must satisfy the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : Your Honour, I would like to take three minutes on the resolution, if you permit, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, we would like to accommodate you.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमान् यह जो शिथिलता पर प्रश्न आया है मैं इस पर भृष्टाचार की दृष्टि से नहीं बोलूँगा क्योंकि भ्रष्टाचार के और कारण हैं। मैं प्रशासनिक दृष्टि से एक दो बातें कहूंगा और बहुत संक्षेप में। पहली बात जो मैं समझता हूं शासन में शिथिलता है उसका प्रधान कारण यह है कि शासन किसी एक व्यक्ति का तो है नहीं आजकल जमात का शासन है और उसमें कोई आदमी किसी नीति को निर्धारित करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक अदना ऑफिसर, क्लर्क या बाबू है, सुपरिन्टेन्डेन्ड, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है, इनमें से कोई भी नीति निर्धारित नहीं करता है तो कागज नीचे से चलता है तो मुसीबत होती है। नीचेवाले इधरउधर रेस्पोन्सिबिलिटी डालते हैं। सरकार यदि सभी विषयों पर नीति निर्धारण करदे तो किसी को तकलीफ नहीं हो और काम फौरन होजाय। एक कारण तो यह हुआ।

दूसरा कारण है मेजों की बहुतायत। पहले भी कह चुका हूं, अपने आप को कायम रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, यह सर्विसेज में भी है, ब्यूरोक्रेसी और डिपार्टमेन्टस में भी है। वे अपने को कायम रखना चाहते हैं और फैलाव भी बढ़ जाता है तो मेजें बढ जाती हैं और मेजें बढने से कागज ख्वामख्वा एक मेज से दूसरी मेज पर जाते रहते हैं। ख्वामख्वाह जो मेजें बढ रही हैं उनको कम कर दीजिये, चुस्ती पैदा हो जायेगी।

तीसरा कारण है जिम्मेदारी को एक जगह केन्द्रित करना। जैसा कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन बिल पर बोलते हुए मैंने कहा था, आज छोटी मोटी अदालतें जिस काम को कर सकती हैं उसको आप क्यों ले रहे हैं, एक मेज पर ही वे क्यों आवें? कन्सन्ट्रेशन ऑफ

Page No 102

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

वर्क से डिले होगी। एक आदमी सारे काम को नहीं कर सकता। जो काम छोटे लेवल पर हो सकता है उसको बड़े लेवल पर क्यों किया जाय? इसलिये कंसन्ट्रेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिये।

और चौथा कारण सबसे प्रधान कारण यह है कि काम करनेवाले की दिलचस्पी को मिटाना। इसलिये आप आदमी को आदर नहीं देते, काम करनेवाले को प्रमोशन नहीं मिलता, जो निकम्मा है वह कुर्सी पर बैठा है उसको काम करना आता नहीं फिर भी वह कुर्सीपर बैठा है। प्रशासनिक बातें हैं। स्कूल और कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की टेक्स्ट बुक्स लिखी हुई हैं। हमें पता नहीं लेकिन कालेज में बच्चे पढते हैं। उनका उपयोग करें तो काफी हद तक बिना राजनैतिक क्रान्ति के प्रशासन में सुधार आसानी से हो सकता है। मेजों का काफी खर्चा कम हो जाय। सेवा और सुविधा दोनों गुण आ सकते हैं। उसकी महत्ता महसूस करना चाहिये। देरी आखिर छोटी चीज नहीं है। मान लीजिये आज आपकी हुकूमत पर हमला होता है और उसका जवाब देने का हुक्म ३ महीने बाद पहुँचता है तो अंदाजा लगाइये क्या होगा? देरी शासन को निकम्मा बनाती है, देरी से शासन नहीं होता। देरी जबर्दस्त चीज है, इसका ध्यान रखना चाहिये। मेरे एक दोस्त ने एक मिसाल, हाउस के सामने दी थी, श्री मुरलीधरव्यास ने श्री देवेन्द्रशाह को सस्पेन्ड कर दिया। २ साल तक फैसला नहीं हुआ। छोटी सी बात है। उसकी तनख्वाह बंद हो गई। दो वर्ष तक फैसला नहीं देते, एक कमानेवाला था अपने परिवार का पेट भर नहीं सकता था इसलिये खुदकशी कर गया। इसका जवाब कौन देगा? मैं एक शेर अर्ज करता हूं:

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जायेंगे हम तुम्हें खबर होने तक।

श्री उपाध्यक्ष : मुकर्रर।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार :
हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।

इस प्रकार जुल्म शुरू होने से पहले ही सब मर गये तो किस पर शासन करेंगे, जरा सोचिये। यही अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister in charge

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव जो सदन में धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका खास मकसद यह है कि प्रशासन के दफ्तरों में कागजों के डिस्पोजल में देरी लगती है, इसलिए उनका सुझाव है कि इसको किसी तरह से कम किया जाय और और मिटाया जाय। इसके लिए उनका सुझाव है कि हाउस के माननीय सदस्यों की एक एक कमेटी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बनाई जाय। इस मूल प्रस्ताव में कई माननीय सदस्यों के अमेंडमेंट थे किसी ने कहा कि इसमें तुरन्त शब्द बढ़ाया जाय और किसी ने तादाद रखी है कि इसके सदस्य ५ हों, इस प्रकार के सुझाव आये हैं। मैंने माननीय सदस्यों के सुझाव गौर से सुने। उनको शिकायत है इस बात पर कि दफ्तर के काम में बहुत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

देरी होती है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह शिकायत अदालतों के मामले में भी की कि अदालतों में डिस्पोजल बहुत देरी से होता है। लेकिन जहां तक अदालत का संबन्ध है, मैं अर्ज करना चाहता हूं उसके लिए हमारे यहां राज्य में कानून बने हुए और कानून के साथ साथ उनका जो प्रोसीजर है वह बिल्कुल प्रेस्काइब्ड है। हाईकोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हर काम के लिए तरीका मुकर्रर किया है उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्टरफियेरेन्स नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक अदालतों का सवाल है, उसमें डिले होने की बात नहीं है। प्रोसीजरल डिले हो सकती है, समन की तामील, नोटिस की मयाद का समय और अदालतों के पास पेन्डिंग केस वर्क है उसमें भी हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड ने प्रायोरिटी मुकर्रर कर रखी है, उसी के मुताबिक प्रायोरिटी देनी पड़ती है। केस वर्क में डिले होती है तो एग्जीक्यूटिव का इन्टरफियेरेन्स नहीं हो सकता और न डाइरेक्शन ही दिया जा सकता है। अलबत्ता यदि डिले होती है तो हाईकोर्ट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ध्यान दिला सकते हैं, अमुक आधार पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जहां तक सेक्रेटेरियट, हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज गवर्नमेंट के हैं वहां डिले का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि डिले होती होगी, मैं इसे इन्कार नहीं करता लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जहां जहां पर जो कार्य-वाही करनी थी, जो मेजर्स लेने थे वे लिये गये हैं। मेरी समझ में माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात नहीं थी कि सरकार कितनी सतर्क है और क्या क्या मेजर्स लिये गये हैं और उसका क्या रिजल्ट निकला है। सन् ५५ के बाद तवज्जेह ही नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा एक्शन लिया है और कमेटीज की जो रिकमेन्डेशन आई है वख्त वख्त पर, उन पर एक्शन लेकर रिजल्ट्स देखे हैं, रिजल्ट निकला है यह डिले तो मिनिमाइज हुई है। मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने और अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिये ....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : मैंने कंसेन्ट्रेशन के लिए अर्ज किया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : कंसेन्ट्रेशन फरमा दीजिये, आपने और मावली से आने-वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में कहा, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ सरकार ने बराबर एक्शन लिया है। सबसे पहले सन् ५५ में, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि क्या एक्शन लिया और उसका असर क्या हुआ। सबसे पहले हमने सन् ५५ में एक सीनियर ऑफिसर के चेयर-मेनशिप में एक कमेटी बनाई। और वह कमेटी उज्ज्वल कमेटी के नाम से थी, उसने रिकमन्डेशन्स दीं। उस कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में था कि ऐसे वेज एण्ड मीन्स सजेस्ट करे कि जो ऑफिसेज में केसेज के डिस्पोजल में डिले होती है, वह मिट जाय और उस डिले को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। उस कमेटी ने रिकमन्डेशन्स दी और उनको गवर्नमेंट ने मंजूर किया। उसमें पहली बात यह है कि माननीय सदस्यों को खयाल है कि डीलिंग क्लर्क से लेकर मिनि-स्टर तक केस डील किया जाता है, यह सही नहीं है। हमने इस बात का उसूल बना लिया है कि हर कागज हर ऑफिसर के पास नहीं जायगा, यानि मिनिस्टर के पास सेक्रेटरी सबमिट करेगा, सेक्रेटरी के पास डिप्टी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सेक्रेटरी सबमिट करेगा, डिप्टी सेक्रेटरी के पास असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और ऑफिस सुपरिटेडेंट के पास डीलिंग क्लर्क सबमिट करेगा। उज्ज्वल कमेटी के बाद हमने यह ऐक्शन लिया कि ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके पास कागज जाय, उसके पास यह रेस्पोन्सिबिलिटी रखी है कि वह ऑफिस के काम को देखे, क्लर्क के काम को चैक करे कि उसके पास फाइल अन्नेसेसरीली डिले तो नहीं होती है, केसपेंडिंग तो नहीं रहता है। उसकी जिम्मेदारी है कि जो ऑर्डर होता है, वह वक्त पर एग्जीक्यूट होता है या नहीं, जो ऑर्डर इश्यू होता है वह वक्त पर कम्पलाई होता है या नहीं। जो पहले तरीका था, उसको अब तब्दील कर दिया है और अब डीलिंग क्लर्क सीधा डिप्टी सेक्रेटरी को केस सबमिट कर देता है, डिप्टी सेक्रेटरी सीधा मिनिस्टर को सबमिट कर देता है। इस तरह असिस्टेट सेक्रेटरी कभी कभी इसमें इन्क्लूड होता है। डिप्टी सेक्रेटरी को डिलिंग क्लर्क डाइरेक्ट कागज पेश कर देता है। असिस्टेट सेक्रेटरी की जरूरत नहीं रहती है इस बात के लिए। तो सेक्रेटेरियेट के अन्दर दो ऑफिसर्स के पास कागज आता है इन्कलूडिंग मिनिस्टर। सेक्रेटरी के पास कागज आया तो सेक्रेटरी ने मिनिस्टर को पेश कर दिया, यह नहीं है कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पास से डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाय और डिप्टी सेक्रेटरी के पास से सेक्रेटरी के पास जाय।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह प्रोसीजर प्रेक्टिस में भी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आता है, मैं बता रहा हूं कि यह प्रेक्टिस में है। हमने इस तरह इन्स्ट्रक्शन्स दिए हैं, इस तरह के ऑर्डर दिए हैं और उनको इम्पलीमेंट किया जा रहा है। आपकी सूचना पुरानी होगी....

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Dy. Speaker, Sir. I am doubtful what the Hon'ble Minister is pressing before us. He says that Superintendent of a Section is empowered to check things. I wou'd like to show a number of instances where pepers are lying with the clerks for months and months at end.

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल दीगर, जवाब दीगर। मैं कह क्या रहा हूं जनाब समझ क्या रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : जो प्रोसीजर हमारे सामने रख रहे हैं Is it implemented in spirit or letter ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am telling you.

मैं इन्कार नहीं करता हूं कि क्लर्क के पास कागज नहीं रहते, कुछ कागज वे टाइम पर डिस्पोज ऑफ नहीं करते। यह कहना कि सुपरिन्टेन्डेन्ट चैक नहीं करता है, यह गलत है। सुपरिन्टेन्डेन्ट चैक करता है। मैं आपको फैक्ट्स एन्ड फिगर्स बताऊंगा, जो लेटेस्ट छः महीने का चैक कराया है, उससे पता लगेगा कितने कागज निकले हैं, कितने कागज ट्रान्सफर हुए हैं और कितने कागज पेंडिंग हैं। जो पहले पेंडिंग थे, उनमें से एक बटा तीन कागज रह गये हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् पेपर के डिस्पोजल अन्नेसेसरी प्रोसीडिंग्ज़. नोटिंग कितना होता है, यह नोट किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्नेसेसरी प्रोसीडिंग्ज के लिये अर्ज करूँगा। अभी सेक्रेटेरियेट के वर्किङ्ग के लिये बता रहा हूं। वैसे अन्नेसेसरी नोटिंग को एवोइड करने के लिए यह प्रोसीजर रख दिया है कि कागज दो आफिसर्स से ज्यादा ऑफिसर्स के पास नहीं जायगा, उसमें मिनिस्टर इन्क्लूडेड है। अगर मिनिस्टर को कागज सब्मिट करना होगा तो डिप्टी सेक्रेटरी डाइरेक्टली सबमिट कर देगा। सेक्रेटरी डाइरेक्ट सब्मिट कर देगा। सक्रेटरी के पास आने से पहले कागज डिप्टी सेक्रेटरी के पास नहीं आयेगा। यह डिले को एवोइड करने के लिए प्रोसीजर अडोप्ट किया गया है और केवल दो ऑफिसर्स के लिए ही रखा है, यह सिर्फ सेक्रेटेरियेट के आफिसर्स के लिए नहीं है and Minister is included in these two officers.

जैसा कि अन्नेसेसरी नोटिंग के लिए कहा कि पहले डिलिंग क्लर्क नोटिंग करता है और उसके बाद ऑफिस सुपरिंटेंडेंट नोटिंग करता है। अब यह कर दिया है कि ऑफिस सुपरिन्टेंडेंट नोटिंग नहीं करेगा he will submit the papers directly to the Assistant Secretary. अगर ऑफिस सुपरिन्टेन्डेंट के पास नोटिंग का काम रहता है तो ऑफिस को चैक करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता है। इसलिए यह कहा है कि क्लर्क के काम को चैक करने के लिए वह टाइम दे और देखे कि क्लर्क प्रोपर्ली काम करता है या नहीं। इसके लिए मैं आगे बतलाऊंगा कि हमने क्या एक्शन लिया है। इसी तरह जो माननीय सदस्यों का खयाल है कि हम एक रिपोर्ट मंगवाते हैं, उसमें मुद्दत बीत जाती है। मैं निवेदन करूं कि हमने डिसीजन लिया है कि अगर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवानी है तो कोई जरूरत नहीं है कि पहले कमिश्नर, कलेक्टर या एस. डी. ओ. को लिखा जाय। मिनिस्टर डाइरेक्टली तहसीलदार को लिखता है और ऐसे इन्सट्रक्शन हैं कि डाइरेक्ट सेक्रेटेरियट में भेज दे और कापी कमिश्नर को मार्क कर दे ताकि उसे पता लग जाय कि किस तरह की रिपोर्ट मांगी गई है। तहसीलदार के लिए यह जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट आउट करके भेजे, वह एस.डी.ओ. को भेजे, उसके बाद कलेक्टर के पास जाय और फिर कमिश्नर के पास जाय, उसमें डिले होती है। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को चैक कर दिया है। यदि मिनिस्टर को कोई इन्फोर्मेशन मंगानी है, वह रिपोर्ट कलेक्टर से आनी है We must address the Collector directly तहसीलदार से आनी है तो डाइरेक्ट तहसीलदार को लिख देंगे। इस प्रकार डिपार्टमेंट का जो लोएस्ट लेवल का ऑफिसर है, जिससे रिपोर्ट आनी है, उससे रिपोर्ट मंगवाते हैं और उसको इन्सट्रक्शन हैं कि सेक्रेटेरियट को डायरेक्ट रिपोर्ट भेज दे और अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास उसकी कॉपी भेज दे। तो जो इन्फोर्मेशन मंगवाने में डिले होती है, उसको एवोइड करने के लिए यह प्रोसीजर अख्त्यार किया है।

इसके अलावा उज्वल कमेटी के बाद जो एक्शन लिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एन्ड मेथड सेक्शन कायम किया है। उसको कायम करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन एन्ड मेथड्स सेक्शन बराबर सेक्रेटेरियट के ऑफिसेस को चैक करता है। उसके साथ ही हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के ऑफिसेज को चैक करते हैं, इस बात को देखने के लिए कि जो डिले

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एवोइड करने के लिए जो इन्स्ट्रक्शन हैं, वे पूरे हुए हैं या नहीं। माननीय सदस्य जानते होंगे कि सेक्रेटेरियट मेनुअल एक प्रिन्टेड बुक है, इसमें इन्स्ट्रक्शन हैं सारे सेक्रेटेरियट के लिए, किस तरह फाइल चलेगी, यह दिया हुआ है, उसमें टाइम भी दे रखा है कि डिलिंग क्लर्क के पास तीन दिन से ज्यादा कागज नहीं रह सकता। अगर ऐसा नहीं होता है तो चैक किया जाता है। और एक्शन लिया जाता है। जो टाइम दिया है वह इसलिए दिया गया है कि डिले को एवोइड किया जाय, रेड टेपिज्म में जो डिले होती है, उसको एवोइड करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, यह कह दिया गया है कि क्लर्क को कितने अर्से में केस को डिस्पोज ऑफ कर देना चहिए, रिसीट करने वाले, डिस्पेच करने वाले और डाइरी करने वाले के पास कितने दिन कागज रह सकता है, यह प्रेस्क्राइब कर रखा है।

इसके अलावा जो हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट के लिए इन्स्ट्रक्शन्स तैयार किये हैं जो प्रेस के अन्दर हैं, प्रेस में छप रहे हैं, छपने के बाद वे डिपार्टमेंट्स को चले जायेंगे। इसके साथ ही इन्स्ट्रक्शन्स पहले ही भेज दिये गये हैं। इसलिए यह कहना कि गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है, मैं अर्ज करूंगा कि यह सही नहीं है।

इसी तरह से सेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पॉवर्स, कन्सेन्ट्रेशन जिसके लिए माननीय सदस्य ने कहा था, के लिए कहा गया। मैं निवेदन करूं कि हमने जो डेलीगेशन ऑफ पॉवर किया है, उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि लोएस्ट लेवल पर जो डेलीगेशन हो सकता है, वह क्या किया है। कमिश्नर, कलेक्टर, एस.डी.ओ. and in some cases the Tehsildar, similarly in other departments also... बराबर हर एक लेवल पर डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स किया है। रीसेन्टली ५८ में डेलीगेशन्स ऑफ पॉवर्स हुआ है। जो रिकमन्डेशन्स थीं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन इनक्वायरी कमेटी की, उनको मंजूर करके हर लेवल पर डेलीगेशन ऑफ पॉवर किया है। पहले जितना काम सेक्रेटेरियट में आता था, उतना आज नहीं आता है, जितना कमिश्नर के पास आता था, वह नहीं आता है, कलेक्टर डिस्पोज ऑफ कर देता है फाइनली, जो वह डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो जो डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स किया जा सकता है वह किया गया है। केस वर्क के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहले हम देखते थे कि केस वर्क बहुत आता था, हर मामले सम्बन्धी अपील आती थी, रिवीजन आता था, लेकिन जैसा पिछले अधिवेशन में आपने कानून बनाया है, उस कानून के तहत केस वर्क को कम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील सेक्रेटेरियट में न हो, यह प्रोविजन किया है। उसका अब बहुत कम काम रह गया है। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, रेवेन्यू बोर्ड को सुप्रीम ऑथोरिटी बना दिया गया है Supreme authority in all cases जो केस वर्क आता था, वह अब नहीं आता है। रिवीजनल पॉवर्स थीं, नॉन जुडिसियल मेटर्स के लिए प्रोवीजन कर दिया है कि रिवीजनल पॉवर्स वह एक्सरसाइज करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स का डेलीगेशन किया गया है और केस वर्क का ताल्लुक है, उसके लिए अपील और रिवीजन की पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड की हाई ऑथोरिटी को दे दी गई है।

श्री जनार्दनराय नागर : असंतोष किस बात का है?

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't want to be disturbed Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : असंतोष है तो उसका कारण है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहता हूं कि शिकायत है तो....

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे शिकायत नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will not disturb.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जस्टीफाई कर रहा हूं...

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे शिकायत नहीं है, दुःख है। यह एक संक्रामक रोग है जो नहीं निकलता है ?

श्री उपाध्यक्ष : शिकायत है, दुःख भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके दुख के लिए अफसोस है। बहरहाल में अर्ज कर रहा हूं, जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं वे अर्ज कर रहा हूं कि ये मेजर्स कहां तक कामयाब हुए हैं ? लेकिन यह समझ में नहीं आया कि आपको उजरात हो रहे हैं, आप परेशान क्यों हैं.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): बहुत पीड़ा होरही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनकी पीड़ा को आप महसूस ज्यादा कर रहे हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : थोड़े बहुत अधिकार उन्हें भी देने चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद विधान सभा के सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन एण्ड मैथड्स को एरियर क्लीअरेन्स के लिए मुकर्रर किया ... सेक्रेटेरियेट के हर डिपार्टमेंट को चैक किया है उसका रिजल्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि वाकई इसने काम किया है कि नहीं।

स्क्वेड नं० १. तीन स्क्वेड्स मुकर्रर किये हैं जिसमें दो असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज हैं, एक ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, यू० डी० सी० वगैरह हैं, इनका काम है हर क्लर्क के कागजात को देखते हैं, कितने पेंडिंग हैं हैं, कितने डिस्पोज हो जाने चाहिये, एरियर्स वगैरह को छांटते हैं। इनके काम को देखेंगे तो पता चलेगा कि काफी अच्छा काम किया है। इर्रिगेशन एण्ड कोलोनाइजेशन सेक्शन को देखेंगे तो Total number ef cases and papers handled: 30. 8811 Number of cases disposed of or sent to records —19, 176.

१६,१७६ केसेज ऐसे पेन्डिग थे, इस लिये स्क्वेड ने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया या रेकार्ड में भेज दिया। ६० केसेज ऐसे थे जो डिस्पोज ऑफ के बराबर ही थे पर They were pending. ३० हजार में से केवल ६१० केसेज ही पेन्डिग हैं। अन्नेसेसरी पेपर्स फाइल, अप हो रहे थे उनको डिस्पोज

Page No 108

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑफ कराया । इसी तरह उन्होंने हर एक डिपार्टमेन्ट का चैक-अप किया है मैंने एक डिपार्टमेंट बताया कि Out of 30,000, only 6,010 pending.

अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेन्डरी को लीजिये, इनमें १२,१२७ केसेज थे Out of them 6,706 disposed of and sent to records. The remaining are pending.

तो मैं अर्ज कर रहा था कि स्क्वेड्स कायम हुए हैं उन्होंने बहुत यूजफुल एन्ड वेल्यूएबल वर्क किया है । आपका ख्याल है कि हमने महज इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर दीं, वे इम्प्लीमेंट नहीं हुई । मैं अर्ज करदूं कि वे बहुत तेजी के साथ इम्पलीमेंट हो रही हैं ।

श्री दलीपसिंह (बारां) : कितने अर्से में ६०० पेपर्स डिस्पोज ऑफ हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछले साल की बात ही अर्ज कर रहा हूं, लास्ट ईयर ही कायम किया था । यह तो दो डिपार्टमेंट्स का मैंने अर्ज किया है हर डिपार्टमेंट की यही कैफियत है, जैसा कि मैंने अर्ज किया । तो ये एरियर्स क्लीयरेंस स्क्वेड्स बहुत उपयोगी साबित हुए हैं । सेक्रेटेरियेट लेवल पर डिले रोकने के लिये दो अफसरों के सिवाय कागज किसी के पास नहीं जाता, हर क्लर्क के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया है कि इस टाइम में पेपर्स डिस्पोज ऑफ करदें । मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन का यह काम है एरियर्स क्लीयरेन्स स्क्वेड्स कायम किये गये हैं उनका यह काम है कि रोजाना सबके एरियर्स को देखते हैं सब पेपर्स को देखते हैं और डिस्पोज ऑफ कराते हैं ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के जिम्मे यह काम रखा गया है । केवल नोटिंग को देखने का ही उनका काम नहीं रहता है । इसके साथ डेलिगेशन ऑफ पॉवर्स के लिए कहूं कि डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स इतना हुआ कि हर डिपार्टमेंट में लोएस्ट लेवल पर जितना डेलीगेशन ऑफ पॉवर हो सकता था, ऑफ कोर्स उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिसियेन्सी को देखते हुए कर दिया है और बराबर इस बात को एग्जामिन करते रहते हैं । डेलिगेशन ऑफ पॉवर के लिहाज से देखेंगे तो सेक्रेटेरियेट में आपको यह मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी को देखते हुए नीचे के लेवल पर पॉवर्स डेलीगेट कर दिये गये हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : फाइनेन्शियल पॉवर्स ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइनेन्शियल पॉवर्स भी बहुत डेलीगेट किये गये हैं । कमिश्नर्स को कलेक्टर्स को फाइनेन्शियल पॉवर्स हैं

श्री जनार्दनराय नागर : Is it so ? It is a wonder ?

श्री दामोदरलाल व्यास : And in some cases, even S. D. O. s and Collectors......

श्री जनार्दनराय नागर : Collectors can spend only upto Rs. 300/-.

श्री दामोदरलाल व्यास : You are mis-informed.

श्री जनार्दनराय नागर : I am deeling with it.

श्री दामोदरलाल व्यास : You are deeling with a Government department, but perhaps you have no full information.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके अलावा हमने यह इन्तजाम किया है कि एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को कॉल करते हैं और जितने रेफरेन्सेज पेन्डिंग हैं उनको डिस्कस कर जवाब मांगते हैं। इनकी क्वार्टरली मीटिंग होती है, कमिश्नर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरीज बैठ कर मीटिंग करते हैं और तमाम पेन्डिंग कागजों के स्टेटमेंट्स मंगाये जाते हैं। और वहां डिस्कस करते हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया किसकी गलती है, यह सब बराबर चैक किया जाता है। यह मैं महसूस करता हूँ इमिजियेटली उतना रिजल्ट नहीं आ सकता जितना आना चाहिए, पर ये, जो स्क्वेड्स मुकर्रर किये उनका रिजल्ट तेजी से आ रहा है, रेड टेपिज्म की शिकायत थी वह बहुत मिट गई है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मेथड्स एन्ड ऑर्गेनाइजेशन सेक्सन और एरियर्स क्लीयरेंस स्क्वेड्स मुकर्रर किये हैं, जो यह सेट अप किया है इससे यह सारी शिकायत मिट जावेगी...

श्री जनार्दनराय नागर : कितने पर्सेन्ट यह शिकायत दूर हो गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, फीगर्स रख कर कि वन थर्ड रह गया है, पर आप फीगर्स को नहीं सुनते, जो इनफोर्मेशन आपको हमारी ओर से दी जाती है उसको नहीं सुनते और आपके पास डिपार्टमेंट है उसकी खबर आ गई है उसको ही सच मानते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सदस्य के पास कौनसा डिपार्टमेंट है ? I would like to have that information. Which department the Hon'ble member is having ?

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Deputy Speaker, Sir, I agree that work might have become less, but what about delay ?

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will not disturb the debate. We are short of time at this stage.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, फाइनेन्स के लिये माननीय दोस्त ने कहा कि फाइनेन्शियल मैटर्स में कोई पॉवर डेलिगेट नहीं किये गये हैं। मेरे पास इस समय रेडीमेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कमिश्नर्स को कितने पॉवर्स डेलिगेट किये हैं पर प्लानिंग डिपार्टमेंट के कितने प्रपोजल्स हैं, उनमें देरी नहीं की जाती है, प्लानिंग सेक्रेटरी के साथ बैठकर फैसला करते हैं। तो फाइनेन्स के लिये आपका पुराना अनुभव होगा....

श्री जनार्दनराय नागर : पुराना नहीं ताजा है, रोज का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : दा साहब नहीं है नहीं तो वे आपको और ज्यादा अच्छा समझाते...

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : He is a victim of the Finance Department. That is the whole position.

Page No 110

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Time is up, Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : We are just finishing.

श्री उपाध्यक्ष : You will please wind up your debate now.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि हर क्लर्क के पास जितना काम वह डिस्पोज ऑफ कर सकता है, इसके लिहाज से पी. यू. सी. की तादाद मुकर्रर कर दी है कि इतनी पी. यू. सी. एक क्लर्क के पास होने चाहिए। कहीं स्टाफ बढाना था तो बढाया गया है, किसी के पास काम कम था तो दिया गया है। टाइम के लिये माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि ज्यादा टाइम लगता है इस डिले को रोकने के लिये जितने मेजर्स लेने चाहिए थे वे सब हमने लिये हैं और इस बात की हमारी पूरी कोशिश है कि रेड टेपिज्म की शिकायत एक दम निर्मूल कर दी जाय। इसके लिए डेलिगेशन ऑफ पॉवर्स लोएस्ट लेवल पर जितना होना चाहिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी को देखते हुए किया है कि इस इस केटेगरी के वर्क को वे लोग ही डिस्पोज ऑफ कर दें, सेक्रेटेरिट में नहीं आये और हमारी डेमी ओफिशियल्स बोडीज हैं वे ही करें। इसके अलावा हमने सेट अप किया है वह काम कर रहा है, मेथड्स एन्ड ऑर्गेनेशन सेक्शन, और एरियर क्लीयरेंस स्क्वेड्स इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मैं समझता हूं माननीय सदस्य बाड़ी से आये हुए हैं वे अपना रेजोल्यूशन वापिस लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : (धौलपुर) जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने लेने को आज्ञा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक दो पोइन्ट पर माननीय राजस्व मन्त्री क्लेरीफीकेशन करदें तो ज्यादा उचित होगा....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Satish Chandra, no clarification at this stage.

डॉ० बहादुरसिंह : जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

(संकल्प वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए...

श्रीश्रीभानसिंह (बयाना): रूलिंग एण्ड ऑब्जरवेशन्स जो आप देनेवाले थे उसका····

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए अभी मेरे पास समय नहीं है We should look to the next occasion.

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यों की भावना को दृष्टिगत रखते हुए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ५ बज कर २ मिन्ट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ४ सितम्बर, १९५९)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, ब्यावर।

ग्राम बेरी, तहसील जहाजपुर में अभ्रक निकालना।

संचालक, पशु-चिकित्सा तथा कृषि द्वारा साइन्टिफिक इस्ट्रूमेंट्स का क्रय।

कनवास में हाई स्कूल की स्थापना।

श्री गोविन्दनारायण माथुर, भूतपूर्व विकास अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा मलाररिण, तहसील फलोदी में नमक बनाने के फर्जी आवन्टन-पत्र दिया जाना।

राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़।

सहकारी विभाग में दूसरे विभागों से स्थानान्तरित निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक।

श्रमदान द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु, निर्मित भवन-जिला कोटा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शीप फार्मिंग के लिए स्वीकृत धनराशि।

विकास-खण्ड अधिकारियों के पदों पर पेन्शन प्राप्त सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति।

स्तम्भ

बीकानेर तथा लूणकरणसर में पानी की व्यवस्था।

अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में दिया जाने वाला भत्ता।

विकास समिति, पदमपुर विकास खण्ड के सदस्यों की नियुक्ति।

जन सेवा आयोग द्वारा आर. जे. एस. के पदाधिकारियों का चयन।

पुलिस वेलफेयर फंड, झुंझुनूं।

भूतपूर्व अजमेर राज्य के वरिष्ठ मुख्याध्यापकों की पदोन्नतियां।

सर्किट हाऊसेज।

हाई स्कूल, सियाणा, जिला जालोर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तन।

राजस्थान नहर।

ग्राम खटका तथा कालोनी, तहसील शाहबाद, जिला कोटा के सिंचाई योग्य तालाब।

मॉन्टेसरी स्कूल-भरतपुर।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

सर्किट हाऊस तथा एरोड्राम का निर्माण, नागौर।

स्थगित प्रश्न

मिडिल स्कूल, ग्राम जसरासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के भवन निर्माण हेतु द्रव्य।

सरकारी मोटर गाड़ियों पर किया जानेवाला व्यय।

प्रधानाध्यापिका, गर्ल्स प्राईमरी स्कूल, तोपखाना, जयपुर द्वारा सरकारी रकम का दुरुपयोग।

गैर सरकारी संकल्प

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया : 'सदन की सम्मति है कि प्रशासन में व्याप्त शिथिलता के कारणों का पता लगाने व उनको दूर करने के लिए सरकार को परामर्श देने हेतु सदन के सदस्यों की विभागीय समितियों का गठन किया जाय'।

उपर्यंकित संकल्प पर डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर, श्री दलीपसिंह (बारां), श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़), श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) तथा श्री मूलचन्द डागा (पाली) ने संशोधन प्रस्तुत किए।

इस पर किए गए वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(१) मेजर श्री फतेहसिंह (भीम)

(२) श्री शंकरलाल (रायपुर)

(३) ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़)

(४) श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी)

(५) श्री जर्नादनराय नागर (मावली)

(६) श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ-नगर सु)

(७) श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह ने अपना संकल्प वापिस ले लिया।

तदनुपरान्त सदन की कार्यवाही ठीक ५ बजकर २ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१६ का उत्तर देखिए)

क्रम संख्या	नाम ग्राम सेवक
१.	श्री सुमेरसिंह
२.	श्री एम० एल० अकलेरा
३.	श्री लक्ष्मीनारायण
४.	श्री हरिमोहन
५.	श्री हजारीलाल
६.	श्री मिठनसिंह
७.	श्री नारायणलाल चौबीसा
८.	श्री भगवतसिंह
९.	श्री प्रेमसिंह
१०.	श्री राजेन्द्रसिंह
११.	श्री नाहरसिंह

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२० का उत्तर देखिए]

सन्	एलॉटमेंट	व्यय
५६-५७	—	—
५७-५८	६०,०००	—
५८-५६	१,८४,०००	१,८४,०००
५६-६०	४०,०००	—

———

परिशिष्ट ३

[क]

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ का उत्तर देखिए]

एक्स मिलीट्री कर्मचारियों को विकास अधिकारी पद पर नियुक्त करने के लिए निर्धारित योग्यताऐं :—

(१) ग्रेजुएट ।

(२) कम से कम ५ साल तक कमीशन रैंक पर कार्य किया हो । इन्डियन कमीशन ऑफिसर्स के लिए इण्टरमीडिएट की योग्यता ।

(३) अधिकतम आयु ४५ वर्ष ।

———

[ख]

सर्व श्री सवाईसिंह व गुमानराम की योग्यताओं की सूची :-

क्रम सं०	नाम	शैक्षणिक योग्यता	आयु	एक्स मिलेट्री के पद	रिमार्क्स
(१)	श्री सवाईसिंह	बी० ए०, एल एल०बी० (प्रिवियस)	३२ वर्ष ६ माह	लैफ्टीनेन्ट के पद से कार्य मुक्त	सेक्रेटरी एस. एस. एण्ड ए. बोर्ड, बीकानेर के पद पर कार्य कर रहे हैं।
(२)	श्री गुमानराम	ग्रेजुएट (आई. एम. ए. देहरादून (१९४६)	३३ वर्ष	कैप्टिन, १९४८ (६ वर्ष तक)	

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३० का उत्तर देखिए)

Particulars of Headmasters Appointed as Inspectors of Schools After Merger of Ajmer State.

S. No.	Name	Date of Apptts.	Qulifi.	H.M.H.S/ Dy, IOS	H.M H.S.
1.	Shri K. N. Bhargava	15-7-32	M.A.	22 July, 44	Sept, 55.
2.	„ N. L Verma	1-12-48	M.A., B.T.	1-12-48	„
3.	„ M. S. Bhatnagar	7-7-38	M.A.,B.T.	July 49	4-8-56
4.	„ Suraj Prakash	21-9-28	M.A ,B.T.	Oct. 51	Sept.,55
5.	„ Tej Behari Lal	15-7-32	M.A.	July, 49	Sept.,55
6.	„ Ahmed Ali	16-7-39	B.A.,B.T.	1--12--46	

Particulars of Headmaster of Ajmer Appointed as Inspector of Schools After Merger of Ajmer State.

1.	„ Shri N. M. Rao	7-3-31	M.A.,B.T.	8-8-50

Inter-laced Seniority List of Headmasters and Deputy Inspectors of Schools as on 1—11—1956.

S. No. 1.	Name and Designation 2.	Date of first appt. 3.	Date of apptt. as Headmaster and Dy. I.O.S. 4.
1.	Shri Mohd. Aizaz Khan, H.M. H.S. Uniara	10— 7—34	9— 8—47
2.	,, Gulab Chand Malu, H.M. H.S. Bhilwara	2— 6—30	1— 7—43
3.	,, S. K. Ganguli, H.M. H.S. Chhabra	20— 1—28	July, 1943
4.	,, B,M. Trivedi, H.M. HSS. Dungla	27— 8—43	8—12—43
5.	,, Vishveshwar Dayal, Offg. I.O.S. Churu	19—10—33	23— 7—47
6.	,, Radha Krishnan, Retd. H.M. Jaswantgarh	18— 8—24	July, 1945
7.	,, Bashiruddin, Offg. I.O.S. Pali	14— 8—29	1— 1—45
8.	,, A. S. Mathur, H,M. M.P.S. Sujangarh	1— 9—33	15— 7—45
9.	,, M. G. Tewari. A.D.E. Social Edn.	15— 7—28	15— 9—45
10.	,, S.N. Dwivedi, H M H.S. Churu	7— 7—36	21— 1—47
11.	,, C.B.L. Mathur, H.M. H.S. Phulera	1— 8—22	July, 1946
12.	,, K L. Gupta, Retd H.M. H.S. Behror	1—10—25	1946
13.	,, B. L. Gupta, H. M. Fort H. S. Bikaner	10— 8—28	26— 7—46
14.	,, Ahmed Ali I.O.S. Tonk	15— 7—39	1—12—46
15.	,, Prabhu Shankar Trivedi, H.M. H. S. Bagodora	15— 7—30	24— 4—48
16.	,, H. S. Nagar, M.M. K.P. HSS. Udaipur	20— 4—29	28— 7—52
17.	,, A. S. Dave, I.O.S. Bharatpur	1— 4—38	7— 7—46
18.	,, S. L. Malhotra, Dy. I.O.S. Ganganagar	10—12—35	24— 7—49

[redacted]

1	2	3	4
19.	Shri P. C. Bhura, H.M. Chopra H.S. Gangashahar	4— 8—24	25— 8—47
20.	„ H. K. Roy, I.O.S. Jodhpur	3— 8—29	1— 8—47
21.	„ D. C. Chaturvedi, I.O.S. Jhalawar	6— 8—32	20— 8—47
22.	„ B. B. Khatri, H.M. H.S.S. Rajgarh	9— 6—30	27— 8—48
23.	„ Muket Beharilal, H.M. H.S. Nainwa	July, 1933	20— 9—47
24.	„ Raghunandan Swaroop, H.M. M.P. Salwar	10—12—34	12— 7—52
25.	„ R. L. Rajpal, Dy. I.O.S. Jalore	26— 9—32	15— 8—48
26.	„ V. D. Brijvasi, I.O.S. Barmer	15— 7—35	19— 9—49
27.	„ Hariharlal Gupta, I.O.S. Jaipur West	13— 7—36	15— 7—48
28.	„ R. S. Kulshreshth, H.M. H.S.S. Manoharpur	14— 8—48	14— 8—48
29.	„ Devi Singh, Dy. I.O.S. Jaisalmer	7— 8—35	2— 9—48
30.	„ Suraj Prakash, A.D.E (P) Bikaner	21— 9—28	22—10—51
31.	„ P. N. Hukkoo, Retd. H.M. M.P.S. Barmer	3— 8—36	Sept, 1948
32.	„ Girdhar Gupta, H.M. H.S.S. Bijaynagar	15— 3—33	23—10—51
33.	„ K.L. Tewari, H.M. HSS. Mandal	15— 8—33	Nov., 1948
34.	„ N.L. Verma, I.O.S. Jalore	1—12—48	1—12—48
35.	„ Y.L. Nagar, Retd. H.M. H.S. Kankroli	1— 2— 49	1— 2—49
36.	„ Chandulal, H. M. HSS. Pali	29—7—36	16—7—49
37.	„ S. N. Mathur, H. M. Motikatla H. S. Jaipur.	3— 8—33	21—7—49
38.	„ B. D. Nagar, H. M. HSS. Ajitgarh	31—3—28	1—7—49

Page No 121

1	2	3	4
39.	Shri K. N. Bhargava, Principal, SPS, Bikaner	15—7—32	July, 1959
40.	„ S. S. Jha, Dy. IOS. Udaipur.	19—10—29	30—7—49
41.	„ Shivcharan Lal, Dy. IOS. Kotah	26—11—29	July, 1949
42.	„ Tejbeharilal, IOS, Sirohi		
43.	„ Sukhbasilal Dubey, H. M. HS. Bari	17—7—28	27—7—49
44.	„ C. S. Bhatt, H. M. MPS. Kotah	22—7—35	Aug., 1949
45.	„ G. L. Sharma, H. M. MPS. Dungarpur	7—7—38	1—7—49
46.	„ Madan Singh Bhatnagar IOS. Bhilwara	7—7—38	20—7—49
47.	„ V. D. Gupta, Retd. H. M. HSS. Rajgarh (Alwar)	26—7—49	26—7—49
48.	„ R. N. Jhalani, H. M. STC. Parasramdwara.	17—9—34	12—12—49
49.	„ Ramswaroop Singh Saxena, H. M. HSS. Govindgarh.	24—6—25	29—7—50
50.	„ Hetram H. M. HSS. Bijaynagar (Ganganagar)	4— 8—43	26—7—50
51.	„ S. N. Mathur, H. M. HSS. Khandar.	14—12—43	3—10—50
52.	„ S. N. Shrivastava, Prof. TTC. Ajmer	29—10—48	July, 1950
53.	„ B. D. Singh, Dy. IOS. Jaipur West.	17—7—38	3—10—50
54.	„ Rajaram Rastogi, Retd. HMHS. Chomu	22—12—43	3—10—50
55.	„ Sita Sahai Pareek, Dy. IOS. Sikar	2— 9—44	17—7—50
56.	„ O. P. Singhal, DY. IOS. DDE. Jaipur	1— 9—43	3—10—50
57.	„ N. D. Pareek, HMHS. Khandela	16—7—33	3— 7—50
58.	„ G. P. Sharma, HM. HSS. Jobner	22—10—28	23—9—50
59.	„ Tilak Ram, HM. City HSS. Bikaner	2—11—36	19—7—50
60.	„ K. L. Dashora, Retd. HM. HSS. Rajnagar.	4— 2—21	13—9—50

Page No 122

1		2	3	4
61.	Shri	Narwar Singh M. Rao.	7— 3—31	28—8—50
62.	,,	Gopal Lal, Ex-D. S. E. O. Jaipur	1— 9—39	3—10—50
63.	,,	Ramji Lal HM. MPS. Gangapur	22—11—38	25-10—50
64.	,,	Kantilal, HM. M. M. HS. Bikaner.	5— 7—40	3—10—50
65.	,,	K. D. Sharma, HM. HSS. Deeg.	2—11—44	23—9—50
66.	,,	Kalyan Rao, HM. HS. Sambhar	1— 8—33	3—10—50
67.	,,	S. K. Kothari, HM. New HS. Kotah	26—5— 39	3—10—50
68.	,,	P. J. Hathi, HM. MPS. Jodhpur	14—7— 38	Oct., 1950
69.	,,	S. S. Mal, HM. HSS. Purani Basti	31—7— 43	31—7—51
70.	,,	T. K. Dandia, HM. MPS. Jaipur	6—10—37	23—9—50
71.	,,	H. S. Khunteta, B. D. O. Todaraisingh	1— 9—33	15-10—51
72.	,,	B. C. Chatterji, IOS. Udaipur	1931	21-10—51
73.	,,	R. C. Pant, HM. HSS. Kherthal	18—11—36	24—7—52
74.	,,	Gurumukh Singh Chawla HM. HS. Jhalawar	12—9— 47	8—7—51
75.	,,	Krishna Gopal Sharma, HM. HS. Merta	7— 7—36	19—7—52
76.	,,	P. S. Kumar, HM. MPS. Bikaner	5— 1—48	19-10—51
77.	,,	Udai Bhani, HM. HS. Mahilabagh KU.	21—9—31	22-10—51
78.	,,	M. S. Baghela, HMHS. Weir	12—1—34	15-10—51
79.	,,	H. L. Jain, HM. MPS. Baran	3— 7—36	18-10—51
80.	,,	Murari Dan HM. (Retd) Takhatgarh	10—3— 29	21—7—52
81.	,,	D. N. Kulshreshth, HMHSS. Chhipalbared	1—10—37	3—10—51
82.	,,	Kamala Mohan, HM. HSS. Ropnagar	4—11—44	4—10—50
83.	,,	H. C. Sood, Retd. HM. HSS. Mandwar	15—11—28	1951

1	2	3	4
84.	Shri Parasmal HM. HSS. Sojat	17—7—30	23—7—52
85.	„ N. L. Mathur, HM. Darbar HSS. Jaipur	22—8—32	18—7—52
86.	„ R. N. Kulshreshth, HM. MPS. Dholpur	19—7—38	26—7—52
87.	„ Narain Singh HM. HS. Bidasar	28—7—38	26—7—52
88.	„ Harigiri HM. MPS. Pratapgarh	11—1—33	19-12—51
89.	„ D. P. Joshi, Dy. IOS. Beawar	1928	April, 1953.
90.	„ N. Chakarvati, HM. Moinia Islamia HSS. Ajmer.	15—7—39	15—6—52
91.	„ J. A. Nath, HM MPS. Beawar	22—7—33	23—7—52
92.	„ S. N. Bhatnagar, HM. HSS. Salumbar	6—10—40	22—7—52
93.	„ D. P. Gupta, HM, HS. Alwar	17—7—35	9—7—53
94.	„ N. R. Bhati, Dy-IOS. DDE. Jodhpur	7—5—32	21-12—53
95.	„ Chhajjulal, H. MIS. Bairath	22—8—23	5—9—54
96.	„ Ramkrishan Das, HM. HSS. Paota	30—10—33	1—8—53
97.	„ Ram Pd., HM. HS. Bhinasar	16—11—54	Aug., 1953
98.	„ Krishan Biharilal, HMHS. Todabhim	1—7—35	25—9—54
99.	„ R. S. Joshi, Dy. IOS. Chittor	6—9—36	4—5—55
100.	„ G. C. Sidh, Dy. IOS. Jhunjhunu	25—9—34	26—4—55
101.	„ Rama Kant Tewari, HM. HSS. Bhenslana	16—3—33	Sept., 1955
102.	„ Girraj Pd. HM. HSS. Gudhachandraji	Jan., 1928	Aug., 1955
103.	„ Devi. Pd. HM. HSS. Kumbher	16—9—36	10—9—54
104.	„ R. N. Maheshwari, HM. H.S. Kothputli	16—6—54	16—6—54
105.	„ Hansraj Mahna, Dy. IOS. DDE Bikaner	8—7—39	1—5—55

1	2	3	4
106. Shri.	Damodarlal Retd. HM. Ramgarh	2— 9— 20	9— 9—54
107. „	Gyan Chand, HM. HS. Jahazpur	7— 7— 27	4— 9—55
108. „	Bhagwati Pd. HM. HSS. Todabhim	16—6— 30	25—9—54
109. „	Kanhaiyalal HM. HS. Bonli	5— 7— 39	2— 7—56
110. „	Brahamedeo, H. M. HSS. Toonga	19—1— 44	10—8—55
111. „	Mohanlal, HM. HSS. Asind	8— 7— 41	22—9—53
112. „	Ram Niwas. HM. HS. Uniara	8— 7— 39	1— 9—55
113. „	Kanhaiylal Tewari, HM. STC. Khetri	16—6—54	16—6—54
114. „	M. M. Zutsi, HM. HS. Neemkathana	20—10—38	11—8—55
115. „	Brij Ballabh Mathur, HM, HSS. Sikrai	6—10—33	16-10—54
116. „	Madan Lal Shrivastava, HM. HS. Bayana	13—8—40	31—1—56
117. „	Gokul Ram HM. HS. Simalwara	3— 8—31	16—9—55
118. „	Natwar Behari Lal, HM. HS. Lalsot	14—8—40	May, 1955
119. „	Ladu Singh, HM. HSS. Sinsini	Aug, 1955	13—9—55
120. „	Sawal Singh Dy. DS. Sikar	17—11—38.	1—5—55
121. „	Trilok Chand HM. HS. Sahjahanpur	1— 9—39	9— 1—56
122. „	V. D. Tripathi. HM. HSS. Jodhpnr	31—7—43	26—7—55
123. „	Vipin Behari Lal Vajpai, HM. MPS Nathdwara	13—9—40	Sept., 192
124. „	Kan Singh HM. HS. Bharatpur	15—7—36	15—3—54
125. „	Kedar Nath Mudgal, HM, HS Narainpur	13—12—34	6—7—53
126. „	Badri Narain Sharma, EX-DSEO Ajmer	12—7—43	4—7—54
127. „	Govind Narain HM. HS Malpura	19—7—43	4—9—55

1	2	3	4
128.	Shri Makhan Singh DY. IOS Bikaner	22-7-38	1-5-55
129.	„ Amir Singh, MH HS Raisinghnagar	8-11-47	11-1-56
130.	„ Manohar Singh, HM HSS Paota (SWM)	9-9-29	9-3-54
131.	„ Mata Prasad, HM HSS Geejgarh	2-1-54	11-1-56
132.	„ Iqbal Bahadur, Dy IOS Ajmer	1-2-42	27-3-55
133.	„ Ladli Saran, HM HSS Kotkasim	14-8-41	Sept.,1955
134.	„ Brij Beharilal, HM HSS Bharatpur	27-1-45	19-10-51
135.	„ B. P. Joshi, H.M. HSS Chittor	20-7-43	Aug.,1955
136.	„ Het Singh, HM HSS Chapoli	14-12-42	5-9-55
137.	„ Tulsi Dass, HM HSS Barmer	14-7-28	19-10-53
138.	„ Madan Lal, HM HSS Looni	1-10-33	29-9-50
139.	„ Bairisal Singh, Dy. IOS Tonk	11-8-44	1-5-55
140.	„ Jai Narayan Vyas, H.M. HSS Jaitaran	17-8-32	Sept., 1955
141.	„ Laxman singh Tomar, Dy, IOS (Planning)	2-1-45	2-5-55
142.	„ Narain Dass Trivedi, HM HSS Jolana	19-7-35	17-9-55
143.	„ Nand Lal, HM HSS Sumerpur	23-8-37	Sept ,1954
144.	„ Laxminarain Sharma, HM HSS Roopbas	2-1-45	1-9-55
145.	„ Kalyan Sahai, HM HSS Chhotikhatu	19-7-44	14-9-55
146.	„ Ganesh Lal, HM HSS Rajlmagra	1-7-41	3-9-55
147.	„ Radha Gopal, HM HSS Lamba Harisingh	28-8-45	27-7-55
148.	„ Mohan Lal Majoo, HM HSS Nokha	1-11-49	13-9-55
149.	„ Jugal Kishore, HM HSS Harsoli	14-12-29	4-1-55
150.	„ Ram Sarandass, HM HSS Ladnu	17-7-37	23-9-54
151.	„ Triloki Nath, HM HSS Udaipur (Shekhawati)	21-2-44	6-9-55

Page No 126

1	2	3	4
152.	Shri Onkar Lal Mehta, HM HSS Charbhuja	26—6—35	1—6—55
153.	„ Kastur Chand, HM HSS Anwan	8—8—42	Sept.,1955
154.	„ R.S. Trivedi, HM HSS Sawar	12—10—36	Sept., 1955
155.	„ Manginarain, HM HSS Jhunjhunu	15—7—36	28—8—55
156.	„ Amarlal, HM MPS Nagaur	16—7—37	31—8—55
157.	„ S.P. Tikkiwal, HM HSS Jamwa Ramgarh	1—8—45	1—9—45
158.	„ B.S. Vyas, H.M. STC Nanta	17—5—47	1—9—55
159.	„ Mohan Lal, H.M.H.S. Partapur	24—8—33	1—9—55
160.	„ Madan Lal Gupta, H M HSS Bhandaraj	28—7—37	11—9—55
161.	„ Mool Raj Mathur, Dy IOS Bharatpur	10—7—43	4—12—50
162.	„ Ganpatsingh, HM HSS Sirohi	27—3—36	1—4—56
163.	„ Ram Gopal Saxena, HM HS Kanwat	1—7—43	1—9—55
164.	„ Pukhraj Purohit, H.M HSS Mundwa	28—7—33	5—10—53
165.	„ Mohan Lal-Paliwal,HM HSS Amet	18—12—40	1—5—55
166.	„ Bharat Bhushan, HM MPS Baran	16—7—40	17—9—55
167.	„ Vijai Chand, HM MS Mondor	23—7—43	15—9—55
168.	„ Bhanwarlal Sharma, MH MSS Rikhadeo	9—6—44	31—8—55
169.	„ Shiv Kumar Sharma, MH HSS Gofunda	9—6—44	31—8—55
170.	„ H. P. Surolia, Dy IOS Ganganagar	16—11—36	1—5—55
171.	„ Sanwal Dan, H.M. HSS Phalodi	25—9—35	1—9—55
172.	„ Ramdhar Sharma, H.M. HSS Lachhmangarh	1—9—52	1—9—52
173.	„ Chiranji lal, M.M. HSS Molasar	8—4—38	8—9—55
174.	„ Chandanmal Gurlia, H.M. HSS Rasmi	7—7—42	Sept., 1955

1	2	3	4
175.	Shri Shrinath Kishore, H.M. HSS Bichun	26—8—45	18—9—55
176.	„ Govind Madhav Yajnik, MS Barisadri	1—8—49	Sept., 1955
177.	„ Manak Chand, HM MHS Chavra	5—9—27	Sept.,1955
178.	„ R. C. Eswal, HM HSS Reengus	16—9—40	Sept., 1955
179.	„ Anraj, Dy. I. OS Barmer	13—9—40	Sept., 1955
180,	„ R. L. Gupta, HM.HS Ramganjmandi	30—7—31	Jan., 1956
181.	„ Mithanlal, HM HS Chhajaka Nangal	27—7—35	6—8—55
182.	„ Laxminarain, H. M. H. S. Lawa	16—7—42	1.—9—55
183.	„ T. L. Trivedi, H. M. Fateh H. S. Udaipur	22—7—42	8—4—53
148'	„ Nathu Mal Ladda, H. M. HSS Gorif	30—7—43	8—9—54
185.	„ Ghasi lal, H.M. HSS Amarsar	21—7—43	Sept.1955
186.	„ Audhbeharilal Vajpai, H.M. HSS Vallabghnagar	6—7—43	14—9—55
187.	„ Hari Vallabh, H.M.H.S. Kushalgarh	8—7—38	1—2—56
188.	„ Hari Kishan Vyas, Dy IOS Ajmer	6—2—32	1—5—55
189.	„ D. M. Jain, HM HSS Ahmer	12—9—32	27—8—55
190.	„ S. V. John, HM HS Shrinagar	1927	1955
191.	„ D.P. Koshik, HM Oswal Jain High School	23—9—33	1—11—55
192.	„ D.P. Mathur, H.M.H.SS. Bhinai	1928	1—7—55
193.	„ M.L. Mathur, HM HSSPushkhar	13—8—34	11—4—56
194.	„ A.S. Khan, HM MPS Saradehana		
195.	„ C.L. Bagawat, H.M. HSS Rmsar	1—8—56	1—8—56
196.	„ B. Sen, H.M. HSS Bikaner	26—9—53	26—9—53
197.	„ R.B. Khattar,M.H. HS Sikar	Aug.1956	Aug. 1956

1	2	3	4
198.	Shri M.L Jain, H.M. HSS Arain	1—1—56	1—1—59
199.	,, S.C. Nihlani, H.M. Rajendra H.S. Ajmer	16—7—48	16—7—48
200.	,, M.C. Mathai, H.M. Jowahar H.S. Ajmer	16—7—48	16—7—48
201.	,, K.P. Madnani, H. M. Tikemchand HS Ajmer	16—7—48	2.—3—45

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ का उत्तर देखिये]

STATEMENT-'A'

Name of Department.	Strength.					
	Clerks.	Farrashes.	Jamadars.	Cycle Sowars.	Peons.	Bhisties.
1. Rajasthan State Hotel, Jaipur	10	4	1	1	1	1
2. Circuit House, Jodhpur.	2	1	-	1	1	1 (Part-time)
3. Circuit House, Kotah.	1	2	-	1	1	
4. Circuit House, Bikaner.	1	1	-	1	1	
5. Circuit House, Udaipur.	1	3	1	1	-	-
6. Circuit House, Ajmer.	1	2	-	1	1	-
7. Government Hostel, Jaipur.	2	6	-	-	2	-

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ४ सितम्बर, १६५६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४२६४	१३	auch	such
४२६४	अन्तिम से २	नहीं करती	नहीं करते
४२६६	प्रथमत:	(मेजर पतेहसिंह	(मेजर श्री फतेहसिंह)
४२६६	१०—११	Head Mistress. Beawar	Head-Mistress, Beawar.
४३००	११	Rork	Work
४३०४	१४	छिपूये	पूछिये
४३०५	अन्तिम से ५	daty	duty
४३०७	अन्तिम से ४	लाइन्स	लाइसेन्स
४३०६	२	इम्स्ट्रुमेन्ट्स	इन्स्ट्रुमेंट्स
४३१४	१२	Assambly	Assembly
४३२०	अन्तिम से २	मुरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
४३२६	प्रथमत:	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)'
४३३१	६	श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	१३	फार्मिग	फार्मिंग
,,	१६	विधेयक	विषयक
४३३६	शीर्षक	३ सितम्बर,	४ सितम्बर
,,	१२	स्टाकपैन्ड	स्टाइपैन्ड
४३३७	अन्तिम से ३	श्री दयाकृरण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
४३३८	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित

१	२	३	४
४३३६ -४०	अन्तिम से २	जन आयोग	जन सेवा आयोग
४३४० -४१	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर-३ सितम्बर	तारांकित प्रश्नोत्तर-४ सितम्बर
४३४२	६—७	वरिष्ट मुख्यध्यापका	वरिष्ठ मुख्याध्यापकों
४३४३	अंन्तिम	ithere	there
४३४५	अन्तिम से ३	श्री पनमचन्द	श्री पूनमचन्द
४३४६	२०	cs	as
४३५४	अन्तिम	श्री दयाकृप्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
४३५६	अन्तिम	मैन्टेसरी	मौन्टेसरी
४३५७	१७	श्री पूनमचद	श्री पूनमचन्द
,,	१३	(नोख)	(नोखा)
४३५८	प्रथमतः	(श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	२०—२१	existing	existing
४३६०	अन्तिम से २	डिस्ट्रिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
४३६२ -६३	शीर्षक	तारंकित प्रश्नोत्तर	अल्प काल सूचना प्रश्न
४३६२	३	श्री सतीशचद्र	श्री सतीशचन्द्र
४३६३	१५	लेडिंग	लैंडिंग
४३६४	४	,,	,,
,,	५	,,	,,
,,	१५	तहसी	तहसील

१	२	३	४
४३६६	१८	कभी	कमी
४३६७	६	चपरसियो	चपरासियों
४३६८	१६	एन्टीकरशन	एन्टीकरप्शन
४३६६	१२	(अजमेर सु.)	(आमेर–सु०)
,,	२०	resalution	resolution
,,	२४	प्रशाशन	प्रशासन
४३७१	२०	सचालक	संचालक
४३७५	२२	इक्वायरी	इंक्वायरी
४३७७	२६	हसलिए	इसलिए
४३८१	अन्तिम से ४	उपयुत्त	उपयुक्त
४३८५	२३	बोलर्स	बोलने
४३८८	१०	कीशिश	कोशिश
,,	१४	मैं	में
४३९२	शीर्षक	र	गैर
,,	अन्तिम से ४	उन्हों	उन्हीं
४३९४	६	श्री दलिपसिंह	श्री दलीपसिंह
४३९५	अन्तिम से ४	क्लेक्टर	कलेक्टर
४३९६	प्रथमत:	(श्री दलिपसिंह)	(श्री दलीपसिंह)
४३९८	१२	शीरीं	शीरी
४४०१	अन्तिम से ३	पंचयत	पंचायत

१	२	३	४
४४०२	अन्तिम से ४	खाती	जाती
४४०३	१६	नियत्रन्ण	नियन्त्रण
,,	अन्तिम से ५	डेवेलपेन्ट	डेवलपमेंट
४४०४	१०	(बरक्तुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
,,	२३—२४	विलम्ब	विलम्ब
४४०५	३	अखिर	आखिर
,,	१८	करर्ता	कर्त्ता
,,	अन्तिम	मूमिहीनों	भूमिहीनों
४४०६	१४	बराबाद	बर्बाद
४४१०	६	गाँव रहने वाले	गाँव के रहने वाले
४४१२	४	भूम	मूव
४४१३	२	रकूल	स्कूल
४४१४	३	कॉन्सिटट्यूएन्सी	कॉन्स्टिटूएन्सी
४४१५	१०	प्रीमाफेसी	प्राइमाफेसी
,,	२२	घृत्त	वृत्त
४४१८	अन्तिम	मिसालेंहु	मिसालें
४४२०	५	समझत हूं	समझता हूं
४४२०	अन्तिम से २	पदन्चुत	पदच्युत
४४२१	६	भ्रष्टचार	भ्रष्टाचार
४४२१	अन्तिम से ६	राष्ट्र	राष्ट्र

१	२	३	४
४४२२	१४	भ्रस्टाचार	भ्रष्टाचार
४४२२	२६	व	वे
४४२२	अन्तिम	बीकानेर में	बीकानेर से
४४२५	अन्तिम से ९	और	ओर
४४२६	२१	चिन्ताजक्क	चिन्ताजनक
४४२७	२३	मलिक	मालिक
४४२७	२३	समुद्रों	समुद्र
४४३४	शीर्षक	४ सितम्बर ५६	४ सितम्बर ५९
४४३५	अन्तिम से ९	ईमाननार	ईमानदार
४४३६	९	शिथिला आपको हटाना	शिथिलता आपको हटानी
४४३८	१०	backword	back ward
४४४३	८	acts wikedly	acts wickedly
४४५५	१९	शिथिलत	शिथिलता
४४५९	२१	होना	होनी
४४५९	अन्तिम से ४	कोई जवाब से	कोई जवाब
४४६०	१५	निष्पन्न	निष्पक्ष
४४६३	२५	प्रकार कैसे से दूर	प्रकार, कैसे दूर
४४६३	अन्तिम से ५	पक्षपात की	पक्षपात का
४४६६	२	उनने अपने चाज	उन्होंने अपने चार्ज
४४७१	अन्तिम	चाइये	चाहिये

१	२	३	४
४४७८	८	डला देते हैं	डाल देते हैं
४४७६	अन्तिम से १०	सेक्रेटेरट	सेक्रेटेरियेट
४४८८	१६	स्खा	रखा
४४८६	७	करोड़ों को	करोड़ों की
४४८६	अन्तिम से ७	जाती	जाति
४४६०	१२	११७	११६
४४६०	१६	On point information	On a point of information
४४६१	१ व २	माननीय उपाध्यक्ष ?	माननीय उपाध्यक्ष,
४४६१	१६ व २०	सदएक	सदस्य
४४६२	१३	neceecssary	necessary
४४६२	१४	Should reply.	Should reply ?
४४६२	१६	in form .	inform
४४६६	१२	Pepers	Papers
४५००	१४–१५	सक्रेटरी	सेक्रेटरी
४५०४	१६	में	मैं
४५१०	अन्तिम से ३	समझत हूँ	समझता हूँ
४५१५	१६	विद्यालम	विद्यालय
४५१६	३	व्य	व्यय
४५२१	२	मिलेट्री	मिलिट्री